खण्ड-208, अंक-7
बुधवार, 9 पौष, शक संवत् 1881
(30 दिसम्बर, 1959 ई0)

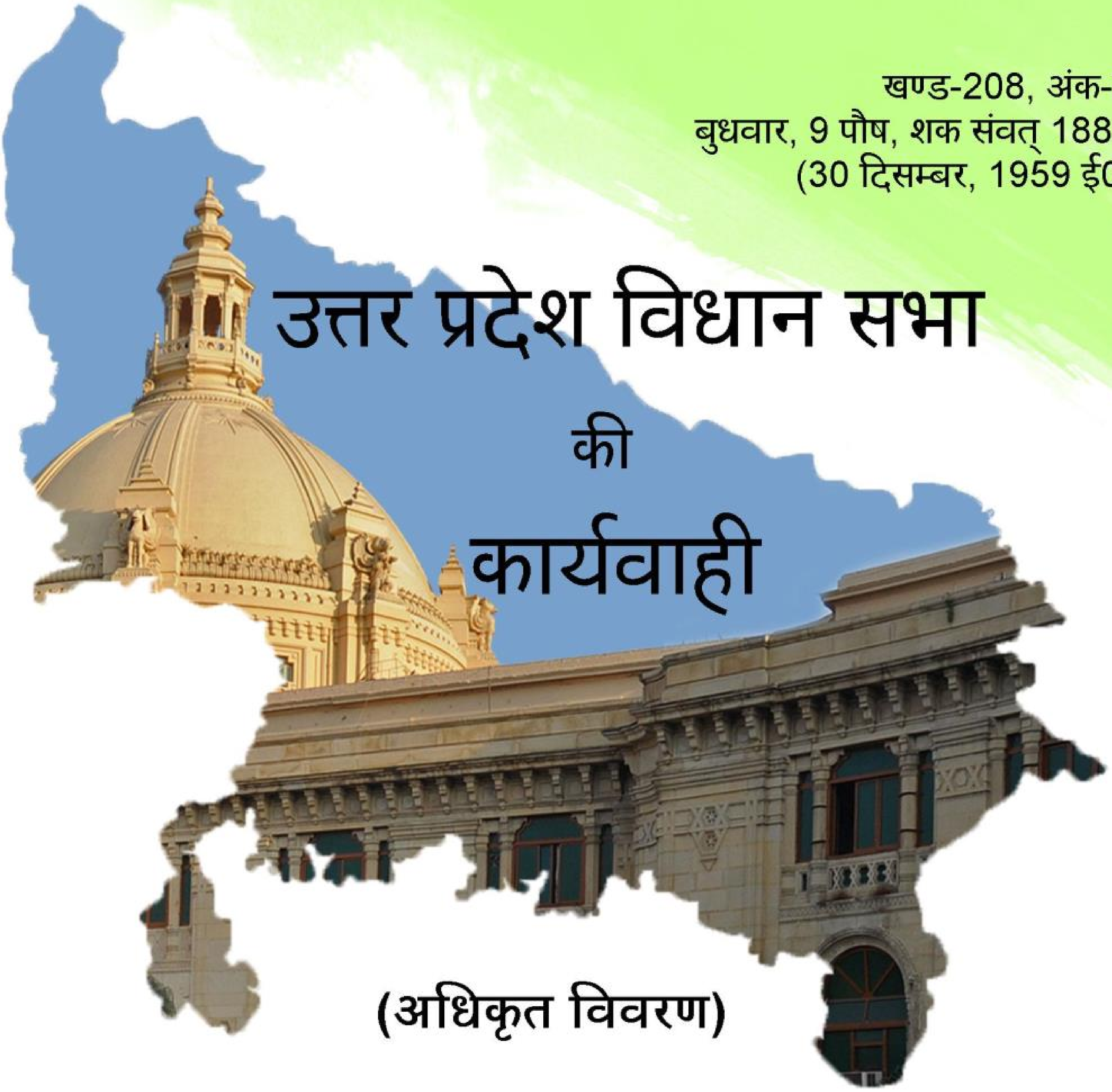

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 208 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ३० दिसम्बर, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३३६

अक्षयवरसिंह, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जरीर जाफ़री, श्री
अवधेशकुमारसिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकार नाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोपाली, श्री

गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र प्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फ़र्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती

बिहारीलाल, श्री
बुद्धोलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री

रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लखमी सिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंग बिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री, श्री महावीरसिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ३० दिसम्बर, १९५९

तारांकित प्रश्न

फतेहगढ़ जिला जेल में विचाराधीन बन्दी श्री कप्तान द्वारा आत्महत्या

*१—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जेल, फतेहगढ़ में २ या ३ अक्तूबर, सन् १९५९ को किसी बन्दी या हवालाती की मृत्यु हुई? यदि हां, तो उस मृत्यु का कारण क्या था ?

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट)—जिला जेल, फतेहगढ़ में ३ अक्तूबर, १९५९ को कप्तान नामक विचाराधीन बन्दी ने तनहाई कोठरी के दरवाजे में अंगौछा बांध कर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली वह किस दफा में गिरफ्तार किया गया था और उसकी उम्र क्या थी ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—यह विचाराधीन बन्दी था और धारा १०९ सी० आर० पी० सी० और १९, आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत यह पकड़ा गया था।

श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब बन्दी १०९ में गिरफ्तार किया गया तो उसे तनहाई में रखने की क्या जरूरत पड़ी थी ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—अध्यक्ष महोदय, इस के बारे में मैं सदन के सामने बतला देना चाहता हूं कि अभी मैजिस्ट्रेट ने इन्क्वायरी की है। पूरी इन्क्वायरी नहीं हुई है। सारी इन्क्वायरी की जा रही है और सरकार पूरी दिलचस्पी के साथ इस केस को देख रही है। प्रधान कारागार निरीक्षक की जो विस्तृत रिपोर्ट होनी चाहिए वह नहीं आयी है। बन्दी अकेला क्यों रखा गया इसके जो कारण मुझे मालूम हैं, मैं बतला देता हूं। वह रात को भाग कर नीम के पेड़ पर बैठ गया और भागने की कोशिश कर रहा था। उसको दो बजे रात को पकड़ लिया गया। दीवार टूटी हुई थी उससे भागने की कोशिश कर रहा था। तो कहीं भाग न जाय इसलिये उसको अकेले में रख दिया गया था।

श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब बन्दी ने आत्महत्या की तो समय क्या था ?

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—करीब एक बजे दिन में।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—जब सरकार को इस बात की जानकारी है कि उसको नौ चोटें थीं तो वह अस्पताल में क्यों नहीं भरती किया गया?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा है इस की अभी पूरी इन्क्वायरी नहीं हुई है। जो मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट है उसी के आधार पर बतला रहा हूं। जो रिपोर्ट है उसके अन्दर कहा गया है कि वह तमाम चोटें मामूली तरह की चोटें थीं, सीरियस इंजरी की नहीं थीं, लेकिन फिर भी अभी पूरी जांच हो रही है।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जब वह गिरफ्तार हुआ और पुलिस द्वारा जेल पहुंचाया गया, तब वह जख्मी था ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—गिरफ्तारी के वक्त जख्मी था इसका कोई जिक्र नहीं है।

श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय उपमंत्री ने यह कहा कि वह नीम पर चढ़ा था और भागने की कोशिश कर रहा था तो क्या नीम का दरख्त दीवार के पास था ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—जी हां, भीतर की दीवार से बाहर चला गया था और जो बाहर की दीवार थी उसके और इसके बीच में नीम का दरख्त था। उस पर यह दो बजे रात को पकड़ा गया।

श्री अवधेशचन्द्रसिंह (जिला फर्रुखाबाद)—क्या मृत्यु के पश्चात् इस बन्दी का पोस्ट मार्टम एग्जामिनेशन किया गया ? यदि हां, तो उसकी क्या रिपोर्ट सरकार के पास आयी ?

श्री नरेंद्र सिंह विष्ट—जी हां। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मेरे पास है। उस रिपोर्ट में भी डाक्टर की यही धारणा है कि यह सूसाइड का केस है और हेंगिंग के जरिये जो कुछ आघात हो जाते हैं सब ऐसे ही आघात मालूम होते हैं। और सारी टेक्निकल बातें इसमें दी हुई हैं। उनसे यही मालूम होता है कि उसने सूसाइड किया हो और अंगोछे से टंगा हो। उससे हार्ट वगैरह पर क्या असर होता है यह सब उसमें दिया है। उनकी धारणा यही है कि यह सूसाइड का केस है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार बतायेगी कि उसके शरीर पर जो चोटें थीं वह बाहर की थीं या जेल के अन्दर की चोटें थीं ?

श्री नरेंद्र सिंह विष्ट—मैं यह पहले ही अर्ज कर चुका कि पूरी रिपोर्ट अभी तक हमारे पास नहीं आयी है।

श्री अध्यक्ष—तो आप नोटिस मांग सकते हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—I want notice।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि हममें से प्रायः सभी या बहुत से ऐसे हैं कि जो तनहाई में बन्द रहे हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि तनहाई की कोठरी के दरवाजे में लटक कर फांसी लगाना सम्भव भी था क्या ? क्या सरकार बतायेगी कि उस दरवाजे की ऊंचाई क्या थी और उस आदमी की ऊंचाई क्या थी और वह उसमें टंग भी सकता था या नहीं ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—इस रिपोर्ट से मालूम होता है कि टंगने के लिए ५ फुट २ इंच होना चाहिए था और उससे कहीं ज्यादा उसकी ऊंचाई थी। उसमें वह टंग सकता था इस रिपोर्ट के अन्दर यह लिखा हुआ है।

श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस वक्त उसने तनहाई में फांसी लगाई उस वक्त उसकी रखवाली पर कोई वार्डर छोड़ा गया था या नहीं ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—वार्डर छोड़ा गया था। १२ बजे उसने खाना दिया। एक घंटा तक उसके पास नहीं था। यह उसकी लापरवाही जरूर मानी जा सकती है। लेकिन मैं फिर दोहरा देना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट अधूरी है पूरी नहीं है.....

श्री अध्यक्ष—लेकिन उससे सदस्य प्रश्न करने से मानेंगे थोड़े ही।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल (जिला आगरा)—माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि रात के २ बजे नीम के पेड़ पर पकड़ा गया, तो क्या वह लाकअप में बन्द नहीं हुआ था ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—साढ़े ६ बजे जब हाजिरी ली गई तो वह ऐब्सेंट मिला। तब उसकी खोज की गई तो वह भीतर की दीवार के बाहर बीच की जमीन में नीम के दरख्त पर २ बजे रात में पकड़ा गया। वह कोशिश यही कर रहा था कि बाहर की दीवार को भी फांद जाय, लेकिन फांद नहीं पाया।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—जब शाम को हाजिरी के वक्त मालूम हुआ कि वह व्यक्ति नहीं है तो कैसे पता चला कि किस वक्त से वह व्यक्ति गायब है और यह गायब होने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है ?

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—४ बजे के करीब वह बाहर की दीवार की तरफ चला गया था और साढ़े ६ बजे हाजिर नहीं हुआ। तो उस वक्त जरूर उनकी गलती है, उसके लिए कार्यवाही की जा रही है।

टाउन एरिया कमेटियों के अध्यक्षों के चुनाव के संबंध में जानकारी

*२—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह कारपोरेशनों, नगरपालिकाओं तथा नोटीफाइड एरिया कमेटियों की तरह ही टाउन एरिया कमेटियों के अध्यक्षों का चुनाव भी उनके सदस्यों द्वारा ही कराने के सम्बन्ध में कोई बिल विधान सभा में प्रस्तुत करने का विचार कर रहे हैं ?

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—जी नहीं।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उनका यह ध्येय है कि टाउन एरिया कमेटी के अध्यक्षों के चुनाव उनके सदस्यों द्वारा कराये जायं ? यदि हां, तो उसको अगले चुनाव तक कार्यान्वित करने की कृपा करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—इसके बारे में अभी कोई निश्चय नहीं हुआ। अभी तक तो डाइरेक्ट चुनाव का कायदा था और अभी भी वही है।

*३-५—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—[स्थगित]

*६—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—[स्थगित]

कूड़ा करकट से मिलवां खाद बनाने के लिए नगरपालिकाओं को ऋण

*७—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शहर के कूड़े-करकट से मिलवां खाद तैयार करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या इस योजना के अन्तर्गत नगरपालिकाओं को सहायतार्थ या ऋण के रूप में धनराशि दी जाती है ?

श्री जयराम वर्मा—जी हां। इस योजना के अन्तर्गत नगरपालिकाओं को ऋण के रूप में धनराशि दी जाती है।

*८—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—यदि हां, तो क्या सरकार उन नगरपालिकाओं के नाम बताने की कृपा करेगी जिन्होंने वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त योजना के अन्तर्गत ऋण या सहायता के लिये धन की मांग की है ?

श्री जयराम वर्मा—जिन नगरपालिकाओं ने वर्तमान वितीय वर्ष में उक्त योजना के अन्तर्गत ऋण के लिये धन की मांग की है, उनके नाम निम्नलिखित हैं :—

१—आगरा,
२—उन्नाव,
३—शिकोहाबाद,
४—कानपुर,
५—गोंडा,
६—बिन्दकी,
७—बस्ती,
८—सिकन्दराबाद,
९—बांदा,
१०—फैजाबाद,
११—हाथरस,
१२—गाजियाबाद,
१३—बहराइच,
१४—औरैया,
१५—चित्रकूट,
१६—बलिया,
१७—गाजीपुर ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन नगरपालिकाओं ने ऋण की मांग की है उनमें से प्रत्येक को कितनी धनराशि दी गई और इस धनराशि पर कितना व्याज लिया जायगा और कितने समय के बाद यह धनराशि वापस करना पड़ेगी ?

श्री अध्यक्ष—आप एक सवाल पूछिये । आपने कई सवाल मिला दिये हैं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जिन नगरपालिकाओं ने ऋण की मांग की है उनमें से प्रत्येक को कितनी धनराशि दी गई ?

श्री जयराम वर्मा—अभी इसका निर्णय नहीं हुआ ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत सरकार किसी भी नगरपालिका को अधिक से अधिक कितना ऋण देने की योजना बना रही है और वह रुपया किस प्रकार से वसूल किया जायगा ?

श्री जयराम वर्मा—उनकी आवश्यकता को देखकर ऋण की धनराशि तय की जायगी और जितना रुपया हमारे पास होगा उसी के अनुसार दिया जायगा ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—श्रीमन्, मैंने अपने सवाल में यह पूछा है कि शहर के कूड़े-करकट से मिलवां खाद तैयार करने की कोई योजना है तो उसी सिलसिले में सरकार ने कहा कि अभी निश्चय नहीं किया है तो क्या सरकार यह बतायेगी कि नगरपालिकाओं ने कोई ऐसी योजना धनराशि की मांग करते समय प्रस्तुत की है कि वे किस तरह से इसका उपयोग करेंगी ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—सीवर व ड्रेनेज वगैरह से इस मैले को फार्म्स पर ले जाया जाता है जिससे खेती होती है और सब्जी वगैरह भी तैयार होती है । इस प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है और जो मैला सिर पर ले जाया जाता है उसको बेचा जाता है ।

श्री राजनारायण--क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि वह कौन-सी नगरपालिकायें हैं जिन्होंने उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिये ऋण या सहायता के लिये मांग की है ?

श्री अध्यक्ष--उन्होंने उनके नाम पढ़कर सुना दिये ।

श्री राजनारायण--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वाराणसी नगरपालिका ने कोई ऋण की मांग की है ?

श्री अध्यक्ष--उनमें उसका नाम नहीं है ।

सीतापुर नगरपालिका के अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को बकाया वेतन न मिलने की शिकायत

*९--**डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा** (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मास जुलाई, १९५३ से दिसम्बर, १९५३ तक म्युनिसिपल बोर्ड, सीतापुर से कितने कर्मचारी रिटायर हुए हैं और क्या उनके वतन का पूरा-पूरा भुगतान हो गया है ? यदि नहीं, तो क्या कारण है कि अब तक रिटायर्ड कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं हुआ है ?

श्री जयराम वर्मा--इस संबंध में आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वांछित सूचना एकत्र की जा रही है, और वांछित सूचना एकत्र न होने के कारण स्थगित किये गये ? इन दोनों में क्या अन्तर है ?

श्री अध्यक्ष--इसका अन्तर तो मैं आपको बता दूंगा । इनमें अन्तर यह है कि वह प्रश्न एक बार मुल्तवी करा सकते हैं, दूसरी मर्तबा मुल्तवी नहीं करा सकते । अगर सूचना आ जाती है तो वे पन्द्रहवें दिन उत्तर दे देते हैं । अगर दूसरी बार भी सूचना नहीं आती है तो इस प्रकार का उत्तर दे दिया जाता है जैसा अभी दिया गया है तो इसमें हम हर पन्द्रहवें दिन उसे लिस्ट करेंगे । दूसरी बार अगर सूचना नहीं आती है तो इस प्रकार का उत्तर दिया जाता है ।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह सूचना कब तक एकत्र हो जायेगी और सूचना एकत्र होने पर उसको सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष--यह तो मैंने बता दिया कि वह तो रखनी पड़ेगी । अब यह सूचना कब तक प्राप्त हो जायेगी, इसका उत्तर माननीय मंत्री जी दे दें ।

श्री जयराम वर्मा--सूचना जल्दी ही आ जायेगी ।

जेल में बी क्लास पाने के लिए नटवरलाल का तिकड़म

*१०--**श्री लक्ष्मण राव कदम**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रसिद्ध ठग नटवर लाल ने, जोकि स्थानीय जेल से कतिपय जेल कर्मचारियों की साजिश द्वारा कुछ समय हुआ निकल गया था, अभी हाल ही में उसने जिला जेल से फिर निकल भागने की योजना बनाई थी ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--जी नहीं ।

नोट--तारांकित प्रश्न ९ श्री मोती लाल अवस्थी ने पूछा ।

*११—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस संबंध में कोई जेल कर्मचारी गिरफ्तार किया गया है और उक्त योजना कार्यान्वित होने के विषय में आदान-प्रदान होने वाले कुछ पत्र भी पकड़े गये हैं ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस संबंध में पुलिस द्वारा लखनऊ में ६ आदमी गिरफ्तार किये गये थे और उनके पास नटवरलाल द्वारा तिकड़म से भेजे गये कुछ पत्र भी बरामद हुए थे ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है 'जी नहीं' और दूसरे भाग के बारे में मैं बतला देना चाहता हूं कि एक वार्डर के पास बिहारी भाषा में लिखी हुई एक चिट मिली थी और उसके अलावा एक दो और छोटी चिटें भी थीं । ये उसके पास बरामद हुई थीं । उसे सस्पेंड कर दिया गया है और उसके खिलाफ उस पर डिसिप्लिनरी कार्यवाही हो रही है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो चिट बरामद हुई है वह नटवरलाल की लिखी हुई थी ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—जी हां । नटवर लाल की लिखी हुई थी मगर ऐसी नहीं थी कि जिसमें भागने की कोई साजिश होती । चिट ऐसी थी कि जिससे तेल मंगाया गया था यानी तेल लाने के लिये लिखा हुआ था । एक चिट ऐसी थी कि जिसमें किसी वकील का पता दिया हुआ है । सारांश यह कि वह यह कोशिश करता था कि उसको बी० क्लास दे दिया जाय और उसके लिये वह पत्र-व्यवहार करता था ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि नटवर लाल के लिये यह हुक्म था कि उसे रात को चेन में रखा जाय लेकिन कुछ समय से उसकी चेन खुली हुई पायी गयी ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

*१२-१३—श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—[स्थगित ।]

*१४-१६—श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)—[स्थगित ।]

कारागार संबंधी सुधार योजनाओं के लिए जानकारी

*१७—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य के कारागारों में कुछ महत्वपूर्ण सुधार करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या हैं ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—कारागारों में सुधार संबंधी योजनायें शासन के विचाराधीन बराबर रहती ही हैं । प्रश्न में किसी विशेष योजना का संकेत न होने के कारण उसका विवरण देना सम्भव नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार सम्पूर्णानन्द कदी शिविर की तरह से और अन्य शिविरों को खोलने का विचार कर रही है ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इधर पिछले कुछ वर्षों में ऐसे आदेश निकले हैं कि त्योहारों पर कैदियों को हलुआ पूड़ा खिलायी जाय और ऐसे कैदियों को भी कि जो चोरी और कत्ल के मामले में सजा पाये हैं ?

श्री अध्यक्ष--उनका उत्तर जो है उसी पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपने किसी योजना की ओर संकेत नहीं किया इसलिये वह उसका जवाब नहीं दे सकते। तो अगर आप एक-एक करके नई बातों की ओर संकेत कर रहे हैं तो उसके लिये वह तैयार होकर नहीं आये हैं।

प्रश्नों के सम्बन्ध में शिकायत

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--प्रश्नों के संबंध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमन्, बहुत-सी सूचनायें होती हैं जिनके बारे में हमें विश्वास दिलाया जाता है कि एकत्र होने पर दे दी जायेंगी लेकिन नहीं दी जाती हैं। मेरे ऐसे प्रश्न दो-दो तीन-तीन साल के पड़े हुए हैं। तो मैं यह....

श्री अध्यक्ष--यह आप मुझको मेरे कमरे में बता दें। वैसे इसके लिये एश्योरेंस कमेटी है, वह इस चीज को देखती है कि कौन-सा एश्योरेन्स दिया गया है और वह पूरा हुआ है या नहीं। अब आप के पास अगर कोई ऐसी सूचना है कि यहां पर कोई एश्योरेन्स दिया गया हो और वह पूरा नहीं हुआ हो, तो आप मुझको बतायें और उसकी तारीख भी लिख कर दें तो मैं उसको देख लूंगा।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--श्रीमन्, प्रश्नों के बारे में एक शिकायत मुझे भी है। मेरा एक प्रश्न था जो कि १९-३-५९ को स्वीकार हो चुका था लेकिन....

श्री अध्यक्ष--आप मुझे इसके बारे में मेरे कमरे में बता दीजियेगा।

श्री शिवप्रसाद नागर--इसके बाद मैंने अल्पसूचित प्रश्न भी दिये....

श्री अध्यक्ष--इस तरह से तो सैकड़ों प्रश्न स्वीकार होते हैं और अस्वीकार भी होते हैं। उसकी जानकारी आप मेरे दफ्तर से मालूम कर सकते हैं; यहां पर नहीं।

आगामी बैठक के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--मैं एक सूचना मालूम करना चाहता हूं कि अब इसके बाद बजट सेशन कब से शुरू होगा, ताकि हम उसी के मुताबिक अपना कार्यक्रम बना सकें।

श्री अध्यक्ष--इसका तो आपको अन्दाजा ही बताया जा सकता है, कोई निश्चित तारीख बताना कठिन होगा। मुख्य मंत्री जी कोई तिथि जो सम्भव हो, बता सकते हैं।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, पहली या दूसरी फरवरी को शायद बसंत पंचमी है। उसके बाद जितनी जल्दी हो सकेगा हम अगली बैठक बुलाने की कोशिश करेंगे।

श्री राजनारायण द्वारा अपने अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में शिकायत

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, मैंने एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछा था उसके उत्तर में मुझे यह सूचित किया गया कि सरकार उत्तर दे सकने में असमर्थ है। इससे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्रश्न को पढ़ा ही नहीं गया है और वैसे ही उत्तर दे दिया गया है। मैंने पूछा था कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बद्री विशाल को भरती करने का निर्णय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एक्जीक्यूटिव काउन्सिल ने गत २८ नवम्बर को लिया था। वह उस यूनिवर्सिटी का बी० ए० का छात्र था और वहीं बी० ए० की परीक्षा में पास हुआ था जिसका नतीजा १५ अगस्त को निकला था।

श्री अध्यक्ष---यह तो आपकी सूचना है ।

श्री राजनारायण---जी हां, यह मेरी सूचना है । मुझे यह उत्तर दिया गया कि २८ नवम्बर को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्जीक्यूटिव काउन्सिल द्वारा लिये गये निर्णय को मंगाना पड़ेगा । मैंने तो यही पूछा था कि क्या वह उस यूनिवर्सिटी का छात्र था और उसका नतीजा १५ अगस्त को निकला था या नहीं । यह ट्रंक-काल करके भी पूछा जा सकता था ।

श्री अध्यक्ष---यह आप मुझे मेरे कमरे में बता दीजियेगा ।

श्री राजनारायण---जी हां, मैं आपको लिख कर भेज दूंगा । आज तो यह सदन में चर्चा हुई ।

श्री अध्यक्ष---कुछ भी हो बहुत से लोगों को इस तरह से शिकायतें रह जाती हैं ।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ के अधीन प्रख्यापित संशोधन*

स्वतन्त्र शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ८७ द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग में बनाये गये एवं नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या २०७-म-नं० १-११-ग-१-कार्य-२-५७, दिनांक १३ नवम्बर, १९५९ के अधीन प्रख्यापित नगर महापालिकाओं के सदस्यों की अनर्हता के सम्बन्ध में किसी प्रश्न को, शासन को प्रतिप्रेषित करने की रीति को विनियमित करने के नियम को उक्त अधिनियम की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियम, १९५४ के अधीन प्रख्यापित संशोधन*

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियम, १९५४ ई० में उद्योग (क) विभाग की विज्ञप्ति संख्या अ-१०२६ (आई) (पांच)/१८-ए, दिनांक ७ दिसम्बर, १९५९ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ की धारा २८ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

द्वितीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति का अष्टम प्रतिवेदन*

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---मैं प्राक्कलन समिति के सभापति की हैसियत से नगर तथा ग्राम नियोजन विभाग से सम्बन्धित समिति का अष्टम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

मान्यवर, पुराने विधान सभा की प्राक्कलन समिति ने नगर तथा ग्राम नियोजन विभाग से सम्बन्धित एक प्रतिवेदन २३ दिसम्बर, १९५४ को विधान सभा में प्रस्तुत किया था । इस प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों के ऊपर सरकार ने जो कार्यवाही की, उसके बारे में ग्राम नियोजन विभाग ने अपने पत्र दिनांक १-३-५७ के साथ अपनी टिप्पणी समिति के सूचनार्थ विधान सभा सचिवालय में भेजी थी । समिति की जिन सिफारिशों से उक्त विभाग सहमत नहीं हुआ उनके सम्बन्ध में पारस्परिक विचार-विनिमय के हेतु स्वीकृत पद्धति के अनुसार उन्होंने श्री चन्द्रमोहन लाल भटनागर, उपसचिव, गृह निर्माण विभाग को सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किया । उनसे

* छापे नहीं गये ।

विचार-विनिमय के उपरान्त, जो समिति के अन्तिम निर्णय हुये, वह इसमें दिये गये हैं। श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से केवल एक मुख्य सिफारिश को पढ़ना चाहता हूं। समिति की यह सिफारिश कि नगर तथा ग्राम नियोजन विभाग केवल एक परामर्शदात्री शाखा के रूप में अपने न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करता रहे और इसके स्टाफ में आगे किसी प्रकार की वृद्धि न की जाय और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग विभाग और इस विभाग में जो ज्येष्ठतम (सीनियर मोस्ट) व्यक्ति हो वह इन दोनों का भार साधक (इंचार्ज) रहे। साथ ही साथ इस अंग को अपने प्राविधिक मामलों में यथासम्भव अधिक स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर दिया जाय।

अन्त में समिति की ओर से नगर तथा ग्राम नियोजन विभाग के जिन पदाधिकारियों से हमें इस मामले में सहयोग मिला है उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न उठाने की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--मेरे पास श्री जंगबहादुर वर्मा जी ने एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न भेजा है। मैं उसके लिये अनुमति नहीं दे रहा हूं क्योंकि कमलापति त्रिपाठी जी ने, जो बाराबंकी के सम्बन्ध में सूचना दी थी, उसमें स्पष्ट कहा था कि उन्हें जिलाधीश, बाराबंकी, से इस सम्बन्ध में, जो सूचना मिली है, वह इस प्रकार है। उसकी असत्यता प्रकट करते हुये माननीय जंगबहादुर वर्मा ने इस प्रश्न को उठाया है। वह सत्य हो या असत्य हो लेकिन मंत्री जी को जो सूचना मिली, वह उन्होंने दी। उसमें कोई जानबूझ कर और गलत सूचना देने का प्रश्न उनके ऊपर लागू नहीं होता।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, इस सम्बन्ध में, ...

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके बैठिये। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं आपको।

श्री राजनारायण--मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं .....

श्री अध्यक्ष--जी नहीं, मैं बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री राजनारायण--मैं इस सम्बन्ध में नहीं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं, जब मैं बोल रहा हूं तो आप बीच में बोल कर उसको रोकना चाहते हैं।

श्री राजनारायण--आप उसको खत्म कर चुके हैं। मैं दूसरे प्रश्न को उठा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--आप बैठ जाइये, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। मैं जब बोल रहा हूं तो आप बीच में नहीं टोक सकते।

श्री प्रताप सिंह ने भी श्री नेगी जी के भाषण के ऊपर विशेषाधिकार उठाने का प्रश्न उपस्थित किया है। वह कुछ देर में आया और अभी मैंने उसको देखा। श्री प्रताप सिंह का यह कहना है कि नेगी जी का यह कहना "हमारे प्रदेश के बाराहोती आदि स्थानों में चीन का कब्जा कभी भी नहीं हुआ" सरासर गलतबयानी है।

यहां पर हर एक व्यक्ति अपनी अपनी इत्तिला के अनुसार भाषण देता है। अगर माननीय प्रताप सिंह यह कहें कि बाराहोती पर चीन का कब्जा है और वह गलत साबित हो तो क्या उनके ऊपर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न आ सकता है या माननीय गोविन्द सिंह बिष्ट ने ऐसा कहा तो क्या उनके ऊपर आ सकता है? मैं कहता हूं कि नहीं आ सकता है। इस सदन में अध्यक्ष को मैजिस्ट्रेट बना कर फौजदारी के मुकदमे करने का स्थान यह नहीं है, यह सदन एक स्वतंत्र सदन है और इसकी बड़ी इज्जत है। यहां पर अगर एक सदस्य किसी गलत बात को अपने हृदय में सच समझ कर कह देता है तो उस विषय को लेकर उस पर कभी भी विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठ

[श्री अध्यक्ष]

सकता। इसके अतिरिक्त जो मंत्री हैं वे भी इन्सान ही हैं। मंत्री होने की वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि उनके मुंह से कभी गलत बात निकल ही नहीं सकती या उन्हें सर्वज्ञ और ईश्वर का रूप होना चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि इस प्रकार के प्रश्न उठाना अनुचित है और यह सदन के समय का अपव्यय करना होगा। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, आपसे एक जानकारी चाहता हूं। आपका निर्णय शिरोधार्य है लेकिन माननीय नेगी जी उस क्षेत्र के रहने वाले हैं और एक सितम्बर को माननीय मुख्य मंत्री ने बाराहोती का वर्णन इस सदन में दिया और श्वेतपत्र, जो चीन को भेजा गया, उसमें लिखा है कि १९५८ में चीन के लोग वहां आये और पं० जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा है इसके बावजूद अगर नेगी जी इस सदन के एक प्रतिष्ठित सदस्य होते हुये यह कह दें कि यह चीज वहां हुई ही नहीं तो फिर मैं इस विषय में आपकी व्यवस्था चाहता हूं। श्रीमन्, मैं तो आपसे पार्लियामेंटरी पद्धति सीखता हूं, मैं अभी विद्यार्थी हूं, मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर कोई कह दे कि सूरज पूरब से निकलता ही नहीं है....

श्री अध्यक्ष---तब आप उसका मजाक उड़ा सकते हैं। आप यह कह सकते हैं कि नेगी जी ने यह बयान दिया और श्वेतपत्र इस प्रकार से है और नेहरू जी ने यह कहा है तो उन दोनों बातों में सही किसको माना जाय, यह सदन स्वयं तय कर लेगा। मैं समझता हूं कि उस सदस्य के लिये यही काफी दंड हो जायगा लेकिन इसके ऊपर विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठ सकता। इसके बाद भी वह सदस्य कह सकता है कि मैं उस बात का यकीन नहीं करता, यानी प्रधान मंत्री की बात का क्योंकि मैं खुद वहां का रहने वाला हूं और वहां की स्थिति जानता हूं।

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)---अध्यक्ष महोदय, मेरे सम्बन्ध में जो गलतफहमी हो गई है उसके लिये मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---अभी और प्रश्न निपट जाने दीजिये, बाद में मैं आपको मौका दूंगा।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि मान लीजिये मैं एक जगह बैठा हुआ हूं और मेरी उपस्थिति में माननीय जंगबहादुर जी बैठे हुये हैं और सदन में मैं आकर यह कहता हूं कि जिला मैजिस्ट्रेट ने हमको यह सूचना दी है कि जंगबहादुर जी मेरी उपस्थिति में यहां पर नहीं थे। अगर ऐसी स्थिति है तो उसमें जिला मैजिस्ट्रेट की क्या गलती है? हमारी उपस्थिति में जंगबहादुर जी बैठे हैं और जिला मैजिस्ट्रेट सूचना देता है कि नहीं बैठे हैं। हम किसकी बात को मानेंगे? जंगबहादुर जी को इसकी जानकारी है और कमलापति जी को भी इसकी जानकारी है। मैं फोटो मंगा रहा हूं जो वहां लिये गये हैं। कितने ही वकील इसकी गवाही देंगे जो वहां मौजूद थे।

श्री अध्यक्ष---जो चार्ज आप कर रहे हैं वह सबसे पहले मेरे कमरे में होना चाहिये। आप मुझे सब मैटीरियल दीजिये। इसके लिये कोई मियाद नहीं है। अगर जानबूझ कर, प्रत्यक्ष देख कर, कोई आदमी असत्य बात करता है तो उसके ऊपर कार्यवाही हो सकती है। चूंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिये इस समय मैं विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषयों की सूचना

श्री अध्यक्ष---नियम ५२ के अन्तर्गत कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो मैं किसी मंत्री जी का कहूं कि उसके ऊपर वक्तव्य दें। एक प्रश्न अवश्य ऐसा मिला है जिसकी मैं इजाजत दे देता लेकिन उन सज्जन ने दस्तखत भी नहीं किये हैं। मैंने उसे मंत्री जी को तो भेज दिया मगर उन्होंने कहा कि इसमें दस्तखत नहीं है। घटना की तिथि भी उसमें नहीं दी है। इसलिये मेरी लाचारी है और यह भी नहीं लिया जायगा।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न में उठाये गये विषय पर श्री जगमोहनसिंह नेगी का स्पष्टीकरण

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---श्रीमन्, आपने कहा था कि मुझे समय देंगे कि मैं अपना स्पष्टीकरण दे सकूं।

श्री अध्यक्ष---हां, कहिये।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---अध्यक्ष महोदय, मैंने ये शब्द कहे थे कि बाराहोती पर बराबर हमारा कब्जा रहा है, हमारी पी० ए० सी० का। वह पठार १५,००० फीट की ऊंचाई पर है और वह बड़ा भारी मैदान है, नीति पास के परली तरफ है। ज्योंही वहां बरफ पिघलनी शुरू हो जाती है, हमारी पी० ए० सी० वहां जाकर अपना कैम्प जमा देती है। उस मैदान में एक ओर हमारी पी० ए० सी० रहती है और मुकाबले पर चीनी कैम्प हमेशा रहता आया है। एक साल हमारे यहां बरफ देर से पिघली और चीनी पहले मैदान में पहुंच गये मगर हमारी पी० ए० सी० ने भी जाते ही अपना कैम्प वहां लगा दिया। श्वेतपत्र में आया है जरूर कि वे भी रहते थे नदी के पार। मगर हमारी पी० ए० सी० ने बाराहोती का कब्जा पिछले साल भी नहीं छोड़ा। यही मेरा मंतव्य था।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---प्राइम मिनिस्टर का श्वेतपत्र सही है या मंत्री जी का बयान सही है ?

श्री अध्यक्ष---आप जिसे सही मानना चाहें मान लें।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---माननीय मंत्री जी ने जो कहा कि बाराहोती हमारा भी है और चीन का भी है, इससे जो हमारे खिलाफ बाहर एवीडेन्स बनेंगी जरा उसका भी अन्दाजा करें। कल ही चीनी रेडियो पर कहा जायगा कि बाराहोती उनका भी है। यहां चीन को खबर देने वालों की कमी नहीं है।

श्री अध्यक्ष---आप चीन की और बातें सुझाइये मत।

चीन द्वारा भारतीय सीमा के अतिक्रमण के सम्बन्ध में प्रस्ताव (क्रमागत)*

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---मुझे कितना समय और मिलेगा, श्रीमन् ?

श्री अध्यक्ष---आपके ७ मिनट बाकी हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह---चूंकि तारतम्य टूट गया है, इसलिये एकाध मिनट और देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष---ठीक है।

कुंवर श्रीपाल सिंह---श्रीमन्, मैं कल निवेदन कर रहा था कि हमारी सभ्यता और संस्कृति यह है कि हमें अगर कोई ललकारेगा, तो भले ही हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, मगर किसी की लाल पीली आंखें या ललकार सह नहीं सकते हैं। आज हमें यह डराया जाता है कि चीन को रूस से एटम बम और हाइड्रोजन बम मिल जायगा और उनसे चीन हमारा सत्यानाश

---

* २९ दिसम्बर, १९५९ की कार्यवाही से।

[कुंवर श्रीपाल सिंह]

कर देगा। चीन को अगर एटम बम मिलेगा तो वह नाक रगड़ने पर और खुशामद करने पर मिलेगा। लेकिन क्या हमारे यहां की एटामिक भट्ठियां आलू पका रही हैं? हम भी ऐसे बम्ब बना सकते हैं और बना रहे हैं। हम और देशों की तरह से अपने मुंह मियांमिट्ठू नहीं बनना चाहते हैं। मगर हमारे पास भी सभी चीजें हैं और जब समय आवेगा तो वे सामने आवेंगी।

आज हमें उन विदेशी हमलावरों से उतना खतरा नहीं है जितना कि हमें चीन के ऐजेंटों से है जो यहां मौजूद हैं देश में। यहां भले ही कुछ लोग यह कहें कि हम भी देश-भक्त हैं, राष्ट्रीयता की दुहाई दें, मगर उनका धर्मशास्त्र और दर्शन देखने से मालूम होगा कि उनके धर्म के रचयिताओं ने लिखा है कि राष्ट्रीयता कोई चीज नहीं है। वे यह नहीं मानते हैं कि किसी राष्ट्र के लोग दूसरे राष्ट्र के लोगों से अलग हो सकते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह अपने प्रदेश में कम से कम ऐसी पार्टियों को अवैधानिक करार दें। हमारे देहात में कहावत है कि "बाजा बाजे बिल्हर में, बुड्ढी नाचे अरहर में"। जुकाम हो चीन में या रूस में और उसकी छींक आवे मेरठ में। मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी जल्द से जल्द इस खतरनाक पार्टी पर प्रतिबन्ध लगावें। नेता सदन की विद्वता, बहादुरी और चरित्र पर मुझे पूरा विश्वास है। इसलिये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि भले ही हम फौज नहीं रख सकते हैं मगर पी० ए० सी० को हमें बढ़ाना चाहिये। जितने भी इस वक्त हमारे काम हो रहे हैं, जिन जगहों पर हमारा रुपया लगा हुआ है, उनको रोक कर इस विदेशी खतरे से मुकाबला करने के लिये हमें अपनी पी० ए० सी० का विस्तार करना चाहिये। हमारे प्रदेश की आबादी ७ करोड़ है, आप उनमें से ७ लाख जवानों को भर्ती कर सकते हैं और उनके द्वारा चीनियों को ललकार सकते हैं कि एक इंच भी आगे अगर पैर बढ़ाओगे तो पैर काट लिये जायेंगे। आशा है माननीय मुख्य मंत्री जी मेरी बात पर ध्यान देकर इसको बढ़ाने की कृपा करेंगे।

श्रीमन्, एक चीज और अर्ज कर देना चाहता हूं वह यह कि एक विशिष्ट जाति के लिये गीता में लिखा हुआ है कि उसका एक स्वाभाविक गुण होता है, उस गुण की शपथ खाकर मैं श्रीमान के द्वारा यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि मेरा धन, मेरी धरती, मेरा परिवार, मेरा शरीर, मेरे प्राण आदि जितनी भी चीजें हैं उनकी जिस वक्त देश और प्रदेश को आवश्यकता हो माननीय मुख्य मंत्री जी उसके लिये मुझे आज्ञा देने में जरा भी संकोच न करें। इन शब्दों के साथ में माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन अन्दरूनी और बाहरी खतरों का सामना करने के लिये जल्द से जल्द जो भी कदम वे उठायेंगे उनका हम स्वागत करेंगे।

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी (जिला गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, म आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विवाद में शामिल होने का मौका दिया जो दो एक दिन से इस सदन में चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि आज गिरिराज हिमालय, हमारा प्रहरी और पासवां, जिसको हम सदियों से समझते रहे, खुद खतरे में आ गया है। भारत की करीब ४ हजार मील लम्बी सीमा काश्मीर से लेकर नागा पहाड़ियों तक चली गयी है, वह आज बहुत खतरनाक स्थिति में है। यह भी सही है कि यह खतरा हमारे ही एक ऐसे दोस्त के द्वारा पैदा किया गया है जो कल तक हमारा कोलम्बो और बांडुंग का साथी था, जो हमारा सहअस्तित्व और पंचशील का सहनिर्माता था और जिससे हमें ऐसा भरोसा था कि वह हमारे साथ मिलजुल कर एशिया में न्यायपूर्ण संबंध कायम करने का भरसक प्रयत्न करेगा। उसी दोस्त ने आज हम पर हमला किया है। मुझे विश्वास है कि हमारे दोस्त, जिन्हें हमारे साथी इस चीन के आक्रमण संबंधी मामले में संदेह की दृष्टि से देखते

हैं, वे भी इस देश को अपनी जन्मभूमि और प्रेरणादायिनी शक्ति समझकर नये चीन की इस हरकत पर खेद प्रकाशित करेंगे। यह भी सही है कि नये चीन की तरफ से युद्ध की तैयारियां जारी हैं।

मुख्य मंत्री जी ने इसी सदन में कहा था कि यह बात सही नहीं है कि वहां कुछ पर्वतों में एक अजीब रोशनी दिखलायी देती है या उसका युद्ध की तैयारी से कुछ सम्बन्ध है। मैं आपके द्वारा अपने मुख्य मंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में अपने वैज्ञानिकों से फिर पुछवा लें कि यह बात क्या है, क्योंकि श्रीमन्, मैं जिस इलाके से आता हूं, वहां केदारनाथ के पास १० हजार फीट की ऊंचाई पर त्रियुगी नारायण हैं जो चौखम्भा के भी बिलकुल पास है। अब भी सारे गढ़वाल में रात और दिन त्रियुगीनारायण के पीछे चौखम्भा के पास रोशनी दिखलायी देती है और धमाके तथा धड़ाके की आवाज सुनाई देती है। वैसे ही संवाद और अन्य स्थानों से भी मिले हैं और यह भी मालूम हुआ है कि केदारनाथ के पास मठमहेश्वर घाटी में कुछ दिन पहले दो पैराशूट की छतरियां भी देखी गयी थीं। यह भी मालूम हुआ है कि केदारनाथ और चौखम्भा के पास हमेशा कुछ हवाई जहाज उड़ा करते हैं जो हमारे देश के कतई नहीं हैं। वे किसी बाहरी देश के हैं। ऐसा सब लोग अपनी आंखों से देखते हैं। ये सब हरकतें हमारी नहीं बल्कि ऐसे लोगों के द्वारा हो रही हैं जिनके विषय में काफी चर्चा उन लोगों से भी प्राप्त होती है जिनको हम भोटिया कहते हैं और जो इस वर्ष के व्यापार के पश्चात् कुछ ही समय पहले तिब्बत से लौटे हैं, ऐसी हरकतों से जनता के दिल में भय पैदा होना स्वाभाविक है। मैं आपके द्वारा इस सरकार से और केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह जनता को इस प्रकार के भय से मुक्ति देने की बराबर कोशिश करें।

श्रीमन्, हमको यह भी भय है और इस भय का कुछ ऐतिहासिक आधार भी है कि हमको उन सभी दर्रों की पूरी-पूरी जानकारी नहीं है जिन दर्रों के द्वारा पड़ोसी चीन देश हम पर हमला करना चाहता है और उन दर्रों का वह इस्तेमाल कर सकता है। मुझे ज्ञात हुआ है कि त्रियुगीनारायण के पास ही एक दर्रा है....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य किसी नये दर्रे की सूचना किसी को और न दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी—श्रीमन्, आपके द्वारा मैं इस सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि यह सही है कि इन दर्रों की सूचना हमको यहां नहीं देनी चाहिये लेकिन जनता में भय न रहे, जनता अपना आत्मविश्वास न खोवे, इसके लिये यह भी जरूरी है कि सरकार उन दर्रों का सर्वेक्षण करे और संकट के समय उन दर्रों तक हमारी फौजें आसानी से पहुंच सकें, इसके लिये मार्ग निर्माण करे। मैंने त्रियुगीनारायण का जिक्र इसलिये किया था कि कुछ दिन पहले भारत सरकार की तरफ से उन तमाम सड़कों की लिस्ट निकली थी जिनको हमारे देश की सुरक्षा की खातिर हमारे प्रदेश के सीमान्त इलाके में सरकार को बनाना है। उस लिस्ट में इस त्रियुगीनारायण का कहीं जिक्र नहीं है, इसलिये कुछ शंका होती है, इसीलिये मुझे उसका जिक्र करना पड़ा।

श्रीमन्, इतना सब कह देने के बावजूद मुझे इस बात पर गर्व है और मैं आपके द्वारा अपने राष्ट्र नायक पंडित जवाहर लाल नेहरू को बधाई और धन्यवाद देता हूं कि हमारे पड़ोसी देश चीन की ऐसी हरकतों के बावजूद, हमारे साथ उसके खुले आम दगाबाजी और बेवफाई करने के बावजूद उन्होंने काफी बुजुर्गियत दिखलायी है, उन्होंने काफी विवेकशीलता और सयानापन दिखाया है और जो शीतयुद्ध एक ऊष्ण युद्ध में परिवर्तित हो सकता था, वह उन्होंने अपनी सहनशीलता और संयम से नहीं होने दिया है। मुझे विश्वास है कि इस नीति के फलस्वरूप चीन समूचे विश्व की जनता के सामने आज अपराधी के रूप में खड़ा है और भारत की मर्यादा और गरिमा बढ़ी है। हमें विश्वास है कि अगर हम अपनी इस नीति पर दृढ़ रहें तो चीन के साथी अन्य कम्युनिस्ट देश भी उसको इस रास्ते से आगे बढ़ने से रोकेंगे और आज मैं इस आदरणीय सदन में इसके लिये रूस के प्रधानमंत्री श्री ख्रुश्चेव के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने चीन के आगे बढ़ते हुये आक्रमणकारी कदम और उसकी चालों को रोका है। माननीय नेहरू जी की नीति कितनी विवेकपूर्ण और कितनी लाभप्रद रही है....

श्री अध्यक्ष---अच्छा हो यदि नीति के विषय में आप विशेष चर्चा न करें क्योंकि दूसरे लोग फिर उस पर टीका भी कर सकेंगे, इसलिये मैंने नीति के प्रश्न को छुड़वा दिया है, और अन्य बातें आप कहें ।

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी---हमारे इधर के भाइयों ने और उधर के बैठने वाले भाइयों ने भी इस समय पूरा-पूरा आश्वासन सरकार को दिया है कि यदि ऐसा मौका आया और चीन ने हम पर हमला किया तो हम एक स्वर से, तन से, मन से एक होकर देश की सुरक्षा करेंगे लेकिन देश की रक्षा केवल फौजों के द्वारा ही नहीं हो सकती । कुछ दिन पहले हमारे प्रधान मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्री श्री मेनन ने कहा था कि देश की रक्षा के लिये जरूरी है कि देश के नागरिकों में आत्मविश्वास और श्रद्धा हो, आज जब कि देश खतरे में है तो यह जरूरी है कि लोगों में प्रजातन्त्र के प्रति आत्मविश्वास आये । लेकिन वह आत्मविश्वास कैसे आता है ? उसके लिये भी कुछ मूलभूत भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना जरूरी होता है । एक आवश्यकता तो यह है कि जहां-जहां पर भी इस समय पी० ए० सी० की टुकड़ियां हैं, जब तक वह वहां रहेंगी और उनका स्थान हमारी फौजें ग्रहण नहीं करेंगी तब तक वहां की जनता में आत्मविश्वास नहीं आ सकता । जब तक उन दर्रों तक जहां से हमला हो सकता है सड़कें नहीं बनाई जायंगी तब तक वहां के लोगों में आत्म-विश्वास नहीं आ सकता है । उस आत्मविश्वास को पैदा करने के लिये, जो सीमान्त क्षेत्र की चार जिलों की जनता है, उसकी ओर से वहां के विधायकों ने कुछ सुझाव जिम्मेदारी के साथ सरकार के पास भेजे हैं, यहां की सरकार और भारत सरकार के पास वे सुझाव गये हैं ।

मेरा आपके द्वारा प्रादेशिक सरकार और भारत सरकार से नम्र निवेदन है कि जो हमारी ये दस मांगें हैं जो हमारे यहां के विधायकों ने पूर्ण जिम्मेदारी के साथ सरकार के सामने पेश की हैं उन पर तुरन्त विचार हो । हमारी पहली मांग यह है कि इन कुमायूं के चारों जिलों के पहाड़ी क्षेत्र को बार्डर इलाका घोषित किया जाय ताकि उस इलाके का समुचित विकास हो सके और वह केवल प्रादेशिक सरकार की वित्तीय सहायता से नहीं हो सकता, उसके लिये केन्द्रीय सरकार की सहायता की आवश्यकता है । दूसरी मांग हमारी यह है कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक और टनकपुर से बागेश्वर तक रेलवे लाइन हो । अंग्रेजी शासन काल में एक बार इसके लिये वहां सर्वेक्षण भी हुआ था लेकिन अब समय आ गया है जब कि इन दोनों रेलवे मार्गों का निर्माण होना चाहिये । तीसरी सिफारिश हमारी यह है कि पर्वतीय इलाके में जहां पर समतल भूमि है वहां पर आधुनिक ढंग के हवाई जहाज के अड्डे स्थापित किये जायं । अगस्तमुनी और गौचर ऐसे स्थान हैं जहां पर हवाई अड्डे कायम किये जा सकते हैं । तीसरी मांग हमारी यह थी कि जो प्लानिंग सीमान्त इलाके के लिये हो वह इस प्लानिंग से कुछ पृथक हो जो कि देश के शेष हिस्से के लिये होता है क्योंकि सीमान्त इलाकों की भौगोलिक और आर्थिक स्थिति अन्य इलाकों से भिन्न है । अगर हम प्लेन्स की तरह पहाड़ों में भी खेती को आगे बढ़ाने पर जोर दें तो खेती हमारे पहाड़ी इलाके में लाभप्रद उद्योग नहीं होगा । वहां बागवानी पर जोर देना पड़ेगा । छोटे बड़े उद्योगों पर जोर देना पड़ेगा । मैदानी हिस्से के प्लानिंग से पहाड़ी हिस्से का प्लानिंग भिन्न हो, यह हमारी मांग है ।

***श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)---माननीय अध्यक्ष महोदय, दो दिन से जिस महत्वपूर्ण विषय पर विवाद हो रहा है उसमें बहुत सी बातें कही गईं लेकिन एक बुनियादी सवाल मैं माननीय सदन के समक्ष बतलाऊंगा । उसको बतलाने के पहले मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि जो भी तथ्यपूर्ण बातें मैं रखूंगा उसमें मेरी व्यक्तिगत जानकारी होगी । जिस समय लखनऊ में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां महापालिका पर कब्जा करने में लगी थीं उस समय मैं प्रचार सोश-लिस्ट पार्टी के एक सिपाही के नाते गढ़वाल के माना गांव से लेकर लीपूलेक तक के स्थानों का दौरा कर रहा था ।

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमन्, प्रश्न यह नहीं है कि चीन से हमारी बाउन्डरी मिलती है या नहीं बल्कि प्रश्न यह है कि अगर चीन हमारे ऊपर न भी आये तो क्या हम अपनी सीमा की रक्षा कर सकते हैं ? हमें अपनी पालिसी को बदलना पड़ेगा । श्रीमन्, सन् १९५४ में ट्रीटी साइन हुई । उसमें चाउ-एन-लाई ने भी इस बात को माना कि तिब्बत हमेशा आटोनोमस रहा है । आज तिब्बत की आटोनामी पर चीन ने हमला किया है । उत्तर प्रदेश की सरकार और इस सदन को यह सिफारिश करनी पड़ेगी कि हमें तिब्बत के सवाल को फिर से ओपेन करना चाहिये । अगर तिब्बत चला जायगा तो हिन्दुस्तान के बार्ड की रक्षा नहीं हो सकती । श्रीमन्, अब तक की जो खराबी है इसके दो कारण हैं । एक तो उत्तर प्रदेश सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति और दूसरा हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्र विरोधी आन्दोलन ।

श्रीमन्, कल श्री जगमोहनसिंह नेगी ने कहा कि पर्वतीय इलाके के रहने वाले छाती फुलाकर रहते हैं और माल खाते हैं । श्रीमन्, वहां का नग्न चित्र श्री जगमोहन सिंह नेगी और श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट को नहीं दिखाई दे सकता । माननीय बलदेव सिंह आर्य को वह मालूम है । मैं आपके द्वारा माननीय बलदेवसिंह जी को याद दिलाना चाहता हूं उस घटना की जब कि फारेस्ट फक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष के नाते वह ग्वालदम में पहुंचे थे तो वहां पर ढाई हजार आदमी खड़े थे । उनमें से उठ कर लोगों ने गढ़वाली में कहा कि एक समय का खाना नहीं है और उसके बाद कहा जाता है कि धीरज रखो । लेकिन पर्वतीय इलाकों के बसने वालों का मारल डाउन नहीं हो सकता चाहे सरकार कुछ करे या नहीं । फिर भी जो हकीकत है हमें उसमें जाना चाहिए । सरकार ने क्या किया ? श्रीमन्, सरकार की एक रिपोर्ट है "The land of Bhotias", सन् १९५२ की रिपोर्ट है, इसमें लिखा है :—

"The political upheavals in the border land have brought this issue to the fore-front. Almost every department is preparing a scheme for the development of the Bhot area, but there is no consolidated plan available. Indeed, it is surprising that the District Plan prepared by the District Planning Committee recently contains absolutely no item for the development of this area."

यह तो रही डेवलपमेंट की बात । अब सुरक्षा के बारे में कहा है कि:—

"The Red Star is looming large on our horizon. The inhabitants of the bordering areas are ethically and racially one with those across the border. Bonds of blood sometimes prove strongest. The Tibetans have not yet given up their claims over the Bhot pattis. Poverty is the biggest ally to communism and economic prosperity the greatest bulwark against it. It is against that background that an all out effort to improve the condition of the Bhotias has become an urgent necessity now."

यह ४०,००० भोटियों के लिये कहा गया है । लेकिन अब तो यह प्रश्न पूरे देश का हो गया है । अगर आज इस मसले को नहीं सुलझाया जाता तो समस्या जटिल रूप धारण कर सकती है । मैं क्यों इसको सरकार की जिम्मेदारी कहता हूं ? मैं और आप नहीं रोक सकते हैं, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री रोक सकते हैं । आपको बताऊं कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के द्वारा गरीबी का मजाक उड़ाकर तिब्बत में लोगों को ले जाया गया और एक मेज पर दिखाया गया कि चीन में भंगी और एस० पी० साथ खाना खाते हैं । कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता डिसगाइज में जाकर यह कहते हैं कि भंगी और एस० पी० एक तरह से रहते हैं । क्या यह मनोवैज्ञानिक परिवर्तन करना नहीं है, क्या देशद्रोहिता की भावना फैलाना नहीं है ? मुझे माननीय झारखंडे राय जी का भाषण सुनकर खुशी हुई, जो पिछले दिनों उन्होंने इस विषय पर दिया था । चाहे उन पर भले ही पार्टी की तरफ से अनुशासन की कार्यवाही हो, मगर उनका स्टैन्ड ठीक था । आज परिस्थिति का यह तकाजा था कि कम्युनिस्ट दोस्त कहते कि चीन का हमला गलत है । प्रधान मंत्री तो आक्रमण कहते हैं लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी कहती है आक्रमण नहीं है । मेरठ सेशन में भी ऐग्रेशन के बारे में रिजोल्यूशन साइलेंट है ।

[श्री प्रतापसिंह]

इसके अलावा साइकोलाजीकल मूव क्या क्या किये गये जरा उसको भी देखें। तिब्बत के एक सिपाही ने हमारे यहां के एक सिपाही से कारतूस ले लिया और उस भारतीय सिपाही को तिब्बत के बार्डर पर लाया गया और फिर गोली से उसको उड़ाया गया और उसको पेड़ से टांग दिया। कम्युनिस्ट लोग कहते हैं कि तुम्हारे यहां घूस ली जाती है, सरकार कोई ऐक्शन नहीं लेती लेकिन हमारे यहां की सरकार कारतूस चुराने पर गोली मारती है। अशिक्षित होने के कारण उन लोगों को ऐसी बातों पर विश्वास हो जाता है। सरकार ने वहां के लोगों की शिक्षा सुधारने के लिये सन् १९५२ से कोई कोशिश नहीं की। मैं जानता हूं, हकीकत को बयान करने में माननीय मुख्य मंत्री जी नाराज नहीं होते हैं, सही बात को सामने लाना चाहिये।

इसके अलावा मैं उत्तर प्रदेश की सरकार का एक और नमूना पेश करता हूं। आखिर में लीपू लेक है, यहां से तीन मील पर पाला पड़ता है। पाला में लासा रोड आयी है। लीपू लेक से कालापानी तक का २०-२२ मील का एक टुकड़ा सरकार ने बना दिया और काला पानी से धारचूला तक कोई लिंक नहीं है। मैंने यहां के चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि आखिर इस सड़क के बनवाने का क्या महत्व है जब तक कि उसको धारचूला तक नहीं मिलाया जाता? उन्होंने कहा कि लीपूलेक से कालापानी की सड़क की स्ट्रेटेजी है, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं है। गरबियांग में चीन वालों को आने के लिये उत्तर प्रदेश की पी० डब्ल्यू० डी० ने सड़क दी या नहीं दी? तो आखिर इस तरह के काम करने से कोई फायदा नहीं है। जो सड़क बनायी जाय उसकी स्ट्रेटेजी खूब अच्छी तरह से सोच समझ कर बनायी जाय। यह न हो कि बनाये हम और उसका फायदा हमारा दुश्मन उठाये। देश की सुरक्षा के लिये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो यहां नहीं बतायी जा सकतीं।

मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को पत्र लिखा है कि देश की सुरक्षा के लिये मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं, आप मुझे मौका दें। हमारी सरकार समाजवादी किस्म की है। अगर चीनी के परमिट के लिये माननीय जगमोहनसिंह नेगी जी को लिखते हैं, तो जवाब आता है कि प्रश्न विचाराधीन है। अगर देश की सुरक्षा के सम्बन्ध में कुछ लिखा जाय तो उसका भी जवाब आता है कि प्रश्न विचाराधीन है। हम मुख्य मंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाने को तैयार हैं, लेकिन जो वस्तुस्थिति है उससे आंख नहीं बन्द की जानी चाहिये। आखिर पर्वतीय इलाके में सरकार ने क्या किया? क्यों आज तक सरकार सोई रही? मान्यवर, गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, उतना जितना कि अफसरों का जो कि उपेक्षापूर्ण बर्ताव अपनाते हैं। सन् १९४७-४८ से ले कर आज तक किसी कमिश्नर ने हिम्मत की कि वह बोर्डर एरियाज का टूर करता? बाराहोती कोई गया? श्री जगमोहन सिंह नेगी जी अपने गांव को देखें। वहां की जनता एक-एक टुकड़े के लिये मोहताज है। नौ महीने तक कोई काम नहीं है और तीन महीने ठंड में जब वहां पेड़ नहीं उगते तो अनाज कहां से पैदा हो सकता है। मेरी प्रार्थना है कि सबसे पहले हम सुरक्षा का इन्तजाम करें चाहे सारे प्लान्स को छोड़ दें। आज देश में पहले डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है जितनी कि सुरक्षा की जरूरत है। अगर सारे देश का निर्माण कर दें और सुरक्षा नहीं है तो निर्माण किसके लिये होगा? लिहाजा सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं कहूंगा कि मिलिटरी वहां डाली जाय। मान्यवर, अपनी चीज की बगैर सुरक्षा किये हुए चोर को गाली देने से कोई लाभ नहीं होता। चोर को रोज गाली देते रहिये और अपनी चीज पर कब्जा न करिये यह कहां की बुद्धिमानी है? मैं माननीय मुख्य मंत्री व पं० जवाहरलाल नेहरू की बुद्धिमत्ता पर शक नहीं करता लेकिन जो आफिसर्स बोर्डर के लिये नियुक्त हैं वे अल्मोड़ा में रहते हैं या नैनीताल में रहते हैं। प्लान्स बनते हैं लखनऊ और दिल्ली में बैठ कर और बार्डर एरिया के लिये भी वही प्लान है जो प्लान दिल्ली व लखनऊ के लिये है। ६०,००० और ४०,००० का ब्लाक बनता है चाहे कितना बड़ा एरिया हो। एरिया के आधार पर ब्लाक बनना चाहिये न कि पापूलेशन के आधार पर वहां पर २ पटवारी के सर्किल में एक ब्लाक बने चाहे १२ लाख के बदले एक लाख रुपया दिया जाय।

मैंने सरकार को लिखा कि जो भोटिया बच्चे हैं उनकी फीस माफ कर दी जाय लेकिन हुआ यह कि जो वजीफे कल मिल रहे थे वे भी आज नहीं मिलते।

कम्युनिस्टों का जहां तक सवाल है उनका कहना है कि टनकपुर से लेकर लीपू लेक तक और जोशीमठ से लेकर माना तक नान-पोलिटिकल एरिया करार दे दिया जाय। सरकार को इसके प्रति सचेष्ट रहना चाहिये।

दो तीन सज्जनों ने कल यहां कहा कि प्रेस गलत छापता है। मैं प्रेस को बधाई देता हूं, जिसने प्रजा सोशलिस्ट के एक छोटे से कार्यकर्त्ता के साथ भ्रमण किया और प्रेस को सूचनायें दीं और सरकार का ध्यान आकर्षित किया। ये सारी चीजें हैं।

मेरी चार मांगें हैं देश को बचाने के लिये। पहले वहां पर पूरी तरह से मिलिटरी का इंतजाम किया जाय। जो भूमिहीन हैं उनको तराई भावर में अविलम्ब जमीन दी जाय और सरकार वहां सर्वे कराये। एग्रीकल्चरल लेबर के बारे में कहा गया। पता नहीं वह कैसे जिन्दा रहता है, जिसकी आमदनी ३ रुपये महीना है। ये सारे सवालात हैं जिन पर भारत सरकार को सोचना चाहिये। आज हमें राष्ट्रीयता का त्योहार घर-घर मनाना चाहिये और इस बात की जरूरत है कि जो बंकिमचन्द्र चटर्जी का गीत है 'बन्दे मातरम्' वह घर-घर गाया जाय। आज सन् १९४२ जैसे आन्दोलन की जरूरत है। राष्ट्रीयता का त्योहार मनाने के लिये हम १४ और १५ को बागेश्वर में जायंगे। वहां आप सब लोग आइये। ये बार्डर कांफ्रेन्सेज लखनऊ व दिल्ली में बुलाने से काम नहीं चलेगा।

मिनिस्टरों के कार्यालयों में ऐसे आदमी हैं जो बाहर सूचना दे देते हैं कि मुख्य मंत्री और प्रताप सिंह की क्या बातचीत हुई या प्रताप सिंह ने उनको क्या लिखा। ये आस्तीन के सांप हैं, जिनको आपने पाल रखा है और उनसे देश की सुरक्षा को खतरा है।

पिछले साल तो जौनजीवी मेले में कम्युनिस्ट कार्यकर्त्ता नहीं थे लेकिन इस साल काफी थे। बागेश्वर में भी थे। इसलिये मेरी मांग है कि काठगोदाम, कोटद्वार, हरिद्वार व जोशीमठ इन जगहों पर पूर्ण रूपेण पहरा होना चाहिये और जो इधर लाइन है उस पर भी पहरा होना चाहिये, क्योंकि मैं देखता हूं कि यह खुली छूट है कि जो हिन्दुस्तानी चेहरा वाला कोई आदमी है वह वहां जा सकता है। बोर्डर पर आखिरी गांव माना है। बद्रीनाथ के नाम पर हर आदमी वहां जा सकता है। इससे क्या कोई सुरक्षा है? जोशीमठ से हमारा बोर्डर ५ मील पड़ता है, जोशीमठ पर हमारी पी० ए० सी० है, जोशीमठ से हमारा बार्डर ५० मील है। क्या वहां पर कोई सुरक्षा का इन्तजाम है? भगवान् न करें कहीं ऐसा हो कि कल को बद्रीनाथ के पट खुलें और मालूम हो कि वहां चीन आ गया। मैं अपनी पार्टी की ओर से आज यह कहता हूं कि हम मुख्य मंत्री के साथ हैं। वह सिफारिश करें कि तिब्बत की आटोनामी का सवाल फिर से खोला जाय तभी हमारे बार्डर की सुरक्षा हो सकती है।

*श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बौद्धिक युद्ध में आज चीन की पराजय हो चुकी है। युद्ध के जितने खण्ड हैं उनमें बौद्ध युद्ध जो प्रारम्भ हुआ था उसमें हम पंडित जवाहर लाल नेहरू को धन्यवाद देते हैं कि आज संसार के अन्तर्गत कोई ऐसा देश नहीं है जो हिन्दुस्तान के पक्ष में न हो। चीन को कोई साथी नहीं मिलता है। पथ-भ्रष्ट साथियों ने जो चीन को पथ दिखाया उससे चीन की जो दुर्गति हो रही है उस पर हमको दया आती है। चीन आज पच्चीस सौ वर्ष से युद्ध में इतना रत है कि उसे मानव जीवन के मूल्यांकन का कोई अनुभव नहीं है। उसका यह प्रयास कि हिमालय को पार करने के पश्चात् कम्युनिज्म का प्रचार विशेष होगा, इसके अन्तर्गत भी उसके पराजय होने का अवसर आ रहा है। मेरा ऐसा विश्वास है कि जिस पाप को उन्होंने तिब्बत में किया है उसका घड़ा पूर्ण हो गया है क्योंकि संभव है कि तिब्बत स्वतंत्र हो जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामलखन मिश्र]

आज हिन्दुस्तान की सामरिक शक्ति का मारेल इतना ऊंचा है कि जिसका वर्णन हम यहां नहीं कर सकते। यह मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं बल्कि एक जानकारी के बल पर कह रहा हूं। हमारी सैनिक शक्ति का एक-एक सिपाही १५ चीनी सैनिकों के बराबर है। मैं पहाड़ों की और बरफ की बात नहीं करता लेकिन जो आज मद्रास, इलाहाबाद या और जगह हमारी पल्टन पड़ी हुई है उसका एक-एक सिपाही जानता है कि लद्दाख से लेकर नेफा एरिया तक हमें किस जगह जाना होगा। आज नेपोलियन के वक्त के कोटेशन्स इस वक्त लागू नहीं होते। चीन बुद्धि स्तर पर हिन्दुस्तानियों से बहुत कमजोर है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने संसार के सभ्य देशों के साथ चीन को बैठाने का प्रयत्न किया पर वह न हो सका। आज वह अन्धकार में पड़ा हुआ है। आज चीन का गुरु-देव उसे 'स्टुपिड' कहता है। आज चीन को कोई साथी नहीं मिलता है। आज हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी कहती है--मैंने एक भाषण में सुना था--वह कम्युनिस्ट देशों को गाली देती है कि चीन को प्रोत्साहन नहीं देते हैं। आज इस सदन में जो भर्त्सना और सुझाव का प्रस्ताव आया, मैं तो प्रशंसा करता हूं कि हमारे माननीय चन्द्रजीत यादव ने जहां पर "भर्त्सना" शब्द था वहां पर उन्होंने "अनुचित" शब्द रखा है। कितनी बुद्धिमानी की बात है, अभी "अनुचित" रखते हैं और जब मौका आयेगा तो कहेंगे--

"अनुचित उचित विचार तजि जो पालै पितु बैन"।

जिस समय महर्षि वाल्मीकि भगवान राम चन्द्र और लक्ष्मण के साथ पम्पा सरोवर के निकट जा रहे थे उस समय महर्षि वाल्मीकि ने कहा था--

"पश्य लक्ष्मण पम्पायां, बकः पदं शनैः शनैः धरति, पावनां बधः शक्यः"

हे लक्ष्मण! पम्पा सरोवर में बगुले को देखो, बड़े आहिस्ता-आहिस्ता पदों को धर रहा है, जिससे कहीं हिंसा न हो जाय।

मैं राजनारायण जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। वह भारतमाता के सच्चे पुत्र हैं। कल उनके हृदय से सच्चे उद्गार निकले थे। उनकी मैं हजार बार प्रशंसा करता हूं। लेकिन यह तो हमारे पूज्य गांधी जी का प्रभाव रहा है जिसके कारण जो प्रस्ताव यहां आता है उसमें कम्युनिस्ट भी अपना स्वरूप बदल देते हैं। मैं समझता हूं कि यह भी एक नैतिकता का अंग है वरना यदि यह गूंगे बने रहते और कार्य दूसरे प्रकार का करते तब तो बात ही और कुछ होती।

एक बात मैं इस आदरणीय सदन के समक्ष स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारे मित्र कम्युनिस्ट वहीं फलते फूलते हैं जहां पर गरीबी बहुत अधिक होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं और मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे भाई गुस्सा न हों, यदि मैं यह कहूं कि मार्क्स ने भी गरीबों को वैसे ही देखा है जैसे कि हमारे वेद व्यास जी ने आध्यात्मिकता को देखा था। कम्युनिस्ट अपने साम्राज्यवाद की स्थापना करने के लिये सदैव गरीबों में ही प्रवेश करते हैं। इसका मान्यवर, हमें दृढ़ता के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। यदि हमें संस्कृति की रक्षा करनी है, हमें अपने देश की रक्षा करनी है तो हमें गरीबों के पास जाना चाहिये और हमारी राष्ट्रीय सरकार को जो कार्य इनसे संबंधित है उसकी ओर ध्यान देना चाहिये। इस विशेष अवसर पर पर्वतीय प्रदेश के गरीबों की ओर हमारी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। खासकर पुलिस में भर्ती होने वाले सिपाहियों में यह लोग विद्रोही तत्वों को घुसेड़ देते हैं।

हमारे देश में एक कठिनाई तो यह है कि एक दल ऐसा है, जो हिन्दुस्तान और चीन को युद्ध में रत कर देना चाहता है। वह अपना प्रचार करता है और साधारण जनता में भ्रमात्मक बातें फैलाता है। हमें इन सब का मुकाबला करना है और हिन्दुस्तान को दृढ़-संकल्प होना चाहिये और हमें भूलना नहीं चाहिये कि हिमालय ही नहीं बल्कि तिब्बत

भी हमारा प्रदेश है और वह भी भारत का एक अंग है और उसका नाम त्रिवृता है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश आते हैं। "एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः।" उनसे सारी मानव जाति फलती-फूलती थी। यहां पर जगह-जगह से लोग आते थे और यहीं पर देवासुर संग्राम हुआ था और यहीं पर अमृत का घड़ा गिरा था और इसी स्थान पर जलप्लावन के समय आचार्य की नौका रुकी थी। इसलिये इस पवित्र भूमि की सुरक्षा हमें हर प्रकार से करनी है। पिछले इतिहास को हमें भूल नहीं जाना चाहिये।

मान्यवर, माननीय सदस्यों को अच्छी तरह से मालूम होगा कि चीन के पथभ्रष्ट सिपाहियों ने हमारे सैनिकों को शूट कर दिया और कुछ को बन्दी बना लिया था और जो व्यवहार उनके साथ किया गया था पशुता से भी बुरा था। उन्होंने हमारी सेना में भेड़ियेपन का इंजेक्शन दे दिया है। मैं नहीं कह सकता और ईश्वर न करे कि इसका परिणाम ऐसा हो कि युद्ध हो जाय तो बड़ी परेशानी होगी। इसी समय युद्ध स्तर पर हमें सामग्रियां वैसे ही मिल रही हैं और हम अनुभव कर रहे हैं कि यदि युद्ध छिड़ जायगा तो क्या हमारी दशा होगी? उसकी विभीषिका सोचकर हमारा हृदय कांप उठता है। दूसरे हम अपने शौर्य को चीन के साथ दिखाना नहीं चाहते हैं। हिन्दुस्तान का संकल्प बहुत उच्च है और चीन को हमारे यहां के लोगों ने सभ्यता सिखाई है।

श्रीमन्, अभी चाऊ-एन-लाई का पत्र जो उन्होंने हमारे देश के प्रधान मंत्री जी को लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा है कि चीन और हिन्दुस्तान दोनों संस्कृति में पिछड़े हुए हैं। तो मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। चीन के लिये तो यह सही हो सकता है क्योंकि उन लोगों को उचित आहार तक का ज्ञान नहीं है। उनके यहां भालू के पंजे का बना हुआ भोज सर्वोत्तम भोज है। "आहार शुद्धौ तवो बुद्धिः"। उन्हें तो उचित अनुचित आहार का भी ज्ञान नहीं है तो वह तो सुसंस्कृत नहीं कहे जा सकते। लेकिन हमारा देश संस्कृति की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से भारतवर्ष सदैव से सारे संसार का गुरु रहा है। चीन के साथ सोचते समय हमें सोचना चाहिये कि हमारा मोरेल अक्षुण्य है और चीन को अधिकार है कि अपनी सीमा में चाहे मोटर रोड बनाये, चाहे हवाई अड्डे बनाये हमें दुख नहीं होना चाहिये। हमें तो अपनी दृष्टि से देखना चाहिये।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे देश में ऐसे अनेक आई० सी० एस० और आई० ए० एस० आफिसर्स हैं जो समाज और देश सेवा के लिए लालायित हैं। वह चाहते हैं कि हमारी बुद्धि का प्रयोग हो। मुझे पता नहीं है, वह करते भी होंगे, लेकिन योग्यतम अफसरों की नियुक्ति वहां होनी चाहिये और सहस्र आंखों से देखना चाहिये। देश के विरोधी तत्वों की बातों में नहीं आना चाहिए। आज तो पंचमांगी शब्द निरर्थक हो गया है। यह तो खुलांगी हैं। पर हम क्या बताएं, हमने भस्मासुर स्वयं बनाया है। भगवान् शंकर ने भस्मासुर बनाया था और भस्मासुर उन्हीं पर दौड़ पड़ा। वैसे ही हमने कुछ अंश कांस्टीट्यूशन में ऐसे रख दिये हैं कि वह हमीं पर चढ़ रहे हैं। मैं अपने एल्डर्स को धन्यवाद देता हूं जो कि उससे बचते रहते हैं, वरना भस्मासुर स्वयं उनको खा जाय। लेकिन समय आयेगा जब कि परिवर्तन हो जायगा। भगवान् विश्वनाथ कब अपना तांडव करेंगे यह भविष्य की बात है। मैं प्रस्तावकगण को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आज ऐसा अवसर है जब कि विरोधी साथियों और कांग्रेस के साथियों का हृदय एक हो गया है, देश के प्रश्न के ऊपर। हमारे साथी कह रहे हैं कि कैलास और मानसरोवर उसी के अन्तर्गत है। मानसरोवर तो वह स्थान है, जहां पर महा शैव रावण ने घोर तपस्या की थी। वह हमारी सभ्यता का प्रतीक है। यह पंडित जी भी कह चुके हैं। मैं अपने विरोधी भाइयों को पुनः धन्यवाद देता हूं।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—श्रीमन्.....

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, मुझे समय मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—आपके नेता बोल रहे हैं।

श्री टीकाराम पुजारी—मुझे नेताओं में विश्वास नहीं है, मुझे समय क्यों नहीं मिलता ? मैं किसान, मजदूरों का सेवक हूं। उस रिश्ते से मुझे नित्य समय मिलना चाहिए। यह जो आगे बैठे हैं, इन पर मुझे विश्वास नहीं है। इन्होंने देश का नाश कर दिया है। मुझे समय मिलना चाहिए, नहीं तो सदन का त्याग कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर के बैठें। आचार्य दीपंकर अपना भाषण शुरू करें।

*आचार्य दीपंकर—आज चीन सरकार की नाजायज, अनुचित और पूरे संसार में उत्तेजना फैलाने वाले व्यवहार से केवल अपने देश की जनता क्षुब्ध नहीं है, बल्कि पूरे संसार की जनता में इस रवैये के खिलाफ एक कंडेमनेशन का दृष्टिकोण मौजूद है। मैं यह समझता हूं कि आज जब संसार की दो महाशक्तियां इस बात का प्रयास कर रही हैं कि संसार में शीत युद्ध खत्म होना चाहिए और तीसरे युद्ध की विभीषिका कभी भी संसार के सामने न आवे इस बात के लिए प्रेसीडेंट आइजनहावर और प्रधान मंत्री श्री ख्रुश्चेव यदि कोशिश कर रहे हैं और इस फिजां को बनाने में अपने देश की सरकार और प्रधान मंत्री ने जहां मूल्यवान पार्ट अदा किया है और एक तरफ यूरोप में अगर शीत युद्ध की यह हवा बहनी बन्द हो गई तो दूसरी तरफ एशिया में यह हवा बहुत जोरों से जो बह गई है, उसका उत्तरदायित्व चीनी सरकार के ऊपर है।

चीनी सरकार ने न महज भारत की जनता को अशान्ति और विक्षोभ में डाल दिया बल्कि पूरे एशिया के छोटे-मोटे बहुत से देश आज यह सोचते हैं कि अगर चीन की यह नीति चालू रही तो इन छोटे-छोटे देशों की स्वतन्त्रता का क्या होगा ? इस वजह से मैं यह समझता हूं कि इस चीज के खिलाफ न महज हिन्दुस्तान की जनता ने बल्कि, बड़ी खुशी की बात है कि, सोवियट यूनियन जिसका सम्बन्ध और समझौता राजनैतिक तौर पर चीन के साथ है वह अप्रत्यक्ष रूप से हिन्दुस्तान के केस का समर्थन कर रहा है और चीनी सरकार के रवैये की अप्रत्यक्ष रूप से निन्दा करता है। यह इस बात का सूचक है कि चीनी सरकार ने जो रवैये अख्तियार किये हैं उससे पूरे संसार का विश्वास उनके ऊपर से हट गया और मैं समझता हूं कि शायद दोबारा यह जो तरीका उन्होंने अख्तियार किया है इसका कारण यह है कि खुद चीन के अन्दर जो गलत तरीके से वह लोग काम करते हैं उनकी तरफ से लोगों का ध्यान हटाने के लिए कभी वह फारमोसा पर जाकर बम फेंक आते हैं और कभी हिन्दुस्तान के बार्डर पर आकर अशान्ति पैदा करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं कि यह काम करके चीनियों ने अपना कोई फायदा नहीं किया। इससे संसार भर की शान्ति खतरे में पड़ सकती है। अगर कोई यह सोचता हो कि चीनी हिन्दुस्तान को विजय कर लेंगे, हिन्दुस्तान और चीन कभी भी इस अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में बैठ कर युद्ध करेंगे, तो यह बात गलत है। इतना पागलखाने में जाने वाला कोई चीनी शासक न होगा, जो यह बात सोचता होगा।

श्रीमन्, इसके पीछे जो प्रवृत्तियां हैं विस्तारवाद की, वह प्रवृत्तियां खुद इस बात की सूचना देती हैं कि वह कितने अनमैनेज्ड तरीके से चीजों को चलाते हैं। मिसाल के तौर पर माननीय सभापति जी, तिब्बत के सवाल को ले लिया जाय। तिब्बत कभी भी चीन का अंग नहीं था। भारत सरकार ने उस मसले को अगर इस तरह से हल न किया होता तो चीनी चाहे कितना भी पौरुष दिखलाते वह तिब्बत को अपना प्रदेश नहीं बना सकते थे। लेकिन वह तिब्बत उनका एक प्रदेश बना। तिब्बत के प्रदेश बनते ही उन्होंने एहसान फरामोशी की और यह उदारता दिखलाई

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि अब थोड़ी दक्षिणा भी तो देनी चाहिए और फिर यह बार्डर डिस्प्यूट शुरू हुआ। इस बार्डर डिस्प्यूट से किसका फायदा हिन्दुस्तान में है? वह लोग जो समाजवाद में, शान्ति में, व्यवस्था में और प्रगति में, योजनाओं में, विश्वास करते हैं, उनकी स्थिति आज हिन्दुस्तान में कमजोर है बनिस्बत उनके जो कि इन चीजों के विरोधी हैं। क्या चीनी इस बात को नहीं जानते हैं? चीनी खूब समझते हैं, इस बात को। मेरी यह समझ गलत हो सकती है, लेकिन मेरा यह निश्चित मत है कि आज अगर चीनी सैनिक की एक भी गोली भारतीय नागरिक के सीने में आकर लगती है तो उससे हजारों लाखों आदमी, उस गोली के लगते ही योजनाओं से और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण से विमुख होकर और-और चीजों की तरफ सोचने लगते हैं। तो क्या चीनी यह चाहते हैं कि वह तो अपनी पुनर्निर्माण की बातों में लगें और हम लोग बार्डर एरिया के झंझटों में लगकर जो हमारे यहां पुनर्निर्माण की योजनायें चल रही हैं, उनको बन्द करें? क्या वह यह चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में १० वर्ष के बाद, जब डेमोक्रेटिक तरीके से यहां पर डेवलपमेंट की योजनायें सफल हों, सफल होने का अवसर आवे तो चीन को यह कहने का मौका हो कि चीन ने अपने तरीके से ज्यादा सफलता प्राप्त की है और हिन्दुस्तान ने उतनी नहीं की है? क्या वह इसीलिये हमारे यहां पुनर्निर्माण के कार्य में बाधा उपस्थित करना चाहता है कि यदि डेमोक्रेटिक तरीके से भारत में अधिक डेवलेपमेंट हो तो चीन में उसके लिये उनकी आलोचना न हो सके? जो योजना यहां पर चल रही है चीनी व्यवहार से, उस पर प्रभाव पड़ता है और सरकार का ध्यान उस ओर झुकता है। इसी वजह से यह शीतयुद्ध का वातावरण चीन ने हमारे देश के अन्दर खड़ा किया है।

इतना ही नहीं आप सब जानते हैं कि उन्होंने हमारे ९ हिन्दुस्तानी सिपाही मारे। वह कहते हैं कि ये हमारी सीमा के अन्दर घुस आये थे। वह हमारे एरिया से घोड़े भी पकड़ कर ले गये लेकिन यह सब कुछ होते हुये भी अगर मान लिया जाय कि उनकी सीमा में हमारे आदमी चले गये थे तो क्या एक पड़ोसी के नाते उनका यह फर्ज है कि यदि हमारा कोई आदमी उनकी सीमा के अन्दर चला भी जाय तो उसको मारा जाय? अगर उसके लिये विरोध उपस्थित किया जाता तो यह समझा जाता, इनकी भावना विरोध की नहीं है। लेकिन अगर हमारे कुछ आदमी उधर गये और उनके ऊपर हमला कर दिया और फिर उसके लिये यह कहा जाय कि भारतीय सैनिक उनकी सीमा का उल्लंघन कर रहे थे इसलिये उन पर हमला किया गया और गिरफ्तार किया गया तो इसका क्या अर्थ है? पहले हमारे घोड़ों को गिरफ्तार किया और फिर इतने से भी जब काम नहीं बना तो आदमियों को मार डाला। यह चीन सरकार का ऐसा तरीका है जिसको पूरे संसार ने कंडेम किया है और चीन के प्रति एक अविश्वास की भावना को पैदा किया है। ऐसी हालत में, मैं यह समझता हूं कि आज अगर सुरक्षा के सवाल को और अपने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के सवाल को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा किया जाय तो यह उचित नहीं होगा। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का काम अगर बन्द हो जाता है तो सुरक्षा का काम नहीं हो सकता है। आज वह जमाना गया कि जब तीर और भालों से सुरक्षा का काम हो जाता था। अब तो उसके लिये बहुत दूर तक सोचने की आवश्यकता है। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा, मेरा भी यही निवेदन है कि अब राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का काम और भी तेजी से होना चाहिये। हमारी आजादी के सवाल से जुड़ा हुआ यह सुरक्षा का सवाल भी है।

मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं इस पूरे सदन से कि जहां मैं चीन के इस रवैये की निन्दा कठोर से कठोर शब्दों में करता हूं वहां यह भी अर्ज करता हूं कि हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी ने, माननीय पालीवाल जी के शब्दों के अनुसार, यह दृष्टिकोण अपनाकर न तो चीन का हित किया है और न अपना ही हित किया है। उन्होंने राष्ट्रीय वातावरण को ही क्षुब्ध नहीं किया है बल्कि चीन का भी नुकसान किया है। अगर पूरा हिन्दुस्तान एक स्वर से संगठित होकर इस बात को कहता कि आपको मैकमाहोन लाइन से पीछे हट कर चला जाना चाहिये और तब बात करनी चाहिये शान्तिपूर्ण

[आचार्य दीपंकर]

तरीके से तो चीन को ऐसा एहसास होता कि ४० करोड़ हिन्दुस्तान के आदमी संगठित होकर इस बात को कह रहे हैं। इसमें कम्युनिस्टों का कोई सवाल नहीं है या सोशलिस्ट या पी० एस० पी० का कोई सवाल नहीं है। कम्युनिज्म भी राष्ट्रीय भावना का ह्रास करके कहीं पर सफल नहीं हुआ है सिवाय रूस के। किसी देश की ऐसी मिसाल नहीं है। इसलिये अगर जनता कदम मिलाकर खड़ी होती तो चीन को एहसास होता कि पूरे संसार में उनका समर्थन करने वाला कोई आदमी नहीं है और हिन्दुस्तान में भी नहीं है, और वह शान्तिपूर्ण तरीके से बात करने को जल्द से जल्द तैयार होता । मगर उनके लिये हमदर्दी रखने वाले आज हिन्दुस्तान के अन्दर हैं, इसलिये चीन के व्यवहार में यह बात दिखाई दे रही है जो कि वह कर रहा है। आज वह समझता है कि हमारा यह स्टैंड ठीक है क्योंकि हिन्दुस्तान के लोग हमारे मत का समर्थन करते हैं ।

कम्युनिस्ट पार्टी से जो सब से बड़ी गलती हुई वह यह कि उन्होंने मेरठ में एक प्रस्ताव पास किया। अगर उस तरह से यह उसको पास न करती तो भारत की जनता को यह अहसास होता कि इन्होंने भी राष्ट्रीय दृष्टिकोण को स्वीकार किया है । इससे उनका खुद कोई लाभ नहीं हुआ है और न राष्ट्रीय भावना का प्रश्न दृढ़ हुआ है । सोवियत यूनियन भी जो आज इन्टरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट का संचालन करता है वह चीन की बातों का समर्थन करने के लिये तैयार नहीं है। तो वह कौन-सा ऐसा प्रेत आ कर कम्युनिस्ट पार्टी के सिर पर बैठ गया था, हिन्दुस्तान में वह कौन-सा उल्लू आ गया कि जो उनको कह रहा था कि तुम कलकत्ते में बैठ कर उनका समर्थन जरूर करो । कम्युनिस्ट जर्मनी के नेता ने भी कह दिया कि ऐसा स्टेटमेंट मैंने नहीं दिया, वह गलती से छप गया है । पूरे कम्युनिस्ट संसार ने कहीं भी चीन के इस दावे का समर्थन नहीं किया, लेकिन यहां की कम्युनिस्ट पार्टी जरूर उनके समर्थन में प्रस्ताव पास करती है । मेरठ में जो प्रस्ताव पास हुआ उसका मतलब अगर यह लगाया जाय कि विशाल जनमत के प्रेशर से वह प्रस्ताव हुआ है तो शायद यह अनुचित न होगा । लेकिन जिन लोगों ने स्वस्थ राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित होकर कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर और बाहर इसके लिए आवाज उठायी, मैं समझता हूं कि उन्होंने इस कम्युनिस्ट पार्टी का सब से ज्यादा फायदा किया है क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं की इज्जत की है । पार्टी अनुशासन की रक्षा करना बहुत जरूरी था, लेकिन और किसी प्रश्न पर वह उनको खदेड़ सकती थी। लेकिन इसी प्रश्न पर उनको सजा दी गयी और सजा दे कर उन्हीं के पद-चिह्नों पर चला जाय यह क्या बात है । मैं अपने वृद्ध नेता पालीवाल जी की इस बात से बिलकुल सहमत हूं कि न तो ऐसा कर के उन्होंने चीनियों को बल पहुंचाया और न उन्होंने देश की भावनाओं को बल पहुचाया, बल्कि उन्होंने केवल अपने ऊपर आघात किया है ।

इस स्थिति में जहाँ तक कम्युनिस्ट पार्टी के दृष्टिकोण का प्रश्न है, उनके अंदर काफी तब्दीली आ रही है, किन्तु वह इस तब्दीली को देश की जनता के साथ कहां तक ले जा सकेंगे यह तो वे लोग ही जान सकते हैं। इस बात पर मुझे बिलकुल शंक है कि हिन्दुस्तान और चीन आपस में इस बार्डर डिस्प्यूट को लेकर आमने-सामने खड़े हो कर लड़ेंगे । सैनिक युद्ध होगा, ऐसा मुझे विश्वास नहीं है। यह एक शीत युद्ध है जो राजनैतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिये चीनियों ने खड़ा किया है । लेकिन चीनियों को, इसमें वह चाहे हजार कोशिश करें, नाकामयाबी मिलेगी और उनका इस पूरे संसार में इस संघर्ष में साथ देने वाला कोई नहीं है। जब-जब शिखर सम्मेलन की बात आती है तभी तभी चीनियों ने कोई न कोई बवंडर उठा कर यह चाहा है कि वह न हो सके । वह नहीं चाहते कि संसार की समस्याओं का कोई समाधान बिना उनके पार्टिसिपेशन के हो सके । नहीं होना चाहिये यह मैं मानता हूं । बड़ा देश है, हर समस्या पर उसकी राय ली जानी चाहिये, लेकिन वह पूरे संसार को नचाना चाहे और हिन्दुस्तान

जैसे अपने समकक्ष देश को नचाना चाहे यह असंभव है और अनुचित भी है। मैं समझता हूं कि जो नीति अब तक इस समस्या के समाधान के लिये स्वीकार की गयी है वह सही है।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल (जिला आगरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर बहस का आज तीसरा दिन है और काफी लोग बोल चुके हैं। अब तक जितना वाद-विवाद हुआ है उससे दो बातें बहुत साफ हैं। पहली बात तो यह कि चीन के मामले में, चीन अग्रेसर है इस पर इस माननीय सदन के सभी सदस्यों का एक मत है सिवाय एक पार्टी को छोड़ कर, और दूसरे यह कि हमारे प्राइम मिनिस्टर महोदय की जो फारेन पालिसी है उसकी किसी को मुखालिफत नहीं है। इसलिये अगर एक कम्युनिस्ट दल इस नीति में हमारा साथ नहीं देता है तो उसमें उनका कोई कसूर नहीं है। एक कहावत है कि शंख और शठ दूसरों की ही फूंक से बजते हैं। उन पर तो जब तक मास्को के रेडियो से कोई खबर न आ जाय या उनके ग्रामोफोन पर मास्को की चूड़ी न चढ़ जाय तब तक वह बोल ही नहीं सकते। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है।

यह प्रश्न हमारे लिये, और खासतौर से हमारे उत्तर प्रदेश के लिये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। केवल सीमा विवाद के ही झगड़े होते तो यह प्रश्न इतने महत्व का न होता, लेकिन यह प्रश्न तो आज हमारे जीवनमरण का प्रश्न है। अनादि काल से ही हिमालय हमारी पुरानी शक्ति का प्रतीक रहा है, हमारे ऋषि-मुनियों का, हमारे देवताओं का, एक निवास-स्थान रहा है। एक उर्दू कवि के अनुसार :--

"पर्वत जो सब से ऊंचा हमसाया आसमां का,
वह सन्तरी हमारा, वह पासबां हमारा!"

जब तक वह सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय हमारे संतरी के समान, हमारे पासबां के समान अडिग है तब तक हमारा कुछ भी बिगड़ नहीं सकता है। उसके होते हुये अगर कोई हमारे ऊपर आंख उठायेगा तो हम उसकी आंख फोड़ देंगे, अगर कोई टांग बढ़ायेगा तो हम उसकी टांग तोड़ देंगे, उसके छक्के छुड़ा देंगे। वह हमारा बहादुर संतरी है, रहा है, और रहेगा। वही हमारी रक्षा करेगा।

श्रीमन्, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो हमारे कम्युनिस्ट भाई हैं, यह समय का, मौके का, फायदा उठाया करते हैं। ऐसे मौकों से, ऐसे अवसरों से जहां जनता में बेचैनी हो, गरीबी हो, वे फायदा उठाते हैं। वे तो कहते हैं कि हम तो वहां क्रान्ति करते हैं जहां पर आब्जेक्टिव कन्डीशन्स हों। आज वह इस चीन के मसले को आब्जेक्टिव कन्डीशन्स समझ कर नाजायज फायदा उठा रहे हैं और गलत प्रचार कर रहे हैं कि चीन की फौजें उनको बचावेंगी। हमें ऐसों से जागरूक रहना है। हमें आज उनकी दशा को देखना है जो अनपढ़ हैं, जिनमें शिक्षा का अभाव है, जहां पर प्लानिंग नहीं हुई है। हमें देखना है कि वे कहीं इन कम्युनिस्टों के भुलावे में न आ जायें।

हमको आज जरूरत इस बात की है कि हम अपनी एकता को कायम रखें। यह जो ऐसे अवसर आया करते हैं उनमें एकता की ही जरूरत हुआ करती है क्योंकि इसको हमें दो फ्रन्ट से देखना होता है--एक फ्रन्ट तो होता है लड़ाई का और दूसरा होम फ्रन्ट हुआ करता है। होम फ्रन्ट के लिये आवश्यकता एकता की होती है। बिना एकता के हम कुछ नहीं कर सकते। इसके बारे में, जैसा कि सभी पार्टियों ने कहा है, सब एक मत हैं। मुझे खेद है कि हमारी सर्विसेज में भी कुछ कम्युनिस्ट विचारों के लोग घुसे हुए हैं। हमको उनको आज साफ करना है। किसी भी ऐसे आदमी को, जिस पर पंचमांगी होने का शुबहा हो हमें साफ करना है क्योंकि इस खतरे के मौके पर हम किसी को माफ नहीं कर सकते।

हमारे कुछ मित्रों ने हमारे प्रधान मंत्री की निगोशियेशन्स की नीति के बारे में भी कहा है और उस पर कुछ असंतोष प्रकट किया है। मैं समझता हूं कि निगोशियेशन्स की जो नीति है वह सब से प्रबल नीति है, वह हमको कमजोर बनाने वाली नहीं है। यह तो

[श्री लक्ष्मीनारायण बंसल]

हमारी पुरानी संस्कृति है । इस संबंध में दो उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा--एक तो रामायण का है और दूसरा महाभारत का है । जिस समय रामचन्द्र जी लंका की तरफ जा रहे थे और रास्ते में समुद्र पड़ता था, तो समुद्र से उन्होंने विनती की । इस पर समुद्र नहीं माना, तो रामचन्द्र जी ने कहा :--

"विनय न मानत जलधि जड़ गए तीन दिन बीत,
लक्ष्मण आनहु वाण शर, भय बिनु होय न प्रीत ।"

दूसरा उदाहरण महाभारत का है । जिस समय दुर्योधन पांडवों को उनका अधिकार देने के लिये तैयार नहीं था, वह सुई की नोंक बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं था, उस समय भगवान श्रीकृष्ण स्वयं उसके पास समझौते के लिये गये । उसके बाद क्या हुआ, वह आप सब लोगों को मालूम है । निगोशियेशन्स के लिये अगर हम कोई प्रयत्न करते हैं तो उसके माने यह नहीं हैं कि उससे हमारी कोई कमजोरी साबित होगी । हमारी तो नीति ही यही रही है कि हम दुश्मन को पूरा अवसर दें ताकि वह अपनी गलती को संभाल सके और हम विश्व के सामने यह कह सकें कि हमने उसको संभालने का पूरा अवसर प्रदान किया ।

चीन के अगर पुराने इतिहास को देखा जाय तो पता चलेगा कि वह सदैव ही एक्सपेन्शनिस्ट रहा है । पुरानी बातों को छोड़ भी दिया जाय तो भी कोरिया में चीन ने क्या किया ? फारमोसा में चीन क्या कर रहा है, तिब्बत के साथ क्या किया और हिन्दुस्तान के साथ आज वह क्या कर रहा है ? क्या यह चीजें उसकी एक्सपेंशनिस्ट पालिसी का नमूना नहीं हैं ? चीन का एम्बलम आज खुद ड्रगन है जिसको हम अजगर कह सकते हैं जो कि शनैः शनैः बढ़ कर कब्जा किया करता है । तो उनकी संस्कृति ही यह है, उससे हम क्या शिकायत करें। लेकिन उसकी संस्कृति के साथ हम अपनी संस्कृति को नहीं भुला सकते। हम तो चीनी हिन्दी भाई भाई जो कह रहे हैं, हम उन के साथ भाई का बर्ताव करेंगे, लेकिन इसके माने यह नहीं हैं कि हम अपने राष्ट्र को छोड़ दें । अगर वह हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम उसको भाई ही कहते रहें यह नहीं हो सकता। किसी को इस हिन्दी चीनी भाई-भाई के स्लोगन से घबड़ाने की जरूरत नहीं है ।

श्रीमन्, एक तरफ से यह भी कहा गया था कि अगर चीन की मदद के लिये रूस आता है तो अमेरिका हिन्दुस्तान की मदद के लिये जरूर आयेगा । मैं इससे सहमत नहीं हूं । हमको तो किसी की मदद पर अपनी आजादी को नहीं कायम करना है । हमें तो अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी आजादी की रक्षा करनी है। एक फारसी के कवि ने कहा है :--

"हमसा कि बाव कूवते दोजख बराबर अस्त ।
रफ्तन ब पाये मर्दुमी हमसाया दर बहिश्त ।।"

ईश्वर को साक्षी देकर मैं कहता हूं कि पड़ोसी की मदद से स्वर्ग में जाना नरक में जाने से बदतर है । यह आदर्श होना चाहिये । हमको क्या मदद अमरीका से आयेगी ? हम खुद मजबूत हैं और हम अपने पैरों पर खड़े होंगे और चीन क्या सारा विश्व भी अगर हमारी आजादी की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो हम मुकाबला करेंगे । हम किसी दूसरी ताकत की मदद पर चीन से लड़ने के लिये तैयार नहीं हैं । आज हमको जरूरत इस बात की है कि हम चीन को बतला दें कि आज जो आप आंख उठाकर देख रहे हैं वह हम आसानी से बरदाश्त करने वाले नहीं हैं । यह जरूर है कि चीन और हिन्दुस्तान के बीच में जो तिब्बत मुल्क था आज वह तिब्बत नहीं रहा । चीन ने उसके ऊपर हमला किया और जुल्म किया लेकिन वह अगर यह समझता है कि तिब्बत को खत्म करने के बाद हिन्दुस्तान में आ सकता है तो उसकी यह गलती है । हिन्दुस्तान में अगर उसने आने का दुस्साहस किया

तो उसको इसका नतीजा भोगना पड़ेगा। हमको अपनी सीमाओं की रक्षा स्वयं करनी है और उसके लिये यह आवश्यक है कि हम हर तरह की सहूलियतें अपनी सीमाओं पर रहने वाले भाइयों को दें और उनमें किसी प्रकार का भय और संकट न उत्पन्न होने दें। हमारा कर्त्तव्य है कि हम उन लोगों की ज्यादा से ज्यादा खबरगीरी करें। जैसा प्रतापसिंह जी ने कहा कि उनके अन्दर जो बेचैनी फैल रही है उसको हम दूर करने की कोशिश करें और वहां पर जितना भी धन खर्च करना पड़े उसे करें। इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, हम अपने राष्ट्र के एक गम्भीरतम प्रश्न पर दो दिनों से विचार कर रहे हैं। हमें उसी गम्भीरता की अपेक्षा इस सदन में करनी चाहिये थी। मुझे इस बात का दुख है कि जो भाषण यहां दिये गये हैं उनमें कुछ भाषणों को छोड़कर अधिक में अपेक्षित गम्भीरता का सर्वथा अभाव था। अच्छा होता कि माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा कोई प्रस्ताव इस आशय का प्रस्तुत होता कि यह सदन भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रीय नीति का समर्थन करता है और उस पर यहां विवाद होता तो इस बात का सही-सही पता लग सकता कि कौन शान्तिकामी है और कौन युद्धपिपासु है। यहां नयी विदेशी नीति की बात भी कही गयी, यहां नये प्रधान मंत्री की भी बात उठायी गयी, यहां सुरक्षा मंत्री के बदलने की भी बात उठी। यहां के प्रकट विचारों को जब हम बाहर के विचारों से जोड़ते हैं तो हमें बड़ा भय लगता है। अध्यक्ष महोदय, "पांचजन्य" हिन्दुस्तान की एक पार्टी का प्रमुख पत्र है, उसके दो एक उद्धरणों को आप देखने की कृपा करें.....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि किसी अखबार के ऊपर यहां पर टीका-टिप्पणी करने का यह वक्त नहीं है। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री झारखंडेराय---मैं कह रहा था कि बाहर के विचारों को यहां के प्रकट विचारों के साथ जब हम जोड़ते हैं तो हमें एक भयावह तस्वीर सामने उपस्थित दिखाई देती है.....

श्री अध्यक्ष---आप जबानी कह सकते हैं कि उस अखबार में क्या लिखा है लेकिन उसको पढ़ने की मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री झारखंडे राय---अध्यक्ष महोदय, पांचजन्य में इस बात की चर्चा की गई है कि जब हिमालय हमारा है तो कैलास और मानसरोवर किसका है, उसको वापस लेने के लिये हम क्या कर रहे हैं। उसमें चर्चा की गई है कि हमारे प्रधान मंत्री शेर की खाल में भेड़िया हैं, भेड़िया जो शेर के ही घर में पला हो वह शेर नहीं हो सकता। उसमें इस बात की चर्चा की गई है कि प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू को हटाना चाहिये। उसमें मांग की गई है कि हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी पर रुकावट लग जानी चाहिये। उसमें इस बात की मांग की गई है कि सुरक्षा मंत्री को हटाया जाय। उन बातों को जब हम यहां की बातों से जोड़ते हैं तो एक खौफनाक तस्वीर दीखती है।

चीन की समस्या को लेकर आज हिन्दुस्तान की पूरी वैदेशिक नीति को उलटने का प्रयास हो रहा है। प्रयास इस बात का हो रहा है कि हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी, जो यहां के समाजवादी, जनवादी आन्दोलन की अगुवा है उसके ऊपर रुकावट लगाई जाय। प्रयास इस बात का हो रहा है कि हिन्दुस्तान को अमरीकी गुट में बांध दिया जाय। प्रयास इस बात का हो रहा है कि हिन्दुस्तान के अन्दर फौजी तानाशाही के लिये रास्ता प्रशस्त किया जाय। हम इस बात को साफ करना चाहते हैं कि यहां पर यह कुचक्र नहीं चलने पायेगा, हम इसका पूरा मुकाबला करेंगे, यहां पर जनवाद की हत्या नहीं होने पायेगी। संसद में प्रधान मंत्री ने इन्हीं दलों के बारे में कहा था "मोटली ग्रुप्स विथ मोटली आइडियाज"। आज इस नेशनल क्राइसिस के मौके पर वे अपनी पार्टी के तुच्छ हितों में इस संकट का इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उनका यह इरादा पूरा नहीं होगा। तिब्बत के सम्बन्ध में एक बात कही गई,

[श्री झारखंडे राय]

में साफ कहना चाहता हूं कि तिब्बत चीन का अभिन्न अंग रहा है और सर्वदा रहेगा और दुनिया की कोई ताकत तिब्बत को चीन से अलग नहीं कर सकती । इसके प्रमाण में मैं दो बातें पेश करना चाहता हूं । १७ मुद्दों (आर्टिकिल्स) का एक समझौता जो कि चीन की केन्द्रीय सरकार और तिब्बत की लोकल सरकारों के बीच मई, १९३१ में हुआ था उसकी दो बातों की ओर आप देखें । उस समझौते के प्रिएम्बुल में लिखा है कि :—

"The Tibetan nationality is one of the nationali ties with a long history within the boundaries of China and like many other nationalities, It has performed its glorious duty in the course of the creation and development of our great Motherland."

आर्टिकिल ३ इस प्रकार है :—

"In accordance with the policy towards nationalitieslaid down in the Common Programme of the Chinese People's Political Consultative Conference, the Tibetan people have the right to exercise national regional autonomy under the unified leadership of the Central People's Government."

श्री अध्यक्ष—इसका आप हिन्दी में अनुवाद कर दीजिये ।

श्री झारखंडे राय—इसका आशय यह है कि दोनों सरकारें तिब्बत को उसी प्रकार से चीन के बड़े भाईचारे और एक परिवार का समझते हैं जिस प्रकार से दूसरे सूबे हैं—इनमें मंगोलिया, सिंकियांग, आदि ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या नैशनेलिटी और नेशन का कोई फर्क झारखंडे राय जी के दिमाग में है ?

श्री झारखंडे राय—इस समझौते के बाद दलाई लामा ने २१ अक्टूबर को एक तार माओ-त्से टुंग को भेजा था, वह इस प्रकार है :—

"The delegates of both parties, on a friendly basis, signed an Agreement on the measures for the peaceful liberation of Tibet. The Tibetan local government and the monks and people of Tibetan nationality are giving the Agreement unanimous support. Under the leadership of Chairman Mao Tse-tung and the Central People's Government, they are actively helping the People's Liberation Army units marching into Tibet to strengthen national defence, drive imperialist forces from Tibet and safeguard the unification of the territorial sovereignty of the motherland."

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार चीनी राष्ट्र से स्वतंत्र तिब्बत की स्वाधीनता के बारे में जो बात उठायी जाती है वह उसी प्रकार से चीन के लिये अपमानजनक है जिस प्रकार से हमारे अभिन्न अंग कश्मीर के बारे में कोई दूसरा देश कहे कि वह हमारे भारत का अंग नहीं है और उसको स्वतंत्र कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव में तिब्बत के बारे में कुछ नहीं कहा गया है । आप विषय से थोड़ा भटक गये हैं ।

श्री झारखंडे राय—अध्यक्ष महोदय, आपकी गैरमौजूदगी में बहुत सी इस विषय की बातें कही गयीं ।

श्री अध्यक्ष--मेरी मौजूदगी में किसी ने तिब्बत की बात नहीं उठायी ।

श्री झारखंडे राय--अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताने जा रहा था कि हमारी विदेशी नीति के ३ स्तम्भ हैं--१--देश की क्षेत्रीय सार्वभौमिकता की सुरक्षा, २--शांति पूर्ण समझौता और ३--स्वतंत्र तथा तटस्थ विदेशी नीति (जो पंचशील पर आधारित नान-एलाइनमेंट की विदेशी नीति है) हम इसका पूर्ण समर्थन करते हैं । आज की मौजूदा हालत में यही नीति हमारे देश के लिए हितकर है और एशियायी एकता था विश्व शान्ति हेतु आवश्यक चीज है । इसका आज जो विरोध हो रहा है, वह कभी भी सफल न होगा । हम स बात की स्पष्ट घोषणा करते हैं कि हम अपने राष्ट्र का सदैव संरक्षण करेंगे और इस नीति को पूर्ण सफल करने का प्रयत्न करते रहेंगे । इस नीति को उलटने के लिये जो प्रयास हो रहा है वह कभी सफल नहीं हो सकता ।

कम्युनिस्टों की देशभक्ति के बार में संदेह किया जाता है । मैं पूछना चाहता हूं कि दुनिया के जिन १३ देशों में कम्युनिस्टों की सरकारें हैं क्या वहां के कम्युनिस्ट अपने राष्ट्र के लिये देशभक्त नहीं हैं ? कभी हमें कहा जाता था कि तुम रूस के एजेन्ट हो, आज कहा जाता है चीन के एजेन्ट हो, कल कहा जायेगा तुम हनोई के एजेन्ट हो और जब दिल्ली में कम्युनिस्टों की सरकार हो जायगी तो कुछ लोग कहेंगे कि दिल्ली के एजेन्ट हो । यह समझदारी कहां ले जा रही है ? आज हिन्दुस्तान के अन्दर इन विघटनोन्मुख तथा मरणासन्न पार्टियों के चिथड़े उड़ रहे हैं । पहले केवल एक समाजवादी पार्टी थी हिन्दुस्तान के अन्दर, वहां प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ोशलिस्ट यूनिटी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, न मालूम कितने टुकड़े उसके हो गये और ये मिटती शक्तियों के प्रतिनिधि आज यहां बैठ कर चले हैं भारत की शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व की वैदेशिक नीति को उलटने के लिये ? मैं पूछता हूं कि जिस समय सोवियट रूस पर १९१७ में ही १४ मुल्कों ने हमला किया उस समय कम्युनिस्टों ` अप ` देश की रक्षा के लिये बलिदान नहीं किया ? मैं पूछना चाहता हूं कि जब सोवियट रूस पर फासिस्ट जर्मनी ` हमला किया था तो क्या ोवियट कम्युनिस्टों ने अपने मुल्क को बचाने के लिये कुछ उठा रखा था ? स्टेलिनग्रा में जो लड़ाई लड़ी गयी क्या वह मानव इतिहास की अद्भुत लड़ाइयों में नहीं गिनी जायगी ?

(व्यवधान)

(इस समय १ बज कर ६ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री लक्ष्मी नारायण बंसल, पीठासीन हुए ।)

सारे यूरोप में जब जर्मनी के हिटलर की तूती बोल रही थी तो क्या विभिन्न देशों के कम्युनिस्टों ने अपने देश की रक्षा के लिये बलिदान नहीं किया ? मैं पूछना चाहता हूं कि जब हिटलर ने हमला किया था तो यूरोप के एक एक कम्युनिस्ट ने अपने मुल्क की रक्षा के लिये कुछ उठा रखा था ? मैं पूछना चाहता हूं कि जब जापान ने चीन पर आक्रमण किया था तो क्या चीन के कम्युनिस्टों ने उस राष्ट्रीय संग्राम में अग्रिम पंक्ति में जाकर लड़ाई नहीं लड़ी थी ? मैं पूछना चाहता हूं कि जब जापान ने आधे चीन और पूरे साउथ ईस्ट एशिया को रौंद दिया था उस समय क्या कम्युनिस्टों ने उसके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी ? यूरो के मुल्क फ्रांस, ब्रिटेन, हालैंड जब जापानी पराजय के बाद दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों पर ुनर्प्रभुत्व के लिए आगे बढ़े तो क्या कम्युनिस्ट किसी से पीछे रहे हैं ? अभी दो दिन की बात है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में जो लड़ाई लड़ी गयी अथवा लड़ी जा रही है उसमें क्या ूसरी पार्टियों से कम्युनिस्ट पीछे हैं ? कुछ पिछली गलतियों को दोहरा ोहरा कर कुछ लोग आत्मसंतोष भले ही कर लें लेकिन मैं कहता हूं कि वह सन्तोष बहुत दिनों तक नहीं चल सकता है । गलती किससे नहीं होती है ? महात्मा गांधी से भी गलती हुई, राष्ट्रीय कांग्रेस से भी गलती हुई, कौन ऐसी पार्टी है और कौन ऐसा देश है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिससे गलती नहीं हुई है ? कोई भी देश या कोई भी पार्टी अथवा व्यक्ति अच्युत ब्रह्म नहीं है । आगामी इतिहास और आगामी इतिहासकार बतलायेंगे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कहां-कहां क्या-क्या तथा कितनी मात्रा में गलती की और सारा

[श्री झारखंडे राय]

संसार उस आलोचना को उस समय मानेगा। तमाम पार्टीज जो कम्युनिस्ट पार्टी की टिप्पणी करती हैं उस को मानने के लिये मैं तैयार नहीं हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर जो मजदूर, किसान और विद्यार्थी आन्दोलनों के संगठन, संचालन एवं नेतृत्व होते रहे हैं उनके संचालन में कम्युनिस्ट पार्टी किसी से पीछे रही है? अभी कुछ दिन पहले गोआ की आजादी हेतु जो लड़ाई हुई उसमें क्या कम्युनिस्टों ने अपना बलिदान नहीं दिया? हिन्दुस्तान के अन्दर जो ऐतिहासिक नेवल म्युटिनी १९४६ में हुई, जिससे ही मजबूर होकर अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा, क्या उसमें कम्युनिस्ट सबसे आगे नहीं थे? १९३९ से लेकर वर्ल्ड वार १९४१ तक युद्ध-विरोधी आन्दोलन में कम्युनिस्ट किसी से पीछे रहे? इसके अतिरिक्त आजादी के बाद मजदूर, किसान और विद्यार्थी तथा अन्य जन आन्दोलन में कम्युनिस्ट किसी से पीछे हैं? तो उन दो एक गलतियों को दोहरा कर आत्मसंतोष कर लेना यह आत्म प्रवंचना ही सिद्ध होगी।

आज वह सोशलिस्ट पार्टी जिसके आपस में ही प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट यूनिटी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी आदि नामों से टूट-टूट कर खंड-खंड हो गये हैं, परखचे उड़ते जा रहे हैं, वे ही आज चले हैं कम्युनिस्ट आन्दोलन के तूफान के सामने खड़े होने। रात में टिटिहिरी अपनी टांगें ऊपर खड़ा करके सोचती है कि वह आसमान को रोक सकती है। मैं इस बात को सफाई के साथ कहना चाहता हूं, इसमें कोई डर की बात नहीं है कि दुनिया के इतिहास में कम्युनिस्ट पार्टियों का अपनी राष्ट्रीय सरकारों से भी मतभेद हुआ है। कब हुआ है? जब १९१४ और १९१९ के बीच में यूरोप की पूंजीवादी सरकारों ने साम्राज्यवादी लड़ाई ठानी तो वहां की सभी कम्युनिस्ट पार्टियों ने कहा—"वी शैल टर्न दि इम्पीरिअलिस्ट वार इनटू सिविल वार" (We shall turn the imperialist war into civil war.)। मतभेद हुआ, जब सोवियट की कम्युनिस्ट पार्टी ने जारशाही की युद्ध नीति के खिलाफ आवाज उठाई। तो इसी प्रकार के मतभेद भारत में भी खड़े हो सकते हैं। नोट करें सरकार के प्रतिनिधि और ये प्रस्तावक लोग, जिस दिन भी अपनी शान्ति नीति को छोड़ कर भारत अलग हो जायगा और जिस दिन वह अमरीका की गोद में पाकिस्तान की तरह जा बैठेगा और जिस दिन भारत की नीतियां साम्राज्यवादी हो जायंगी और वह नैपाल, तिब्बत, बर्मा, लंका और अफगानिस्तान पर दावा करने लगेंगे और यह कहने लगेंगे कि यह सब हमारी सीमा में थे अशोक के जमाने में, इस तरह से जिस दिन भारत साम्राज्यशाही हो जायगा:—लिखने वाले नोट कर लें—उस दिन हमारा सरकार की राष्ट्रीय नीति से मतभेद होगा और हम उसका डट कर विरोध करेंगे। लेकिन जब तक शान्तिपूर्ण नीति, समझौते से बात करने की हमारी नीति है और हम दुनिया में शान्ति के एक सजग, सचेत चौकीदार बने रहेंगे उस दिन तक हम इस देश की सरकार की विदशी नीति का समर्थन करते रहेंगे और अपनी जिन्दगी के आखिर दम तक समर्थन करते रहेंगे।

चेयरमैन साहब, कम्युनिस्ट पार्टी के लिये भूत में बहुत कुछ कहा गया, आज भी कहा जा रहा है। लेकिन हमने देखा है कि हमारी पार्टी आज भी मजबूत खड़ी है, वह बढ़ रही है और बढ़ती जायगी। हमें दिन रात गालियां देने वाले मिटते जा रहे हैं। डाक्टर लोहिया अलग पार्टी बना कर खड़े हो गये जरा सी आलोचना पर। यह कम्युनिस्ट पार्टी ही है जो जरा सी बात पर अपने चोटी से चोटी के नेता को सेंसर करती है और फिर भी पार्टी मजबूत बनी रहती है और वह नेता पार्टी निष्ठालु रहता है, यह खूबी कम्युनिस्ट पार्टी में ही है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा विचार तो इससे पहले भी चीन के आक्रमण पर अपना असन्तोष प्रकट करने का था लेकिन माननीय झारखंडे राय जी का भाषण सुन कर मेरी धारणा और भी दृढ़ हो गई कि यह चीन का आक्रमण भारत के लिये एक वरदान ही सिद्ध होगा क्योंकि श्री झारखंडे राय ने जितनी बातें कहीं हैं देश भक्ति की और अपनी पार्टी के पक्ष की उनमें वह एक बात कहना भूल गये कि जब सारा भारत एक होकर ब्रिटिश सरकार से आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और अंग्रेजी साम्राज्यशाही का मुकाबला कर

रहा था उसके एक दिन पहले तक, जब तक कि रूस लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था, यहां की यही कम्युनिस्ट पार्टी कह रही थी कि इस लड़ाई में मदद देना हराम है; लेकिन जिस दिन रूस इस लड़ाई में शामिल हुआ उसी रात में इस पार्टी की सारी नीति पलट गई और वह कहने लगी कि अब लड़ाई में मदद देना चाहिये। इसलिए मैं श्री झारखंडे राय से कहना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी के गुणों की व्याख्या करते समय वह यह व्याख्या क्यों भूल गये ? क्या उनकी पार्टी ने सन् ४२ में अंग्रेजों की साम्राज्यशाही इस देश में कायम रखने के लिये देश के पेट में छुरा भोंकने की कोशिश नहीं की ? क्या उनका यह प्रयत्न नहीं था ? बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका श्री झारखंडे राय ने जिक्र नहीं किया।

श्रीमन्, मैं कहता हूं कि इस चीनी आक्रमण से ऐसे पंचमांगी लोगों की कार्यविधि सामने आ गई इसका हमें संतोष है। हमारे देश में ही आज ऐसे लोग मौजूद हैं कि यदि किसी प्रकार से विदेशी यहां आ सकें तो वे उनका मशाल जलाकर स्वागत करेंगे। आज यह मालूम हो गया कि उनको चीन से कितनी मोहब्बत है और कैसे वह प्रगतिशीलता के ठेकेदार बने हुये हैं। आज अगर समय से उनका पर्दाफाश हो गया तो मैं इस चीनी आक्रमण को वरदान मानता हूं, इससे हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है, यह निश्चित है। आक्रमण हो या न हो, हमें इसका भय नहीं है। इसका परिणाम खराब होगा, यह मैं नहीं मानता। जब हम लोग भारत में अंग्रेजी साम्राज्य-शाही से लड़ रहे थे तो एक यह भी विचारधारा सामने थी जिसका गांधी जी ने विरोध किया था। उस वक्त हमारे भाई चाहते थे कि अंग्रेजों की मुसीबत से हिन्दुस्तान लाभ उठाये और जब अंग्रेज लड़ाई में उलझे थे तो यह उनकी धारणा थी, जो प्रगतिशील विचारों के ठेकेदार बनते हैं उनकी विशेष तौर पर यह धारणा थी कि इस वक्त अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी जाय, लेकिन पूज्य गांधी जी ने उस वक्त उस पर विचार किया और कहा कि दुश्मन की कमजोरी से फायदा नहीं उठाना चाहिए। आज चीन हमारे ऊपर आक्रमण करे और हम इसमें सफलतापूर्वक बाहर निकल आते हैं तो भविष्य में किसी भी बड़े से बड़े राष्ट्र की हिम्मत नहीं होगी कि हिन्दुस्तान की तरफ आंख उठा सके। इसलिये जिस उसूल के तहत दुश्मन की कमजोरी से फायदा न उठाने की बात कही गई थी वही विचारधारा इस समय भी है। मैं नहीं मानता कि चीन ऐसी बेवकूफी करेगा। अब वह अफीम नहीं खाया करता, लेकिन अगर वह बेवकूफी करता है तो हमारा मुल्क इस अग्नि-परीक्षा में इस तरह से सफल होगा कि फिर भविष्य में किसी को हिन्दुस्तान पर आंख उठाने की जुर्रत नहीं होगी। इसलिये मैं चीनी आक्रमण का स्वागत करता हूं।

अंग्रेजों से जब हम लड़ाई लड़ रहे थे तो हम सब एक थ। आज भी एक प्रश्न हमारे सामने उत्पन्न हो गया है जिसमें आवश्यक है कि सारे मतभेदों को भूल कर हम अपने को एक करें अगर हमारी सारी ताकत एकता में लग जाय और चीन का मुकाबला कर सकें, तो हिन्दुस्तान के लिये चीनी आक्रमण एक वरदान सिद्ध होगा। एक प्रसन्नता और भी है मुझे चीनी आक्रमण से। चीनी आक्रमण के कारण यदि हमारी कार्य-प्रणाली में कुछ तब्दीली की जाय तो मैं समझता हूं कि चीनी आक्रमण का भय हमेशा के लिये मिट जायगा। हमारे यहां अरबों रुपये का बजट बनता है और करोड़ों रुपया बिना खर्च किये वापस कर दिया जाता है। यह जो कम्युनिस्ट हमारे आस्तीन में सांप पल रहे हैं इनको खूराक कहां से मिलती है ? यह बेकारी, गरीबी और अभाव के क्षेत्रों से खूराक पाते हैं। यदि अरबों रुपये का बजट बुद्धिमत्ता से बनाया जाय और इस्तेमाल किया जाय तो मैं समझता हूं कि कम्युनिज्म को पैर जमाने का मौका नहीं मिल सकता। इसलिये चीनी आक्रमण के कारण अगर हमारी कार्य-प्रणाली में तब्दीली हो, हमारी सरकारी मशीनरी में कुछ तब्दीली हो, समाज सेवा करने वालों के दिलों में भी ऐसा परिवर्तन हो जिससे कि अधिक धन अभाव के क्षेत्रों में खर्च किया जा सके तो मैं समझता हूं कि इससे मुल्क और प्रदेश का स्थायी तौर पर फायदा होगा। इसलिये भी मैं चीनी आक्रमण की प्रशंसा करता हूं।

मैं एक चीज सुझाव के तौर पर रखना चाहता था। माननीय झारखंडे राय जी के पहले मुझे बोलने का मौका मिला होता तो कुछ सुझाव मेरे पास थे, लेकिन माननीय झारखंडे राय जी ने

[श्री ताराचन्द माहेश्वरी]

जिस तरह से अपनी पार्टी की विशेषता साबित करने की कोशिश की है वह इतनी गलत चीज है कि मुझे अपना विचार छोड़ देना पड़ा।

हमारे पर्वतीय इलाकों के भाइयों ने जो वहां का नक्शा खींचा है और अगर हमारी सरकार भी इस बात को समझती है कि फौज की आवश्यकता है और पुलिस से काम नहीं चलता तो हमको तजुर्बे से फायदा उठाना चाहिए। आधे मन से उस इलाके को फौज के सुपुर्द करना और आधे मन से पुलिस के सुपुर्द करना ठीक नहीं है। इसलिये मैं कहता हूं कि यदि वहां पर फौज की आवश्यकता है तो उस सारे हिस्से को फौज के सुपुर्द कर देना चाहिए। अगर हम पुलिस भी रखेंगे और फौज भी रखेंगे तो फौज की प्रतिष्ठा को धक्का लगता है, क्योंकि चीन शक्ति की बात के अतिरिक्त और किसी बात पर विचार नहीं करता। वह मदान्ध मुल्क है जिसके यहां सहृदयता नाम की कोई चीज नहीं है, जो साधन का खयाल नहीं करता, जिसके विश्वास और ध्येय में लिखा हुआ है कि साधन चाहे जो इस्तेमाल किये जायं मगर अपने ध्येय पर पहुंचा जाय, ऐसे मुल्क के सामने हमारे प्रधान मंत्री सहृदयता की बात करते हैं जो मेरी समझ से बेकार है। हमको फौज से काम लेना चाहिये, शक्ति का मुकाबला शक्ति से करना चाहिये अन्यथा भविष्य में इस तरह से आस्तीन के सांप आपके लिये जो कुछ भी कर दें वह थोड़ा है। हमारे राजनीतिज्ञ यह नहीं महसूस करते कि यदि हमेशा चोरी और डकैती करने वाले लोग पकड़े जायं और वह एलान करें कि हमने यह धंधा छोड़ दिया तो उन पर वह लोग विश्वास कैसे कर लेते हैं और हुकूमत चलाने को कहते हैं? केरल की मिसाल आपके सामने मौजूद है। इन आस्तीन के सांपों के अब भी अगर दांत तोड़ दिये जायं तो अच्छा है। माननीय झारखंडे राय जी, आप पंडित जवाहरलाल की वैदेशिक नीति का समर्थन करते हैं। जब प्रधान मंत्री चीन को आक्रान्ता कहते हैं तो उसका भी समर्थन क्यों नहीं करते? यह अवसरवादिता है या नहीं? इस मुल्क में कम्युनिस्ट पार्टी वाले जो पंचमांगी काम कर रहे हैं उसके खिलाफ़ सख्त कार्यवाही करनी चाहिये।

एक भाई ने कहा कि चीन को किसी कम्युनिस्ट मुल्क से इस कार्य के लिये समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। मेरा कहना है इससे वह यह अन्दाज न लगायें कि इसमें उनकी जीत है। सम्भव है कि इसमें भी उनकी कोई चाल हो और चुपके-चुपके चीन को समर्थन प्राप्त हो रहा हो क्योंकि अगर किसी ने चीन के इस कार्य का समर्थन नहीं किया तो किसी ने खुल कर इस कार्य का विरोध भी तो नहीं किया।

एक भाई ने कहा था कि असेम्बली और पार्लियामेंट में जितनी गर्मी है इस प्रश्न पर उतनी गर्मी फ्रन्ट (बार्डर) पर नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इससे आपका कोई लाभ नहीं होता। यह जो अवस्था आज जनता में है यह काहे का परिणाम है? यह जो मूर्छित अवस्था और जो उदासीनता है इसी ने चीन को स्पष्ट निमंत्रण दिया और वे गरीब भाई यह नहीं समझ पा रहे हैं कि कोई दूसरा राज्य आने वाला है। आज उन भाइयों के दिलों में यह भावना पैदा करनी है कि अगर तुम मूर्छित रहे तो तुम्हारे ऊपर एक दूसरे प्रकार का शासन आ जायगा और उससे देश व प्रदेश का नुकसान होगा।

अन्त में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के लिये एक शब्द कहना चाहता हूं। मुझे इस बात में बड़ी प्रसन्नता है कि इस प्रदेश का शासन इस संकट के समय में एक दृढ़ व्यक्ति के हाथ में है और उससे कम्यनिस्ट लोग घबड़ाते जरूर हैं। इसलिये मैं यह प्रार्थना करूंगा कि सारा सदन इस प्रश्न पर मुख्य मंत्री जी के साथ एक लाइन में खड़ा हो और कम्युनिस्ट दूसरी लाइन में खड़े हों और हम इस प्रस्ताव का पूरी तरह से समर्थन करें।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यों तो भारत का प्रत्येक भूभाग हमारे लिये

समान रूप से पवित्र और पूज्य है परन्तु अपने प्रान्त का जो भी सीमावर्ती भाग है जिसका सम्बन्ध अब तिब्बत का चीन के अधीन हो जाने के कारण चीन की सीमा से हो जाता है उसकी रक्षा का भार इस सदन के माननीय सदस्यों पर मैं विशेष रूप से समझता हूं और उसके बारे में जो हमारी जिम्मेदारी है उसी के सम्बन्ध में मैं अपना निवेदन करूंगा।

हमारे बहुत से पूर्व वक्ताओं ने कम्युनिस्टों की शिकायत की है। मैं समझता हूं कि यह शिकायत व्यर्थ है इसलिये कि चीन कम्युनिस्ट देश है और हमारे देश की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वह अपने आप को अपने देश के प्रति उतनी वफादार नहीं मानती जितनी कि चीन के प्रति अपने आप को वफादार मानती है। अब तक तो वे प्रकाश लेते रहे मास्को से लेकिन अब वे प्रकाश लेते हैं पेकिंग से और चाहते यह हैं कि वह प्रकाश और भी करीब आ जाय ताकि भारतवर्ष में वे कम्युनिज्म का प्रचार कर सकें।

मैं आगे चल कर यह बतलाऊंगा कि इस चीन के आक्रमण की जिम्मेदारी जहां चीन पर है वहां हमारी भारत सरकार पर भी कम नहीं है। मैं सदन से अभी तो केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि लद्दाख का एक बहुत बड़ा भाग, जिसका क्षेत्रफल १२ हजार वर्ग मील बतलाया जाता है, चीन ने अपने अधिकार में कर लिया है, उसमें सड़कें बना ली हैं और हवाई अड्डे बना लिये हैं और यह बात पिछले ४–५ वर्षों से चल रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कहा कि हम केन्द्रीय सरकार की नीति का समर्थन करते हैं––उसकी वैदेशिक नीति का, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि ४–५ वर्ष तक इस भूभाग को चीन के अधिकार में जाते रहने देना और चीन की सरकार के मातहत वहां पर सड़कें तथा हवाई अड्डे बनते देते रहना, यह सब केन्द्रीय सरकार ने क्यों देश से गुप्त रखा? क्यों जनता को ज्ञान होने नहीं दिया कि लद्दाख के एक प्रमुख भाग पर चीन अधिकार कर रहा है? इसी वैदेशिक नीति से प्रोत्साहित होकर आज चीन मकमहोन लाइन को नहीं मानता और आज हमारी संयुक्त प्रदेश की सीमा पर उसके आक्रमण की आशंका है और इस सब की जिम्मेदारी हमारी भारत सरकार की लचर नीति है। जहां तक वैदेशिक नीति का प्रश्न है भारत सरकार ने इन १३ वर्षों में क्या किया, इस विषय पर हमें विचार करना है।

श्री अधिष्ठाता––माननीय सदस्य वैदेशिक नीति पर अपना विचार प्रकट न करें। प्रस्ताव के अन्दर ही बोलें तो अच्छा है।

श्री देवनारायण भारतीय––आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। जितना जिक्र मेरे पूर्व वक्ताओं ने वैदेशिक नीति का किया है उसका उत्तर देना मेरा कर्तव्य है।

श्री अधिष्ठाता––वैदेशिक नीति पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ और मैं उसे होने नहीं दूंगा।

श्री देवनारायण भारतीय––आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। यों तो कश्मीर का एक बहुत बड़ा भाग जो ४२ हजार वर्ग मील का है आज १२–१३ वर्षों से एक वैदेशिक सत्ता के अधीन है और उसे हम बातचीत के द्वारा ही सुलझाना चाहते हैं, उसे वापस लेने का प्रयत्न नहीं किया गया। आज से ४-५ वर्ष पहले, मेरा ऐसा विचार है कि जिस समय चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था उस समय यदि भारतवर्ष अपने कर्तव्य का पालन करता, भारतीय केन्द्रीय सरकार यदि अपने दावे को चीन की सरकार के सामने रखती, यू० एन० ओ० के सामने रखती तो यह परिस्थिति ही नहीं आती कि तिब्बत जो एक बफ़र स्टेट थी वह चीन के अधीन हो जाती। मैं समझता हूं हमारे देश की रक्षा के लिये तिब्बत का बफ़र स्टेट रहना परमावश्यक था। लेकिन तब हमारे महान् नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू चीन का समर्थन करने के लिये तैयार रहे और तिब्बत को एक छोटा राष्ट्र समझ कर चीन को अर्पण कर दिया। आज उसी का प्रायश्चित्त हमें इस रूप में भोगना पड़ रहा है कि उसी तिब्बत की सीमा से बार-बार आक्रमण की तैयारी हो रही है और भारतीय सीमायें खंडित की जा रही हैं। यह भारतीय सरकार की उसी वैदेशिक निष्फल नीति का परिणाम है...

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य का मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार की सुरक्षा का प्रश्न इस प्रस्ताव में नहीं है। आप प्रस्ताव के अन्दर बोलने की कोशिश करें।

श्री राजनारायण---चूंकि आपने कई बार कहा इसलिये जो एक जरा सा भ्रम है उसको मैं दूर करना चाहता हूं। आप देखें कि जो माननीय चन्द्रजीत यादव का संशोधन है वह अपनी जगह पर है। जो वक्ता महोदय बोल रहे हैं वह प्रस्ताव पर भी बोलेंगे और संशोधन पर भी बोलेंगे। उस संशोधन में यह लिखा हुआ है कि "यह सदन भारत सरकार की शान्तिमय समझौते द्वारा सीमा सम्बन्धी विवादों को हल करने की नीति..."। तो इसमें भारत सरकार की नीति है।

श्री अधिष्ठाता---भारत सरकार की सुरक्षा की नीति नहीं है, जो अमेंडमेंट है आप उस पर ही बोल सकते हैं।

श्री राजनारायण---तो जिस समझौते की नीति से भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है उस पर भी कहा जा सकता है और यह हमारी सीमा के अन्दर आयेगा।

श्री अधिष्ठाता---समझौते की नीति के विषय में ही कहा जा सकता है। संशोधन में देखें तो यह लिखा है---

> "यह सदन भारत सरकार की शान्तिमय समझौते द्वारा सीमा सम्बन्धी विवादों को हल करने की नीति का पूर्णतया समर्थन करते हुये यह विश्वास दिलाता है...।"

श्री राजनारायण---मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर हमारा मत यह है कि भारत सरकार की शान्तिपूर्ण समझौते द्वारा सीमा विवाद को हल करने की नीति ने आज देश की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है.....

श्री अधिष्ठाता---इस पर बोल सकेंगे लेकिन भारत सरकार ने सुरक्षा के लिये क्या किया है उस पर नहीं बोल सकेंगे।

श्री राजनारायण---सुरक्षा नहीं की है, इस पर तो बोल सकेंगे ?

श्री अधिष्ठाता---इस पर बोल सकेंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---इसमें सुरक्षा नीति और वैदेशिक नीति दोनों आ गयीं और इसी पर वह बोल रहे हैं।

श्री देवनारायण भारतीय---श्रीमन्, जो समय चला गया है उसका ध्यान रखें।

श्री अधिष्ठाता---उसका ध्यान रखूंगा।

श्री देवनारायण भारतीय---मैं कह रहा था कि इन १३ वर्षों में भारत सरकार ने क्या किया। हमारी प्रान्तीय सरकार हमारी रोटी, कपड़ा, हमारी गरीबी, भुखमरी, और बेकारी की समस्यायें हल नहीं कर सकी, वह देश की सुरक्षा के प्रश्न पर क्या ध्यान दे सकती थी ? जो भी योजनायें पहले बनीं उनमें देश की सुरक्षा का प्रश्न सामने रखा ही नहीं गया। दो योजनायें जो रखी गईं उनमें देश की आर्थिक उन्नति का ही प्रश्न रखा गया। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे देश की सुरक्षा का प्रश्न सब से महत्वपूर्ण था और उसको रखा जाना चाहिये था लेकिन वह नहीं रखा गया।

सैनिक शिक्षा की ओर लोग अग्रसर हों, इसके लिये हमने क्या कदम बढ़ाये हैं, इसको मैं जानना चाहता हूं और देश के ऊपर अपने प्राणों को न्योछावर करने की भावना

को जाग्रत करने के लिये प्रान्तीय तथा भारतीय सरकारों ने क्या किया है ? शस्त्रों का कानून जो अंग्रेजी सरकार ने अपना शासन कायम रखने के लिये बनाया वह भी अभी तक लागू है और देश के नौजवान जो शस्त्र रखना चाहते हैं, नहीं रख सकते हैं। आजकल आये दिन हम सुनते रहते हैं कि किसानों ने, मजदूरों ने हड़ताल की, उन पर गोलियां चलाई गईं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन नंगे भूखे लोगों पर गोली चलाकर चीन को आक्रमण करने के लिये निमंत्रण नहीं दिया गया ? हमारे यहां वर्ष में कोई महीना या दिन ऐसा नहीं जाता जब गोली न चलती हो। हमारी भुखमरी और गरीबी तथा सरकार की गोलीबाजी विदेशी आक्रमणों को निमंत्रण देती है कि हमारे यहां भुखमरी है, गरीबी है और इसके कारण ऐसी स्थिति है कि लोग सरकार का साथ नहीं दे रहे हैं, इसी से आज चीनी आक्रमण करने को तैयार हो रहे हैं।

मैं मानता हूं कि पंडित जवाहरलाल जी ने विश्व-शान्ति की दुहाई दी और सारे संसार में वह शान्तिदूत कहलाये। लेकिन विश्व-शान्ति की दुहाई देकर वह अपने देश की रक्षा नहीं कर सकते हैं। अपने देश की रक्षा के लिये अपने देश को मजबूत बनाना होगा। अपने देश के अन्दर लोगों में देश प्रेम और राष्ट्रीयता को इस हद तक जाग्रत करना होगा कि देश का प्रत्येक नौजवान देश पर संकट आने की परिस्थिति में अपने प्राणों का बलिदान करने के लिये तैयार हो जाय। यह भावना जवाहर लाल जी या सरकार ने देश के लोगों में पैदा नहीं की।

श्रीमन्, समय का ध्यान रखते हुए मैं सदन के समक्ष कुछ सुझाव भी रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे देश की वैदेशिक नीति में आमूल परिवर्तन हो। सबसे पहली बात यह होनी चाहिये कि तिब्बत स्वतंत्र राष्ट्र हो। यह कभी भी चीन के आधिपत्य में नहीं रहा और जब से हमने उसकी चीन की आधीनता को स्वीकार कर लिया है तभी से आपत्तिकाल आरम्भ होता है, इसके लिये मैं उद्धरण देना चाहता हूं "कम्युनिस्ट चायनीज एग्रेशन" नामक पुस्तक से। यह पुस्तक श्री मुकुट बिहारी लाल द्वारा लिखी हुई है। इस पुस्तक द्वारा मैं बताना चाहता हूं कि दलाई लामा ने ७ सितम्बर, १९५९ को यह कहा है कि :—

"This de facto independence, it is maintained, became validly legal, when the 13th Dalai Lama issued a proclamation, declaring the complete independence of Tibet and denouncing the Chinese claim to suzerainty (Dalai Lama's speech to the Indian Council of World Affairs, 7th September, 1959)"

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि तिब्बत कभी भी चीन का भू-भाग नहीं रहा है, चीनी शहन्शाहत तिब्बत ने कभी भी स्वीकार नहीं की। इसी पुस्तक में आगे लिखा है कि—

"In 1917 Chinese forces marched in Tibet but they were repulsed by Tibetan troops and thus China failed to reimpose its authority over Tibet. The Tibetan Government persistently refused to entertain China's claim of suzerainty and to negotiate with the Chinese Government on the question."

मेरा निवेदन यह है कि तिब्बत ने कभी भी चीन की अधीनता स्वीकार नहीं की। तिब्बत एक स्वतन्त्र देश रहा। चीन ने अक्तूबर, १९४९ में अपने यहां कम्युनिस्ट सरकार बनायी। पहली जनवरी, १९५० को उन्होंने घोषणा कर दी कि तिब्बत हमारी अधीनता में है और २३ मई, १९५१ को एक ऐग्रीमेंट जिसको साइनो-टिब्बटन ऐग्रीमेंट कहते हैं वह हुआ। उसके द्वारा तिब्बत को यह आश्वासन दिया गया कि चीन उसकी आटोनामी में किसी प्रकार का दखल नहीं देगा। लेकिन इतिहास और कम्युनिस्ट पार्टी की

[श्री देवनारायण भारतीय]

परम्परा बतलाती है कि एक बात को आज कह कर कल लौट जाना यह उनकी खूबी रही है। १९५९ में उन लोगों ने तिब्बत पर शासन कर लिया और दलाई लामा को भाग कर हिन्दुस्तान में शरण लेनी पड़ी। मैं कहना चाहता हूं कि तिब्बत के साथ जो विश्वास-घात हमारी वैदेशिक नीति ने किया है, जो हमारी केन्द्रीय सरकार ने किया है, हमारे नेता पंडित जवाहरलाल ने किया है उसका यह प्रायश्चित है कि हम इस खतरे को अपने सामन देख रहे हैं।

मान्यवर, दूसरी बात मैं सुझाव के रूप में यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रान्त का जो भू-भाग चीन की सीमा पर या तिब्बत की सीमा पर है उस भू-भाग का अनेक उपायों से विकस करना चाहिए। वहां पर सामाजिक विकास होना चाहिये, शैक्षिक विकास होना चहिये, आर्थिक विकास होना चाहिए। वहां के लोग इतने गरीब हैं कि माननीय प्रताप सिंह ने बताया कि जब माननीय पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी वहां पर गये तो वहां की जनता ने कहा कि "हम भूखे पेट सो रहते हैं। हमको आप क्या उपदेश करना चाहते हैं"। वहां का आर्थिक विकास कीजिये, वहां पर सड़कें बनवाइये और वहां की जनता में देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना जाग्रत करने का प्रयत्न कीजिये जिससे अगर कभी भी खतरा हो तो लखनऊ और दिल्ली से सेना भेजने की आवश्यकता न पड़े। वहां के लोगों को अगर देश प्रेम से ओतप्रोत कर देंगे तो व स्वयं इस बात में समर्थ होंगे कि वे अपनी रक्षा कर सकें। वहां पर शस्त्रों का वितरण सरकार की ओर से किया जाय और उनका प्रयोग वहां के निवासियों को सिखाया जाय ताकि वे वहीं पर आवश्यकता पड़ने पर मुठभेड़ कर सकें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि हमारी प्रान्तीय सरकार सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दे तो हम बहुत सा खर्चा बचा कर भी अपनी सैनिक शक्ति को इतनी प्रबल बना सकेंगे कि चीन क्या संसार का कोई भी देश हमारे ऊपर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता। मेरा अपना अनुमान है कि २० से ४० वर्ष तक के लोगों के लिए अगर सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय और उनको शिक्षा देकर अपने-अपने गांवों में छोड़ दिया जाय और जब जरूरत पड़े तो बुला लिया जाय तो इससे बहुत बड़ी शक्ति हमार देश में तैयार हो सकती है। मेरा निवेदन यह भी है कि एक सैनिक विभाग हमारे प्रान्त में खोला जाय और एक मंत्री हो जो सीमावर्ती सैनिक अधिकारी से अपना सीधा संबंध रखे। मैं देखता यह हूं कि जिलाधीश बहुत सी सूचना समय पर देते नहीं हैं और जो सूचना देते हैं उसमें भी बहुत सी मिथ्या निकल जाती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो सैनिक मुख्य अधिकारी उस क्षेत्र में रहे उसका यहां के सैनिक मंत्री से सीधा संबंध रहे ताकि वह वहां की सच्ची स्थिति यहां पर शीघ्राति शीघ्र सूचित करता रहे।

श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार व्यक्त करने के लिये मुझे समय दिया। इस वक्त जो यह सीमा विवाद के सम्बन्ध में प्रस्ताव आया है, कम्युनिस्ट चीन ने जिस प्रकार से हमारी मित्रता के विपरीत यह किया, ऐसी स्थिति में जब कि हमें इस बात का कोई खयाल भी नहीं था, हमारे पूज्य नेता जवाहरलाल जी कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते थे और एक तरह से इसे मित्र को धोखा देकर विश्वासघात किया कहा जाय तो इसमें कोई अतिशयोक्ति न होगी। माननीय महोदय इस वजह से अब देश रक्षा का प्रश्न देश के सम्मुख है। ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम तो मुझे इस बात का हर्ष है कि हमारे देश की सभी पार्टियों ने नाना प्रकार के विभिन्न विचार रखते हुये भी इस देश रक्षा के प्रश्न पर एकमत दिखाया है। यह हमारे लिये प्रसन्नता और सौभाग्य की बात है। मैं आशा करता हूं कि यह जो कदम उठाया है इसको इसी तरह से कार्यान्वित करने की कोशिश करेंगे।

तीन दिन से यह वाद-विवाद चल रहा है। इस पर बहुत से वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट लिये हैं और हर एक पहलू पर प्रकाश डाला है और उसके लिये कुछ सुझाव भी दिये हैं।

उन सब बातों के लिये मैं उन सब वक्ताओं का और सभी देश हितैषियों का आभारी हूं। महानुभाव, इस सम्बन्ध में मुझे जो कहना है, यह मैं अब बतला देना चाहता हूं कि यह तो निराधार नहीं है जो चीन सरकार ने अतिक्रमण किया है, वह तो सबके सम्मुख है ही, मैं उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता। मुझे सिर्फ यह कहना है कि अपनी स्थिति को सुधारने के लिये और अपने को सजग रखने के लिये, देश की रक्षा के लिये किन बातों की आवश्यकता है? इस पर जो सुझाव दिये गये हैं जैसे हमारे साथी गोविन्द सिंह बिष्ट जी ने यह कहा कि हमें इसके लिये क्या-क्या करना है। इस वक्त उनके कथन का मैं समर्थन करता हूं। आज तक तो हम गफलत में रहे, लेकिन अब हमें क्या करना है, उनकी तरफ पूरा-पूरा ध्यान देना चाहिये।

इससे पूर्व भी कुछ बातें कही गयी थीं। उस समय की बात को छोड़ दीजिये, जब अंग्रेजों का राज्य था और वे बड़े दूरदर्शी होते थे, लेकिन उन्होंने भी गलती की, उन्होंने भी यह तय किया था कि टनकपुर से एक रेल की सड़क निकाली जाय और जो बागेश्वर तक फिलहाल उनकी स्कीम थी और पूर्ण न हो सकी, जो उनकी उचित स्कीम थी, लेकिन आज तक भी वह पूरी नहीं की गई, मैं यह कहना चाहता हूं कि हर हालत में उसका अब पूरा हो जाना अनिवार्य है।

दूसरी बात, यातायात के लिये और सड़कों के लिये जो कुछ कहा गया है, जहां कहीं भी सड़क नहीं है वहां उसका बनाया जाना बहुत ही जरूरी है। जब तक यातायात की सुविधा नहीं होगी तब तक हम किसी तरह का काम नहीं कर सकेंगे।

इसके अलावा और बातों के लिये भी कई चीजों का यहां पर जिक्र किया गया है कि हमको क्या करना होगा। जहां पर वायुयान के लिये अड्डे की जरूरत है वहां पर वायुयान का अड्डा भी बनाना होगा। इसके अलावा और भी कुछ धन्धे जिनकी इस देश को जरूरत है, उनको करना अनिवार्य है। इसके लिये इस वक्त हमें यह करना है कि जो वहां के निवासी हैं, वह बहुत मेहनती लोग हैं और मुसीबत उठाने के आदी हैं। उनके लिये हमारे एक नेता ने कहा था कि वहां के लिये ऐसे लोगों की जरूरत है जो मजबूत हों और जो मुसीबत उठाने के आदी हों। तो ऐसे लोग वहां पर मौजूद हैं। उन लोगों को हर हालत में सहारा देना है और उनके लिये रोटी का प्रबन्ध करना जरूरी है। जो चीनी अतिक्रमण का मुकाबला कर सकें ऐसे लोगों में ज्यादातर वहां पर हरिजन हैं जिनकी हालत वहां बहुत खराब है। उनके लिये बहुत दिनों से भूमि की मांग हो रही है। उस प्रश्न पर अभी तक अधिक विचार नहीं हुआ है जिससे उनकी मांग पूरी हो सके। गणतन्त्र राज्य में गणतन्त्र सरकार के होते हुये उन लोगों की मांग अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। उनके रहने के स्थान का और उनके लिये रोटी का अभी तक प्रबन्ध नहीं हो सका है। यह हमारे राज्य के लिये, हमारे समाज के लिये बड़ी लज्जा की बात है और एक तरह से कलंक का टीका है। इसको दूर करना अनिवार्य है। महोदय, ये लोग कौन हैं इस पर भी कुछ सोचना जरूरी है। यह पिछड़े वर्ग के लोग हैं। यह वह लोग हैं जो बहुत काल से यहां के बाशिन्दे हैं और यहां के निवासी होते हुये उस प्राचीन काल में इनको शूद्र कहा जाता था और इस समय इनको हरिजन कहा जाता है। इनकी स्थिति पर जरूर खयाल किया जाना जरूरी है। यह देश का साथ देने वाले लोग हैं। बहुत समय से यानी रामराज्य के जमाने में भी यह लोग थे। रामराज्य की लड़ाई को देखा जाय तो श्वेतबन्धु रामेश्वरम् में पुल बाँधने वाले यही लोग थे। आज उनको पिछड़े वर्ग का कहा जाता है। उन लोगों ने उस प्राचीन काल में लंका पर चढ़ाई करने के लिये जो मदद दी है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। उसकी तवारीख बनी हुई है। उसका वर्णन रामायण में स्थान-स्थान पर मिलता है कि उस समय श्वेतबन्धु रामेश्वरम् का पुल बांधने वाले नल नील शिल्पकार ही थे।

एक और उदाहरण देता हूं। हमारे मुल्क में जब महाराणा प्रताप पर मुसीबत आ रही थी तो उस समय भीलों ने उनकी रक्षा की थी और वह भील लोग, ये ही लोग थे। यहां पर इस देश में सदा इन्होंने साथ दिया है। उसी भावना से अभी तक अपने राज्य का, चाहे वह एकतन्त्र हो या जनतन्त्र हो, सहयोग देने के लिये तैयार हैं। तो ऐसी हालत में जब कि उन लोगों ने हजारों

[श्री खुशीराम]

वर्ष तक इस राष्ट्र का और इस समाज का साथ दिया है और देने को तैयार हैं तो उनको सहूलियत देना और उनके लिये रोटी का प्रबन्ध करना और उनकी हालत को सुधारना हमारे लिये बहुत जरूरी है और इनके लिये स्थान का प्रबन्ध करना जरूरी है। इस वक्त मुझे यही कहना है कि इनकी हालत को सुधारना बहुत जरूरी है। वहां के रास्तों की हालत सुधारी जाय और यातायात के साधन ठीक किये जायं और ऐसा करके हम अपने देश की स्थिति को सुधार सकेंगे। जब हम दूसरे के सुख में सुखी होंगे तभी असली रामराज्य और असली समाजवाद इस देश में आयेगा। हमको खरबजे की तरह का संगठन करना चाहिये कि भले ही बाहर से भिन्नता दिखाई पड़े लेकिन अन्दर में हम सब एक रहें। हमको नीबू या नारंगी की तरह का संगठन नहीं चाहिये कि जिसमें हम बाहर से तो एक दिखाई पड़ें लेकिन अंदर में हम सब में भिन्नता हो। इस प्रस्ताव को मानने के लिये सारा देश और सारी पार्टियां एक हैं, एक मत हैं और यह हमारे लिये सौभाग्य का दिन है। जब देश में एकता होगी और यहां की रोटी का मसला हल हो जायगा तो एक नहीं १७ चीन भी आ जायं, हम उनका मुकाबला करने में समर्थ रहेंगे और हम अपने पैरों पर खड़े होकर अपने बाहुबल से उनका मुकाबला कर सकते हैं। जो यह देश रक्षा का कार्य है उनको करने के लिये सदन विचार करे और उनको पूरा करने की कोशिश करे यही मेरी कामना है और इन के होने से हम सफल हो सकेंगे। मैं इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्ताव गोविन्द सिंह जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये और श्री चन्द्रजीत जी के संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, अभी-अभी हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता झारखंडे राय जी ने अपने भाषण में कहा कि कौन शान्ति चाहता है और कौन युद्ध, यह यहां के भाषणों से स्पष्ट हो रहा है। श्रीमन्, वैसे तो जो संशोधन का प्रस्ताव कम्युनिस्ट पार्टी के उपनेता द्वारा लाया गया था उससे ही भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का पर्दाफाश हो गया था लेकिन रही सही बात माननीय झारखंडे राय जी ने और स्पष्ट कर दी। उन्होंने सदन में बैठकर हमारे माननीय मुख्य मंत्री और सदन को यह चुनौती दी है कि हमने दुनिया से निपटा है और भारत में भी अगर इस प्रकार की बातें होंगी तो हम भारत से भी निपटेंगे। अधिष्ठाता महोदय, मैं आप के द्वारा कम्युनिस्टों को यह बता देना चाहता हूं कि भारत का प्रत्येक बच्चा-बच्चा अपने राष्ट्र प्रेम से और अपनी देश-भक्ति से ओतप्रोत है और उनके यह मंसूबे भारत में पनप नहीं सकते।

श्रीमन्, उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि हम जारशाही के खिलाफ लड़े और न मालूम किस किसके खिलाफ लड़ें।

(इस समय २ बजे उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए।)

लेकिन मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, यही कहूंगा कि उनके नेताओं का ही उनकी जिन्दगी में और उनके मरने के बाद क्या हाल हुआ, क्या हश्र होता है, यह कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास है। उनके मरने के बाद पोस्टमार्टम किया जाता है, उनकी नीति का और क्या-क्या होता है, यह वह जानते हैं। दुनिया की बातें हमारे कम्युनिस्ट भाई जहां कहीं भी मीटिंग होती है करते हैं। हर जगह तेलंगाना का इतिहास दोहराया जाता है। आज वे नेहरू जी के बड़े हमदर्द बनते हैं। उनकी नीति को वे अच्छा बता रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज चाहे भारत का प्रधान मंत्री बदल जाय, भारत का रक्षा मंत्री बदल जाय, कोई भी भारत का प्रधान मंत्री हो, भारत का बच्चा-बच्चा, भारत का प्रत्येक नागरिक, अपने प्रधान मंत्री के हाथ मजबूत करेगा, उनके पीछे-पीछे चलेगा। किन्तु जो लोग भारत को गुलाम बनाना चाहते हैं उनके मंसूबों को भारत का बच्चा-बच्चा कुचल देगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, नाना प्रकार की बातें कही गयीं, नाना प्रकार के इल्जाम लगाये गये, पार्टियों के मंसूबों की चर्चा की गयी, युद्ध की बातें भी कही गयीं। इतना सब कुछ हुआ, किन्तु मुझे अफसोस है कि एक बार भी माननीय झारखंडे राय जी के मुंह से यह नहीं निकला कि चीन ने भारत पर आक्रमण किया है और ऐसे मौके पर चीन ने जो गलती की है उसकी वह निन्दा करते हैं और इस मौके पर वे भारत सरकार का साथ देंगे। वे वफादार भी बनते हैं, बहुत सी बातें भी करते हैं लेकिन उसके साथ-साथ विरोध भी करते हैं। इस समस्या पर आज हमें विचार करना होगा, हमें इन लोगों से होशियार रहना होगा। हमें अपनी सीमा की रक्षा के लिये इन पंचमांगियों का सफाया करना होगा। इन लोगों से हर समय होशियार रहना होगा। यहां जो कुछ होता है उसकी एक-एक खबर उन लोगों तक पहुंच जाती है। दलाई लामा कहां जा रहे हैं, उनका क्या प्रोग्राम है, जरा-जरा सी खबरें वहां पहुंच जाती हैं। ट्रांसमीटर तक पकड़े गये हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमें इन लोगों से सचेत रहना होगा।

श्रीमन्, अभी-अभी जो आसाम की सीमा पर चुनाव हुआ था उसके बारे में भी बहुत कुछ कहा गया। वहां पर जनता को बताया गया कि हम कहां पहुंच रहे हैं, हमारी जड़ें कहां-कहां तक पहुंच गयी हैं। वहां पर कहा गया—हमारा लाल सितारा चमक रहा है, लाल सितारा आ रहा है। इस-इस तरह की बातें कह कर वहां पर जनता को भयभीत किया गया। हमारी सरकार को इस तरह के प्रचार से सजग रहना चाहिये और देखना चाहिये कि इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। जहां पर हम इन सब बातों का विचार करें वहां हमको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिय कि वहां सीमा पर रहने वाले लोग किसी तरह से डीमोरेलाइज न हो जायं। भारत के कम्युनिस्टों द्वारा उनको भड़काया जा रहा है, उनको नाना प्रकार के प्रलोभन दिये जा रहे हैं। उनसे कहा जाता है कि देखो, अब तो चीन आ रहा है, हमारी शान्ति सेना आ रही है, आकर तुम्हें मुक्त करायेगी। तो इन सब बातों पर हमें विचार करना होगा। इन लोगों से होशियार रहना होगा। उपाध्यक्ष महोदय, एक-एक मिनट पर, एक-एक जगह पर, यह लोग अपना भेष बदलते रहते हैं, अपनी शक्लें बदलते रहते हैं। इन लोगों से हमको सावधान रहना चाहिये, हमारी सरकार को सावधान रहना चाहिये, हमारे प्रदेश के गांव-गांव के नागरिक को सावधान रहना चाहिये और सरकार को इसके लिये कोई उचित व्यवस्था करनी चाहिये। अभी कल हमारे माननीय नेगी जी ने भाषण दिया था और कहा था कि हमारे चार जिले ही पर्याप्त हैं और हम चीनी आक्रमणकारियों को वहीं रोक लेंगे। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसे भाषण जनता में होने चाहिये और सदन में इस तरह के भाषणों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहां माननीय सदस्यों को गुमराह करना है और न उनका उत्साह बढ़ाना है। यहां हम सोचने के लिये बैठे हैं तो हमें विचारना चाहिये और हमें अपनी शक्ति को आगे बढ़ाना चाहिये।

मान्यवर, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। गढ़वाल जिले का बाराहोती क्षेत्र, हमारे प्रदेश का क्षेत्र है। सुना है कि उसमें कोई समझौता चीन से है और माननीय नेहरू जी ने कहा भी है कि वह नोमेन्स लैन्ड है, उसमें न उनका आदमी रहे और न हमारा कोई आदमी रहे। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो बात हुई है वह क्या उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से हुई है? यह मेरे प्रदश का क्षत्र है और मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी जब बोलें तो इस पर जरूर प्रकाश डालेंगे कि यह हुआ है या नहीं और हुआ है तो कैसे? भारतीय जनसंघ इसके खिलाफ है और इसका विरोध करता है।

श्रीमन्, एक बात और कहना चाहता हूं। आज इस बात पर बड़ी कड़ी दृष्टि रखनी चाहिये कि अब भी हमारे यहां से केरोसीन आयल, जूट, पेट्रोल तिब्बत को जा रहा है

[श्री भुवनशभूषण शर्मा]

और यही चीजें हमारे खिलाफ युद्ध में काम में लाई जायेंगी। इस पर प्रतिबंध होना चाहिये और सावधानी बरतनी चाहिये।

श्रीमन्, आज आवश्यकता इस बात की है कि गांव गांव में, व्यक्ति व्यक्ति के अन्दर राष्ट्र प्रेम की बात भरी जाय और उनको यह भी बतलाया जाय कि मुल्क के लिये बलिदान की आवश्यकता हो तो उसके लिये भी आवश्यकता पड़ने पर लोग तैयार रहें। यह सही है कि पड़ोसी मुल्क हमारा चीन है, हमने उसकी उन्नति के लिये कोशिश की और वह विस्तारवादी नीति, जो उनकी विश्व भर में चल रही है उसके आधार पर अगर हमारी सीमाओं पर हमला करें तो हम बलिदान करेंगे। अभी जब भारतीय जनसंघ ने आन्दोलन किया और हम गांव वालों को समझा रहे थे कि चीन क्या कर रहा है तो वह जानते नहीं थे कि क्या हो गया है। शहर में रहने वाला व्यक्ति अखबारों के द्वारा जानता है लेकिन गांव का व्यक्ति जानता ही नहीं कि हमारे देश पर कितने खतरे के बादल छा गये हैं और हमारी सीमा पर क्या हो गया है। अभी तक इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया गया। अभी तक उनके अन्दर ऐसी कोई चेतना नहीं भरी गई और इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गयी।

दूसरी बात यह भी है कि हमारे देश और प्रदेश की जनता अभी समझती नहीं। कहीं मेला लगा, कोई देवी जी पैदा हो गयीं और कुछ हुआ कि भीड़ लग गयी और भीड़ में भगदड़ मची और बहुत सारे आदमी मर गये। तो कहीं भगवान न करे लेकिन हर चीज से हमें बहुत सावधान रहना चाहिये। कहीं हमला होता है और फौजें उधर पहुंचने के लिये बढ़ती है और इधर भीड़-भाड़ मचती है और रास्ता बन्द हो जाता है तो हमारा रास्ता अवरुद्ध हो जायगा और जनता हमारी समझ नहीं पायेगी कि क्या करना है। यह कोई बुरी बात नहीं है या युद्ध करने की बात नहीं है अगर हम जनता को शिक्षा देते हैं कि अगर कोई हमला होता है तो हमारा क्या कर्त्तव्य है, कहां और कैसे बचना चाहिये। अगर इस प्रकार का रिहर्सल होता है तो यह कहना कि वह कमजोरी पैदा करना है, गलत है। इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया गया और दुर्भाग्य से ऐसा हो गया तो हमारे ही व्यक्तियों के कारण हम अपने काम पर नहीं पहुंच पायेंगे और हमारा नुकसान हो जायगा।

मान्यवर, चीन ने दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी विस्तारवादी योजनायें कहां तक पहुंची और वे क्या चाहते हैं। अभी अभी हमारे कम्युनिस्ट साथी झारखंडे राय जी ने चीन की बड़े जोरों से वकालत की और कहा कि तिब्बत हमेशा से चीन का रहा है। मान्यवर, वह बड़े शान्तिवादी और अहिंसावादी हो गये। चीन ने लद्दाख पर हमला करके हमारे ९ सैनिकों को मार दिया और कह दिया कि यह हमारी सीमा के अन्दर घुस आये थे इसलिये उनको मार दिया।

हमारे सैनिक कर्मसिंह जो अभी वहां से आये हैं उन्होंने अपना बयान दिया है और वह प्रधान मंत्री के द्वारा लोकसभा में सुनाया गया है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार चीनियों ने उनको परेशान किया, कितना कष्ट दिया, उन्हें सिखाया गया और जबरदस्ती दस्तखत कराये गये। श्रीमन्, जेनेवा वार्ता जो हुई थी उसमें सभी राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किये थे, चीन ने भी किया था, उसमें तय हुआ था कि अगर किसी एक राष्ट्र का सैनिक किसी परिस्थिति में दूसरे राष्ट्र में फंस जाय तो उसको कभी भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं दी जायगी, उससे जबरदस्ती किसी प्रकार का भाषण नहीं दिलाया जायगा, उसको कोई यातनायें नहीं दी जायंगी, सीक्रेट्स नहीं पूछी जायंगी। लेकिन उस हस्ताक्षर की अभी स्याही भी नहीं सूखने पाई थी और इधर चीन ने हमारे सैनिकों को इस प्रकार से परेशान किया, उनको खाई के अन्दर रखा गया, उनको बर्फ पर चलाया गया, जबरदस्त सर्दी में उनको भूखे और नंगे रखा गया। यह बड़े दुख की बात है। और अभी हमारे एक सैनिक का पता भी नहीं चला है।

हमारे प्रधान मंत्री की वर्षगांठ के अवसर पर जब कि दुनियां के तमाम देशों से शुभ सन्देश आये, चीन की तरफ से हमारे ९ सैनिकों की लाशें आयीं। इससे साबित हो जाता है कि चीन क्या चाहता है। इसके बाद भी अगर यहां की कम्युनिस्ट पार्टी अपने को इस देश का सच्चा वफादार समझती थी तो उसको चाहिये था कि वह प्रधान मंत्री को लिखकर भेजती, जिनकी आज यह वकालत कर रहे हैं, कि हमारा चीन से कोई संबंध नहीं। यह कम्युनिस्ट पार्टी जिसके सदस्य भारत की भूमि पर पले हैं ,जिन्होंने यहां का अन्न खाया है, वह कहते कि हम भारतीय हैं, हमारा चीन से कोई संबंध नहीं है, हमारी पार्टी न मास्को से संबंध रखती है और न किसी दूसरी जगह से और वह कहते कि अगर इस देश पर हमला होगा तो कम्युनिस्ट पार्टी शत्रु को मुंहतोड़ उत्तर देगी। लेकिन उसकी जगह पर कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से, गोविन्दसिंह विष्ट जी की तरफ से जो प्रस्ताव आया है, उसमें संशोधन रखा गया है कि यह शब्द हटाकर यह शब्द रख दिये जायं। मैं कहता हूं कि शर्म आनी चाहिये ऐसी बातों पर।

अन्त में चूंकि समय समाप्त हो रहा है इसलिये मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन करना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश पर यदि हमला हुआ तो देश के अन्दर या बाहर जो पंचमांगी हैं उन पर भारतीय जनसंघ का एक-एक सदस्य कड़ी निगाह रखेगा और ऐसे एक-एक व्यक्ति पर निगाह रखी जा रही है और हम लोग आपसी भेद-भाव भुलाकर, सभी पार्टियां मिल कर अपने माननीय मुख्य मन्त्री और प्रधान मंत्री के हाथ मजबूत करेंगे। जब तक भारत के एक भी व्यक्ति के शरीर में रक्त की एक बूंद है तब तक चीन क्या, भारत के गद्दार क्या, हम सबका मुकाबला करने के लिये तैयार हैं। हमारी लाश के ऊपर ही कोई आ पावेगा। हमारे देश को कोई भी कभी कुचल नहीं सकता है उसकी अभिलाषायें वहीं तक रह जावेंगी।

श्री भूपकिशोर (जिला एटा)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं कि सभी पार्टियों के आदमियों को बोलने का मौका दिया जा रहा है। मैं भी रिपब्लिकन पार्टी का हूं, मुझे भी कुछ मिनट का मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---जिस पार्टी के आप हैं उसके चीफ व्हिप या सेक्रेटरी से लिखा लाइये।

श्री राम प्रसाद नौटियाल (जिला गढ़वाल)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। मान्यवर, भारत की उत्तरी सीमा पर चीन की ओर से जो आक्रमण हुआ है उसका विरोध सारे देश ने किया है। इसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं कि आज कम्युनिस्टों की बात सुनने के लिये देश में कोई तैयार नहीं है।

श्री टीकाराम पुजारी---श्रीमन्, २ दिन हो गये हैं मुझे अभी अवसर नहीं मिला है। मुझे भी मौका दीजिये तो मैं बताऊंगा कि क्या-क्या खास बातें इनमें हैं जो मेरी गोद के खेले हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है। कृपया आप बैठें।

श्री रामप्रसाद नौटियाल---मान्यवर, मुझे फौज में एक जूनियर अफसर होने की हैसियत से काम करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है तथा डिस्ट्रिक्ट आर्गेनाइजर प्रान्तीय रक्षक दल और बार्डर अफसर की हैसियत से भी मानसरोवर, कैलास और नीती घाटी में तथा माणा और दूसरे दर्रों में भी दौरा करने का मौका मिला है। मैंने इन सभी स्थानों को देखा है। इन तमाम बातों को देखते और समझते हुए, जो मिलिटरी का लड़ने और रक्षा का खास तरीका होता है, उसे मद्देनजर रखते हुए, मैं अपने अनुभव की बात कहना चाहता हूं और मैं वहां के खास-खास इलाके में गया हूं। मुझे एक फौजी अफसर होने के नाते वार टैक्टिक्स, मैप रीडिंग और सीमा की देख-भाल करने का तरीका भी मालूम है कि वार स्कोर्ट किस प्रकार पंचमांगी का काम करते हैं। मैंने देखा कि बहुत से कम्युनिस्ट लोग भारत के कोने-कोने से हमारे जिले में

[श्री रामप्रसाद नौटियाल]

आ रहे हैं। हमारे जिले के कम्युनिस्ट लोग उनको सीमान्त पर ले जाने का प्रबन्ध करते हैं। कभी-कभी वे ऐसा भी प्रचार करते हैं कि मौजूदा हुकूमत से किसान व मजदूर को मुक्ति नहीं मिल सकती है, मुक्ति तो तभी मिलेगी जब कि चीन की मुक्ति सेना आवेगी। यह प्रचार उन लोगों का बहुत छिपे तौर पर होता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो प्रदेश की सरकार के अन्तर्गत नहीं हैं लेकिन फौजी दृष्टि से, रक्षात्मक दृष्टि से, प्रदेश की सरकार को इस मामले में बहुत सचेत रहना चाहिये क्योंकि पंचमांगी कम्युनिस्ट बहुत बड़ी तादाद में जिला गढ़वाल, अल्मोड़ा और टेहरी में घुस गये हैं। वे आम तौर से टूरिस्टों के नाम से आ-जा रहे हैं और हमारी पुलिस की उन पर कोई खास नजर नहीं है। सन् १९३० में जब टूरिस्ट पार्टी के बहुत से लोग इन्हीं दर्रों के रास्ते तिब्बत और चीन की ओर गये थे तो उस समय सन् ३४ तक उन लोगों को रास्ते बतलाने में मैंने योग दिया था। उस समय मैं कुमायूं में कांग्रेस कौमी सेना का सेनापति था। अंग्रेज सरकार की ओर से इस देश में जिनके लिये, मौत, लम्बी सजा के वारन्ट होते थे वे लोग इन दर्रों से तिब्बत और चीन जाते थे। अब हमें यह देखना चाहिये कि दुश्मन किस इलाके में पहले घुसता है और कहां किस प्रकार से हमला करता है। पहले वह लोग वहां जाते हैं जहां पर गरीबी हो, अशिक्षा हो और लोगों में भ्रमात्मक बातें फैलाई गई हों। घेषवदाण जिला गढ़वाल में एक दर्रा है, वहां से लेकर अल्मोड़ा और गढ़वाल का सीमान्त क्षेत्र है जो मर्चूला तक लगभग ३०० मील लम्बा है और इस बीच की जनता बहुत ही अशिक्षित और गरीब है, जो आजकल के विज्ञान से बहुत ही दूर है। उदाहरण के लिये, आप किसी भी भाग को ले लीजिये, अल्मोड़े और गढ़वाल का ऐसा ही भाग मर्चूला तक चला गया है। घेषवदाण से लेकर, चाँदपुर, देवलगढ़, मल्ला सलान और तल्ला सलान तक चला गया है। वहां न कोई आने जाने के साधन हैं और न वहां शिक्षा है और न राष्ट्रीय प्रचार ही है। ऐसे स्थानों पर यह लोग जनता को बहकाने के लिये तरह तरह के प्रलोभन देते हैं और गरीब अशिक्षित जनता उनकी बातों में बहुत कुछ आसानी से आ सकती है।

इस समय स्थिति यह है कि जहां पहले हम सोचते थे कि हिमालय हमारा मुकुट और एक अविचल प्रहरी है वह बात आज के विज्ञान के युग में सच नहीं रह गयी है कि हिमालय हमारा रक्षक है। आज हिमालय के उस पार में दुश्मन आकर बैठा है और घात देख रहा है कि मैं भारत के किस कोने पर आक्रमण करूं और भारत पर कैसे पैर जमा कर आगे बढ़ूं। गढ़वाल का पुराना इतिहास बताता है कि हूण देश तिब्बत और चीन पर प्राचीन जमाने में भी लड़ाइयां लड़ी गयी हैं। गढ़ सुमियाल, सूरजकोला, रूपा रौत आदि वीरों ने चीन से युद्ध लड़े हैं। कई बार उन्होंने चीन और तिब्बत की भूमि पर कब्जा किया है। जो जातियां तिब्बत की सीमा पर बसी हुई हैं वे व्यापारिक होती हैं और मारछा, तुलसिया तथा दुराल, भोटिया नामों से वे पुकारी जाती हैं। उनकी भाषा भी अलग होती है, उनके स्त्री-बच्चे इत्यादि यहीं माणा, नीती गांवों में रहते हैं और वे तिब्बत में व्यापार को जाते हैं, उन लोगों के अन्दर आज भी इतनी गरीबी और अशिक्षा है कि जितना प्रेम किसी भी देशवासी को अपनी मातृभूमि से होना चाहिये, उनके अन्दर उतना नहीं पाया जाता है। यह क्यों है? यह केवल इसीलिये है कि वे गरीब और अशिक्षित हैं। इसलिये उनकी गरीबी और अशिक्षा मिटाने की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये और सभी सीमावर्ती लोगों को सुविधायें देनी चाहिये।

मैं मान्यवर, आपका ध्यान आजाद हिन्द सेना की ओर दिलाना चाहता हूं। जब भारत से नेता जी जर्मनी होते हुए जापान पहुंचे तो उन्होंने वहां पर आजाद हिन्द सेना को एक नया जीवन दिया। उन्होंने भारत की आजादी और मुक्ति का नारा लगाया जिसको सुन कर १२ हजार गढ़वाल के सैनिक उनके साथ हो गये। जिस आजाद हिन्द सेना का देश के स्वाधीन होने में बड़ा योग है, लेकिन आज वे सैनिक बेरोजगार हैं। भारत को आजादी मिल जाने पर भी यह लोग हारी हुई सेना की तरह से अपने स्थानों में पड़े हुए हैं। भारत सरकार ने उनकी बड़ी भारी उपेक्षा की है। इसका उन्हें क्षोभ है और उनमें असंतोष है। नेता जी ने नारा दिया कि वीरों

तुम्हारी मातृभूमि तुम्हें बुला रही है। उस नारे में आकर उन्होंने अपना सब कुछ बलिदान किया, लेकिन सरकार ने देश के आजाद होने पर जो आदर, इन्हें देना चाहिये था, नहीं दिया है। मैं सरकार को सुझाव देता हूं कि उनकी सेवाओं को न भुलाया जाय। यह अच्छा अवसर है कि भारत सरकार और प्रदेशीय सरकार को इन लोगों की सेवा लेनी चाहिये। उनको अवसर देना चाहिये कि वे संगठित होकर अपने देश की रक्षा कर सकें और चीन की जो सेना मुक्ति सेना के रूप में भारत में घुसना चाहती है उसका मुकाबला वह कर सकें।

इसके अतिरिक्त चार पहाड़ी जिलों में खाने-पीने के लिये साधनों और उद्योगों का कोई खास प्रबन्ध नहीं है। कठिन परिश्रम करने पर भी लोगों को खाने भर को नहीं मिल पाता है। इसलिये वहां पर ऐसे उद्योग खोले जाने चाहिये कि लोग अपनी रोटी कमा सकें। समय रहते हुए वहां पर उद्योग-धंधों का जाल बिछा दिया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त यहां पिछड़े हुए इलाकों में सड़कों का जाल बिछा देना चाहिये ताकि उपेक्षित भागों को आसपास के इलाके से मिलाया जा सके। गाड़ी की सड़कों का जाल बिछ जाने पर कृषि, उद्योग, शिक्षा आदि की सुविधा यहां के लोगों को देना बहुत आवश्यक है ताकि समय पड़ने पर हम अपनी रक्षा कर सकें और दुश्मन को जवाब दे सकें।

मान्यवर, जब कोई दुश्मन किसी देश पर हमला करता है तो वह दुश्मन की डिफेंस लाइन में घुसने का प्रयत्न करता है। वह उस स्थान पर हमला करता है जो स्थान कमजोर हो, जहां कमजोर लोग हों, जो या तो उनका स्वागत करें या उनके आतंक से डर कर भाग जायं। चूंकि जब लड़ाई होती है उसमें इतने आदमी गोली बारूद से नहीं मरते जितने डर से भागने वालों में मरते हैं, इसलिये यह हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम गढ़वाल और सीमावर्ती क्षेत्रों के नवयुवकों को अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित करें। पिछले वक्त १९४८ में जब कि देश का बटवारा हुआ था और यहां विद्रोह की सम्भावना थी उस समय हमारे प्रदेश की सरकार ने प्रान्तीय रक्षक दल की स्थापना की थी। आज जरूरत है कि इस प्रान्तीय रक्षक दल को और भी मजबूत किया जाय और इसको अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित किया जाय और उसे अधिक से अधिक फौजी ट्रेनिंग दी जाय ताकि अवसर आने पर वह अन्दरूनी और बाहरी रक्षा में योग दे सके।

श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--मान्यवर, इस विवाद पर इसकी गम्भीरता को देखते हुए मुझे बहुत कुछ कहना है। मैं स्पष्ट रूप से इस सदन के सम्मुख इस बात को रखना चाहता हूं कि जो चीन डिस्प्यूट पर विवाद किया जा रहा है और जिसमें मैं भाग ले रहा हूं, यह सीमा विवाद नहीं है बल्कि चीन की साम्राज्यवादी मनोवृत्ति, आक्रमणकारी नीति, और विकास योजना के अन्तर्गत आज यह योजना है जिससे भारत का जितना अधिक से अधिक भूभाग वह ले सके, लेना चाहता है, इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं है। मैं घूम कर अपने इन माननीय दोस्तों की तरफ कहना चाहता हूं जिनका यह खयाल है कि पी० एस० पी०, सोशलिस्ट यूनिटी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी या और दूसरी पार्टीज वार साइकोसिस पैदा करके इस परिस्थिति का अनुचित लाभ उठाना चाहती हैं मैं बतला देना चाहता हूं कि वे इस भूल और भ्रम में न रहें कि हिन्दुस्तान को भूल में रख कर, धोखे में रख कर वे चीन को बुला कर हमारे सर पर खड़ा कर सकते हैं। हम म्युनिक पैक्ट की तरह से समझौता भी नहीं चाहते हैं। जो गलती चेम्बरलेन ने १९३९ में की उस गलती को हम नहीं करना चाहते हैं। मैं यह भी बतला देना चाहता हूं कि हम उनसे डरते नहीं हैं।

मैं चाहता हूं कि इस बात को सरकार नोट कर ले कि उसकी तरफ से इस सम्बन्ध में साफ एलान होना चाहिये कि भारत इस आक्रमण को वार मानता है। इस सम्बन्ध में मैं एक दृष्टान्त देना चाहता हूं। जब चर्चिल सन् ३० से लेकर ४० तक विलायत का सब से बड़ा घृणित राजनीतिज्ञ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

माना जाता था, जब वह कहा करता था कि जर्मनी से खतरा है तो उस समय बहुत से ऐसे ही लोग थे जिनको खतरा देखने, समझने और सोचने में भ्रम उत्पन्न होता था। मैं इस बात को मानता हूं कि वार साइकोसिस पैदा करना निन्दनीय बात है, लेकिन राष्ट्र विरोधी कार्य करना और राष्ट्र को धोखे में रखना उससे भी ज्यादा निन्दनीय है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वे यह मानते हैं कि ये राजनीतिक एलिमेंटस् हैं जो आज भारत में अग्रसर हो रहे हैं। मैं बतला देना चाहता हूं कि इसकी परिभाषा नहीं हो सकी है। इस भारत तथा दूसरे मुल्कों में राजनीतिज्ञ सदैव एक दूसरे को ऐसा कहा करते हैं लेकिन उसकी शुद्ध परिभाषा आज तक नहीं हो पायी है। अगर हमें युद्ध की धमकी देकर या यह आवाज़ उठा कर कि अगर युद्ध छिड़ा या हमने उनको पीछे हटाया तो एक विश्वव्यापी महायुद्ध हो सकता है, हमें भुलवाने की कोशिश की जाती है। मैं जानना चाहता हूं अपने माननीय दोस्तों से कि जब कोरिया युद्ध हुआ तो वह विश्वव्यापी युद्ध क्यों नहीं हो गया? जब स्वेज कैनाल के सम्बन्ध में युद्ध हुआ तो वह विश्वव्यापी युद्ध क्यों नहीं हो गया? तो यह एक नेचुरल फेनोमेना है जिसे रोकने का प्रयास होना चाहिये। १७ हजार फीट की ऊंचाई पर जो आपरेशन हो रहा है वह मिलिटरी हिस्ट्री में अद्वितीय होगा। नेपोलियन ने जब आल्प्स को पार किया और रशा को भी आगे बढ़ने में युद्ध के समय क्या-क्या कठिनाइयां हुईं, उसे हम सब जानते हैं लेकिन साथ ही साथ हम कुम्भकर्णी निद्रा में भी सोने वाले नहीं हैं और न सोना चाहिये।

एक माननीय सदस्य अक्सर मूलभूत बातों का जिक्र किया करते हैं। वे माननीय गोविन्द सहाय जी हैं और मैं उनको मूलभूत बातों का जवाब भी मूलभूत तरीके से ही देना चाहता हूं। उन्होंने पाकिस्तान का हवाला दिया, श्रीमन, वह भी एक गलती थी। उसके लिये उनको शर्मिन्दगी होनी चाहिये। मैं उस पर अधिक नहीं जाता। आज काश्मीर में पाकिस्तान न होता, अगर दूरदर्शिता से काम किया गया होता। मैं आज फिर कहता हूं इस तरफ के बैठने वाले भी स्वीकार करेंगे और उस तरफ के बैठने वाले भी स्वीकार करेंगे और मैं श्री झारखंडे राय जी से ही पूछता हूं कि वह बतायें कि यदि मानसरोवर और कैलास पर आक्रमण हुआ तो वह उसका विरोध करेंगे? मैं आज देखता हूं कि आज देश में, प्रदेश में और इस सदन में लोग आपस में बात करने में भयभीत होते हैं लेकिन मैं कहता हूं कि अगर चीन या कोई देश हमारी सीमाओं पर एक कदम भी बढ़ेगा तो हम उसे पीछे ढकेल देंगे चाहे उसको लोकल वार कहा जाय या कुछ भी कहा जाय, कुछ भी हो। जहां पर देश का सवाल आता है, देश की इज्जत का सवाल आता है ऐसे समय में अपने कर्तव्य से अलग होकर कोई देश जीवित नहीं रह सकता है। माननीय झारखंडे राय को गुस्सा आ गया था, मुझे कोई गुस्सा नहीं है लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि वह अगर समझते हैं कि किसी मौके पर मानसरोवर पर या कैलास पर हमला होने पर भाग सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि अगर चीन ने आक्रमण किया तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और ऐसे अवसर पर हम उन देशों से भी मदद लेंगे जिनसे हमें वह देश की रक्षा के लिये मिलेगी। उदाहरण के रूप में मैं उनको बताना चाहता हूं कि जिसकी वह दुहाई देते हैं, जिसकी वह कसम खाते हैं। पिछले द्वितीय महायुद्ध में रूस और इंगलैण्ड का साथ हुआ। उन्होंने कहा कि स्टालिनग्राड की लड़ाई को कोई भूल सकता है? नहीं भूल सकता। लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि क्या कोई यहां भूल सकता है कि यहां कम्युनिस्ट पार्टी ने सन् ४२ में क्या किया और क्या कोई कम्युनिस्ट पार्टी के आज के रवैये को भूल सकेगा? यादव जी ने अपने भाषण में मेरठ रिजोलूशन का हवाला दिया, वह जरा अपने कलकत्ते के रिजोलूशन का भी हवाला देते, वह उसको कहने में क्यों घबराते हैं? क्यों उस पर नकाब डालना चाहते हैं, आखिर शर्मिन्दगी क्या है? क्यों नहीं साफ कहते कि चीन हमलावर है उलझन क्या है, उसको मैं जानना चाहूंगा।

श्री झारखंडे राय ने कुछ पार्टियों की फूट की बात कही लेकिन मैं कहता हूं कि जिन पार्टियों में आज वह फूट देख रहे हैं हो सकता है कि वह कभी पनप जायं। लेकिन सन ४२ और ५९ की गलती के बाद आप की पार्टी का इस देश में पनपना असम्भव है यह हमारी आज भविष्यवाणी है, इसको

आप समझ लें। हो सकता है कि देश की जो फारेन पालिसी है उसमें एक नहीं बहुत सी जगह गलतियां हों। कहा जाता है कि फारेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बदले जायं लेकिन यह तो वक्त की नजाकत बतायेगी देश की पालिसी हमें कहां ले जा रही है। चर्चिल ने कितने लम्बे अर्से तक यूनाइटेड किंगडम की बागडोर संभाली और उसको वारमांगर भी कहा गया लेकिन वारमांगर कह कर देश की राष्ट्रीयता को नहीं बेचा जा सकता। इस भूल से बढ़ कर और कोई भूल किसी देश के लिये नहीं हो सकती कि राष्ट्रीयता की इज्जत पूरी कीमत देकर वह न करे। श्री झारखंडे राय और श्री यादव जी के भाषण एक दूसरी टोन में थे और श्री झारखंडे राय साहब के मुंह से आग उगली जा रही थी तो मैं जानना चाहूंगा कि यह गुस्सा, यह रोष आपका किस पर है, यह क्रोध क्यों है? गलती हुई है, ईमानदारी से तसलीम कर लो। गलती इन्सान से होती है, गलती पार्टी से भी हो सकती है, सरकार से भी हो सकती है। आगे बढ़कर हम गलती को गलती मान सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। गलतियां देश से, समुदाय से, समाज से सभी से हो सकती हैं लेकिन यह धमकी कि अगर उनकी नीति हमारी नीति से संगत न होगी तो वह हमारा विरोध करेंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं सहर्ष उनके इस चैलेन्ज को स्वीकार करूंगा और हर पार्टी को उनके इस चैलेन्ज को स्वीकार करना चाहिये। श्री चन्द्रजीत यादव संशोधन लाये हैं। यदि वह खामोश रहते तो बहुत अच्छा होता। हिन्दुस्तान पर आक्रमण हुआ और यदि हम उसकी भर्त्सना करना चाहें तो उन्हें आपत्ति है कि लफ्ज "अनुचित" ही होना चाहिए। मुल्क चाहे खत्म हो जाय, चीन चाहे हजारों मील तक अन्दर घुसता चला आवे लेकिन शब्द "अनुचित" के अतिरिक्त और कोई उनकी डिक्शनरी में नहीं है। परन्तु हिन्दुस्तान की डिक्शनरी में है।

एक चीज उस तरफ के दोस्त भी कह रहे थे। हमारे प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत बुद्धिमान हैं। वह सुलह से इस मसले को हल करना चाहते हैं, लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर उस समझौते की नीति से पाकिस्तान के मुकाबले में कामयाबी नहीं कर पाये, गोआ के मुकाबले में कामयाब नहीं हो पाये तो क्या आप चीन को, उस नीति से, लद्दाख और लांगजू से पीछे हटा पाएंगे? मैं समझता हूं कि यह बुद्धिमानी से परे की बात है। यदि समझौते की नीति से पाकिस्तान के मुकाबले कामयाबी नहीं हुई, पुर्तगाल के मुकाबले कामयाबी नहीं हुई तो चीन जैसे हठवादी देश को जिसकी मनोवृत्ति है कि जहां जो मिले उस पर कब्जा कर लो, मैं नहीं समझता कि लद्दाख और लांगजू से हटाया जा सकता है।

माननीय नेगी जी का उपदेश मुझे बहुत अच्छा लगा। चरित्र होना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए। लेकिन आज के समय में लाठी और ढेले से दुश्मन को पीछे नहीं हटाया जा सकता। जहां टैक्नालाजी और विज्ञान का युग है वहां यह कहना कि हमने अहिंसा की वृत्ति अपनाई है, यह कहां तक उचित है? अहिंसा किसी समय स्ट्रैटिजी हो सकती है, सदैव के लिये नीति नहीं हो सकती। इस अहिंसा से महात्मा बुद्ध के वक्त में भी क्या हुआ और पंडित नेहरू के अहिंसावाद से क्या हुआ, इस विवाद में मैं नहीं जाना चाहता हूं।

इस विवाद का स्तर मैं चाहता था कि इससे कहीं ऊंचा रहता। यह कह देना तो आसान है कि समझौता हो। माननीय चन्द्रजीत यादव ने संशोधन पेश कर दिया, यह भी आसान बात है। लेकिन यह मजाक कब तक चलेगा? इसकी भी कोई सीमा होनी चाहिये। श्रीमन्, हिन्दुस्तान को और उत्तर प्रदेश को अब यह सोचना होगा और गंभीरता से सोचना होगा कि समझौते की कोई उम्मीद चीन से नहीं की जा सकती। चाउ-एन-लाई के खत के बाद तो इसकी कोई उम्मीद भूल से भी नहीं होनी चाहिये। तो वह कौन-सा कदम हो सकता है जिसको बढ़ाते हुए उन्हें लद्दाख और लांगजू से हटाया जा सकता है? मैं यह नहीं कहता हूं कि जब तक आपकी फौजें कामयाब न हों आप उन्हें मजबूरन ढकेल दें। लेकिन अपने राष्ट्र की रक्षा के लिये जिस तरह का एक वातावरण उत्तर प्रदेश और भारत में पैदा होना चाहिये उसका आज अभाव है। लोग समझते हैं कि कोई कांग्रेस का इलेक्शन होगा, युद्ध होगा या फौज आयेगी उस वक्त क्या होगा? यह ठीक है कि नारायणदत्त जी ने जिस लहजे में कहा वह ठीक न हो। लेकिन

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

अगर सही में हम तैयार नहीं हैं तो बहुत-सी चीजों को हमें देखना होगा जिनकी हम कभी उम्मीद भी नहीं करते थे ।

इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा माननीय झारखंडे राय गम्भीरता से सोंचें और क्रोध में कोई ऐसा गलत कदम इस सूबे में न उठावें जिससे नुकसान पहुंचे ।

श्री मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल (जिला बाराबंकी)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि समय १० मिनट का कर दिया जाय ताकि अधिक से अधिक लोगों को बोलने का मौका मिल सके ।

श्री उपाध्यक्ष--ठीक है मैं भी यही सोच रहा था, इस सुझाव के लिये आपको धन्यवाद । मैं देखूंगा जो भाषण ठीक चल रहे हैं उनमें कुछ समय ज्यादा कर दूंगा, लेकिन आमतौर से १० मिनट का ही समय ठीक है ।

***श्री अब्दुल लतीफ नोमानी** (जिला आजमगढ़)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे भी बोलने का मौका दिया । मैं इस सदन को कुछ तारीखी हकायत बताने नहीं खड़ा हुआ हूं कि तिब्बत चीन का था या हिन्दुस्तान का या बीच का एक हिस्सा था, यह बात आज दरपेश नहीं है । हमारे सामने एक मसला है जिस पर बहुत संजीदगी से विचार करना है । चीन और हिन्दुस्तान के बीच में जो मसला उठा, जो विवाद इस समय उस पर कर रहे हैं उसके बारे में पूरी संजीदगी से हमें सोचना चाहिये कि क्या सचमुच यह किसी गैर तयशुदा सरहद का झगड़ा था जिसमें चन्द कदम इधर के या उधर के सिपाही आ गये, या सचमुच एक मुल्क ने दूसरे मुल्क पर हमला किया है । मैं ऐसा समझता हूं, हमारे देश के चन्द आदमियों को छोड़कर, या एक पार्टी के सिवा पूरा देश इस बात पर मुत्तफिक है और पूरा विश्व इस बात पर मुत्तफिक है कि यह एक मुल्क का दूसरे मुल्क पर हमला हुआ । चीन ने हिन्दुस्तान पर हमला किया । लेकिन हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि जो लोग अपनी देशभक्ति का राग गाते हैं उन्होंने जो संशोधन रखा है उसका हासिल यह है कि चीन को हमलावर न करार दिया जाय, वे अल्फाज निकाल दिये जायें जो चीन को हमलावर करार देते हैं । अगर हम यह संशोधन मान लें तो क्या झगड़ा रह जाता है हिन्दुस्तान और चीन का ? कैसे इम्तिहान होगा कम्युनिस्ट पार्टी की देशभक्ति का ? सीधी-सीधी बात है कि मार्क्स फलसफे के मानने वाले किसी सोशलिस्ट मुल्क को दूसरे मुल्क पर चाहे वह हमला करके उसे फतेह कर ले लेकिन हमलावर नहीं मानते । यह उस फलसफे का बुनियादी मसला है कि सोशलिस्ट मुल्क चाहे हमला करके दूसरे मुल्क को हड़प ले वह हमला होता ही नहीं । तो हमारे देश के कुछ कोनों में जो यह फैलाया जा रहा है कि मुक्ति सेना कैलास पर्वत से उतर रही है यह कम्युनिस्ट पार्टी का मार्क्स फलसफे का एक मुसल्लमा सबूत है । हमें कम्युनिस्ट पार्टी से किसी दूसरी राय की कभी उम्मीद नहीं करनी चाहिये । हम धोखे में रहेंगे अगर इस बात का इंतजार करें कि कम्युनिस्ट पार्टी कभी यह डिक्लेयर कर सकती है कि चीन ने हिन्दुस्तान पर हमला किया । कलकत्ते में जो तजवीज पास की वह आज मुल्क के हर पढ़े लिखे आदमी के सामने है । मुल्क में एक रुख बना है और कम्युनिस्ट पार्टी को मेरठ में जाकर थोड़ा उसमें तरमीम करना पड़ा और कहा कि मैकमाहोन लाइन हमारी और चीन की सरहद है लेकिन लद्दाख और नेफा में वह आज भी मोअय्यन सरहद मानने को तैयार नहीं है ।

पहली बात तो यह है कि चीन ने हमला किया । अब इस हमला करने के बाद भी वाकयात की तरफ से आंख बन्द करके जो आदमी चीन को हमलावार नहीं मानता उसके बारे में हम यकीन नहीं कर सकते । चीन ने हमला किया और उसने हमारे मुल्क का लगभग ४० हजार वर्ग मील रकबा दबा लिया । तो ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिये ? इस मसले के बारे में कुछ लोगों की राय यह है कि हिन्दुस्तान को उस हमले का जवाब फौजी जबान में देना चाहिये । लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हमारे देश के बड़े नेताओं की, बड़े देश भक्तों की, राय यह है कि जब तक बगैर लड़ाई के समझौते से इस मसले को तय करने की उम्मीद बाकी है तब तक हमें फौजी कदम उठाना नहीं चाहिये । बावजूद इसके कि आज हिन्दुस्तान की बैरूनी पालिसी या अन्दरूनी पालिसी जेरे बहस नहीं है और मैं ऐसा समझता हूं कि प्रस्ताव का कोई भी जुज इस पर बहस करने के लिये लागू नहीं है लेकिन कुछ लोग यहां खड़े होकर जब अपने देश की तारीफ तथा संजीदगी की बातें सुनाते हैं तो दूसरी तरफ से झट खड़े होकर कहना चाहते हैं कि हमें उस पालिसी की निन्दा की भी इजाजत दी जाय । मैं ऐसा समझता हूं कि यह भी देशभक्ति का कोई अच्छा मजाहरा नहीं है । जब आप समझते हैं कि आपके मुल्क पर एक ऐसे मुल्क ने जो साम्राज्यवादी है और अपने मुल्क को फैलाना चाहता है, हमला कर दिया है तो आपके लिये दो ही रास्ते रह जाते हैं या तो आप इस वक्त जो आपके देश के नायक हैं, जो आपके देश के अगुवा हैं उनकी पालिसी पर चलिये और नहीं तो उसे बदल दीजिये । दोनों के बीच में कोई रास्ता नहीं है । इसलिये हमें बड़ी गम्भीरता के साथ अपने जजबात को काबू में रख कर, अपने होश से काम लेकर इस मौके पर समझ कर सोचने की जहमत गवारा करना चाहिये जबकि हमारे मुल्क पर एक बड़े साम्राज्य ने हमला किया है और उसकी नीयत साफ नहीं है ।

बहरहाल, मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे देश की पालिसी यही है कि सचमुच हम किसी से लड़ना नहीं चाहते । हम सबके साथ भाईचारे का बर्ताव करने के लिये तैयार हैं । इसी नीति के मुताबिक सन् ५४ में चाऊ-एन-लाई के आने पर हिन्दी-चीनी भाई-भाई का नारा बुलन्द किया था । वह हमने चीन की खुशामद नहीं की थी । वह हमारी पालिसी है । हम सारे संसार को अपना भाई समझते हैं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---इसी का नाम खुशामद है ।

श्री अब्दुल लतीफ नोमानी---यह खुशामद नहीं है । यह सच्चाई है और इसी नीति के मातहत अगर हमारे मुल्क में आइजन होवर आ जाते हैं तो हम उनका शायानेशान इस्तकबाल करते हैं । न हम अमेरिका की खुशामद करते हैं और न हमने चीन की खुशामद की है और न किसी और मुल्क की खुशामद करने के लिये हम तैयार हैं । लेकिन सवाल यह है कि मौजूदा मसले में हमें क्या करना होगा । मैं समझता हूं कि दुनिया के हर समझदार आदमी के नजदीक इस वक्त जो हिन्दुस्तान की पालिसी है इस हमले के बावजूद वह काबिले सिफारिश है, एक गर्व की चीज है, वह कमजोरी की पालिसी नहीं है, वह भय की पालिसी नहीं है और वह खौफ व दहशत की पालिसी नहीं है । इस पालिसी को हमने हर जगह चलाया है, पाकिस्तान के मुकाबले में भी, गोआ के मुकाबले में भी और अगर चीन के मुकाबले में भी चला रहे हैं तो अपनी पालिसी से हट नहीं रहे हैं ।

इस चीज को मैं सचमुच बड़े अन्देशे से देखता हूं कि हमारे मुल्क के बड़े पढ़े-लिखे आदमी, ऐसे लोग जो अपनी देश-भक्ति को बड़े जोरों से सदन में और सदन के बाहर रखते हैं वे इस हमले के बावजूद चीन को हमलावर मानने के लिये तैयार नहीं हैं और जो प्रस्ताव पेश है उसमें से वे "हमलावर" के लफ्ज को निकालने की तरमीम पेश करते हैं । तो उनसे हमें जरा होशियार रहना होगा । हमें यह भी देखना होगा कि इस खयाल के लोग हमारे स्कूलों में, हमारे कालेजेज में, हमारी यूनिवर्सिटीज में, हमारे सेक्रेटेरिएट में और दूसरे शोबों में घुस कर कहीं ऐसी बात तो नहीं कर रहे हैं जो देश के लिये अहितकर हो । एक तरफ मुल्क पर हमला हो गया, सब जानते हैं कि हमारी २० हजार वर्ग मील भूमि एक दूसरे मुल्क ने जबर्दस्ती दबा ली है और वह लोगों को हड़ताल का सबक पढ़ाते हैं, जगह जगह बेचैनी पैदा करने की कोशिश करते हैं । यह मेरे नजदीक देशभक्ति की बात नहीं है । हमारे यहां सर्वदलीय हुकूमत इस हालत में बने या न बने, सारे देश को हुकूमत की पालिसी के पीछे एक दीवार की तरह खड़े हो जाना चाहिये तभी कल्याण हो सकता है । कुछ भाई उस पालिसी का नाम सुन कर हाथ हिलाते हैं ....

श्री राजनारायण--अगर वह हुकूमत जहन्नुम में जाय तो ?

श्री अब्दुल लतीफ नोमानी--बाज आदमी अपनी नजर की वजह से जन्नत को जहन्नुम और जहन्नुम को जन्नत समझते हैं । बहरहाल, मेरी राय यही है कि जो तरमीम चन्द्रजीत यादव साहब ने पेश की है, अगर वह सचमुच देशभक्त हैं तो वह इसको वापस लें और जो मुक्तिनाथ राय जी की तरमीम है वह जरूर मूल प्रस्ताव के साथ जोड़ दी जाय । मैं इसी को कहने के लिये खड़ा हुआ था ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ क्षणों पहले हमारे एक कम्युनिस्ट मित्र ने जिस दम्भ के साथ राष्ट्रद्रोही मनोवृत्ति से परिपूर्ण होकर एक क्रुद्ध अधिनायक की तरह भाषण दिया उसके बाद उसका उत्तर उसी भावना और भाषा से देना प्रजातन्त्र में विश्वास करने वाले किसी भी नागरिक के लिये असम्भव है। न तो कोई उतना सिर चालन कर सकता है न हस्त चालन कर सकता है, शरीर उतना सूक्ष्म नहीं है कि उस प्रकार का चालन सम्भव हो सके । हमारे उन मित्र ने कहा कि तिब्बत चीन का रहा है और चीन का रहेगा । उस विवाद में मैं नहीं जाता । शायद उन्हें मालूम नहीं है कि सन् ५४ में भारत और चीन के बीच जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक वहां के गेस्ट हाउसेज हिन्दुस्तान ने चीन को दिये । अगर वह तिब्बत की आटोनामी की बात करते तो हमारी समझ में आता ।

एक बात मैं आपकी आज्ञा से इस आदरणीय सदन से और इस सदन के इस फोरम से देश की जनता से कहना चाहता हूं और साथ ही देश के नेताओं से कहना चाहता हूं कि तिब्बत को पुनः बफर स्टेट बनायें वरना यह भारतवर्ष की राजनीति का दिवालियापन होगा । तिब्बत को स्वतंत्र स्टेट, बफर स्टेट की शक्ल में रहना चाहिये । यही आज की राजनीति का तकाजा है ।

श्रीमन्, मुझे अपने माननीय मित्र पर बड़ी दया आती है कि उन्होंने कहा कि पार्टियां खंडित होती हैं, सोशलिस्ट पार्टी खंडित हुई, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी खंडित हुई । मैं कहना चाहता हूं कि प्रजातंत्र के सिद्धान्त पर जो पार्टियां होती हैं उनमें मतभेद होते ही हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है और लोग भी पार्टियों से अलग हुआ करते हैं । लेकिन, मान्यवर, उनके पितृदेश में जो पार्टी से अलग होता है वह सीधे स्वर्ग जाता है । इसके संबंध में मेरे मित्र को बेरिया से या उन लोगों के इतिहास से मालूम होगा जो साइबेरिया के जंगल में मार डाले गये । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हमारे मित्र उस कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य होते जिसका शासन होता तो उनको पर्ज कर दिया गया होता और बेरिया का साथ वह देते होते । भर्त्सना वहीं होती है जहां अधिकार नहीं होते हैं । व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूल्य ट्राटस्की को मालूम था लेकिन पहले जब नैवल आन्दोलन के दबाने का सवाल आया तो उसने उसको दबा दिया । परन्तु जब वह शिकन्जे में फंस गया तब वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूल्यांकन कर सका और वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बड़ा भारी हामी बन गया । इसी प्रकार से बेरिया को भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आभास हुआ । हमारे मित्र को जरा कम्युनिस्ट पार्टी की बीसवीं कांग्रेस की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए । जिन तथ्यों को उन्होंने रखा है उसका विश्लेषण नहीं किया है बल्कि सारी बातों को तोड़-मरोड़कर जिस भाषा में तथा जिस भावना को उन्होंने सदन में रखा है वह निन्दनीय है । वह कहते हैं कि उन्हें देश का विरोध करना होगा और आगे भी करेंगे । सदन के कुछ और माननीय सदस्यों ने भी आज की स्थिति का विचित्र विश्लेषण किया है । ऐसे व्यक्ति चाहे गोविन्द सहाय जी हों या कोई दूसरे बुजुर्ग हों, उनके लिये, उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे क्षमा करेंगे और यह आदरणीय सदन भी क्षमा करेगा, दो ही शब्द अंग्रेजी के मुझे मालूम हैं और वे ये हैं पोलिटिकल औरफन या पोलिटिकल ड्वार्फ । हिन्दी का शब्द मुझे मालूम नहीं है । उन्होंने बहुत-सी बातें कम्युनिस्ट पार्टी के संबंध में

ही कहीं। ऐसा लगा जैसे दुनिया क कम्युनिस्टों का पुराना इतिहास उन्हें मालूम ही न हो। प्रत्येक देश में उनका सारा का सारा प्रोग्राम लिबरेशन का ही रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि राजा हठीसिंह १९५१ में रेड बोगी में चीन गये थे और दूसरी दफा ग्रीन बोगी में चीन गये थे। रेड बोगी से मेरा आशय कम्युनिस्टों से है और ग्रीन बोगी से मेरा मतलब नेहरू और मेनन से है। उन्होंने एक पुस्तक "दि ग्रेट पीस" लिखी है। उसमें से मैं कुछ उद्धरण सदन के समक्ष रख देना चाहता हूं कि :—

"Towards this end China hopes to use the ten million Chinese residents all over South-East Asia. These Chinese must remain the nationals of China, for they will not be allowed to accept any other nationality.

In Calcutta, where about ten thousand Chinese live, all the techniques of Communist infiltration, indoctrination coupled with compulsion under pressure of threats of dire consequences, are being used to reduce them to submission.

China seeks to utilize these overseas nationals to 'liberate' the South-East Asia from foreign imperialism and build Asian unity. The frustrated nationalism and the economic poverty of the people become useful instruments to further these designs."

अब, श्रीमन्, उन्होंने नहरू जी के प्रति अपने प्रेम का इतना प्रदर्शन किया कि उनकी चिन्ता में इनको नींद तक नहीं आती है और उनके प्रेम में गोपियों से भी ज्यादा दुर्दशा हो गई है जब कि उनका विछोह भी नहीं हुआ है। उन `हरू जी के बारे में चीनी कम्युनिस्टों की क्या राय है :

"India, according to the Chinese Communists, is not an independent country. The controlled Chinese press writes disparagingly about Indian elections and Nehru. 'Despite "independence" and "free elections", wrote one paper, 'the British and more and more the Americans have been extending their control over the Indian economy.' India was labelled the 'running dog of imperialism' when she supported the U.N. resolution calling North Korea the aggressor."

हमारे मित्र पढ़ ल। उनके पितृ-देश में कहा जाता है : "running dog of imperialism"। मैं नहीं जानता कि वह डाग क्यों कहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और बता दूं। १९४९ में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सफलता पर भारतीय कम्युनिस्टों ने बधाई का तार दिया, उसके जवाब में माओ ने यह लिखा कि :

"I firmly believe that relying on the brave Communist Party of India and the unity of all patriots, India will not certainly remain long under the yoke of imperialism and its collaborators. Like China, India will one day merge in the socialist democratic family."

मैं कहता हू कि इस देश का बच्चा-बच्चा और विश्व का बच्चा-बच्चा यह जानता है कि चायना का ध्येय है टू लिबरेट दी होल आफ एशिया। तो फिर चीन ने जो कुछ किया उस पर क्या आश्चर्य है ?

नेहरू को हटाने की किसी ने बात कही नहीं। शायद मेनन को हटाने की बात किसी ने कही थी। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी देश से बड़ी है ? क्या कांग्रेस पार्टी देश से बड़ी है ? क्या नेहरू और मेनन देश से बड़े हैं ?

[श्री गौरीशंकर राय]

अगर देश के हित में आवश्यकता पड़ेगी तो मेनन को हटायेंगे, और आज आवश्यकता पड़ी हुई है तो देश आपको (कम्युनिस्टों) हटा रहा है, थूक रहा है और थूकेगा, जबकि देश के सामने वक्त आयेगा। आज कम्युनिस्ट पार्टी का जो सिस्टम है, मैं कहना चाहता हूं कि विधिवत अनवरत रूप से गुप्तचरों को फैलाने का है। मुझे मालूम है कि वे लोग जो अल्मोड़ा में नहीं रहते वे कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा अल्मोड़ा भेजे गये हैं। लेबर की तरह भरती करके सीमा पर भेजे गये हैं। मैं उन सज्जनों के नाम जानता हूं। कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर्स वहां लोगों को डिमारलाइज करते हैं और लोगों में पलायनवादी प्रवृत्ति का प्रचार करते हैं। वे राष्ट्र विरोधी प्रचार में हर जगह लगे हुए हैं।

लोग कहते हैं कि यह प्रजातांत्रिक देश है, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी को भी स्वतन्त्रता है। मैं आपके जरिये उन मित्रों को बताना चाहता हूं कि क्या वे यह नहीं जानते कि कम्युनिस्ट पार्टी को प्रजातन्त्र में विश्वास नहीं है। क्या वे नहीं जानते कि मार्क्सवाद का क्या अर्थ है? मिलिटेंट माइनारिटी रूल्स मैजारिटी! कम्युनिस्टों का प्रजातन्त्रवाद में विश्वास नहीं है, उनका राष्ट्रवाद में विश्वास है। अगर राष्ट्रवादी हैं तो प्रतिक्रियावादी हैं। आरखंडे राय जी ने कहा था कि बेरिया की तरह के राष्ट्रवादी तत्व चीनी सरकार म आ गये हैं। मार्क्स ने कहा है "वर्कर्स हैव नो फादरलैंड"। उनका कोई राष्ट्र नहीं होता। उनके लिये देश प्रेम की बात करना आत्म-प्रवंचना है। आत्म प्रवंचना उसके लिए है जो प्रजातन्त्र में विश्वास नहीं करता और जनवाद और न मालूम कौन-कौन वादों के नारे लगाता है। कहते हैं कि हम नेहरू की नीति से सहमत हैं। नेहरू चीन को आक्रामक कहते हैं। आप भी चीन को आक्रामक मानते हैं? नहीं मानते हैं क्योंकि कम्युनिस्ट थ्योरी में कोई ऐसा शब्द नहीं है, लिबरेशन आर्मी एग्रेसर कही ही नहीं जा सकती। अगर कोई कहता है तो वह ऐंटी कम्युनिस्ट हो गया। मैं न कोई जोश में कह रहा हूं, न जान देने और सर कटाने आया हूं। मैं कहना चाहता हूं कि यह एक आयडियालाजिकल वार है। सैद्धांतिक युद्ध में केवल सिपाहियों की लड़ाई की जरूरत नहीं। मैं केवल एक सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं कि आज एक संकट आ गया है। देश में सरकार वार स्ट्रैटेजी के मुताबिक अपनी तैयारियां करे और अपनी पुरानी गलतियों को सुधारे और साथ ही सीमान्त प्रदेश के लोगों के आर्थिक विकास के लिए प्लान बनाये। अगर रुपये का अभाव हो तो मैं कहता हूं कि जब देश पर संकट आता है तो लोग त्याग करते हैं।

मैं एक छोटा-सा सुझाव रखता हूं। उस क्षेत्र के विकास के लिए पब्लिक से फंड इकट्ठा किया जाय। नमूने के तौर पर इस विधान सभा का प्रत्येक सदस्य अपनी एक-एक महीने की तनख्वाह दे और प्रत्येक प्रदेशीय सरकारी कर्मचारी एक-एक दिन की अपनी तनख्वाह दें, अगर एक महीने की नहीं दे सकते हैं, सारे प्रदेश में इसका आन्दोलन किया जाय और उस सारे प्रदेश का, सारे एरिया का विकास किया जाय। उसके साथ-साथ सारे देश का तो सवाल है ही, लेकिन वहां की परेशानियों को दूर करने का प्रयास पहले होना चाहिये। यह भी सोचना चाहिए कि असंतोष के जो दूसरे कारण हैं जिनसे कि हमारे मित्रों को इस प्रकार का प्रचार करने का अवसर मिलता है, चाहे वे आपके सरकार के भीतर की छोटी मोटी बातें हों, या भ्रष्टाचार, जिसकी कि नित्य यहां चर्चा हुआ करती है, उन सब बातों पर भी कड़ी निगाह रखनी होगी। अगर नहीं रखेंगे तो यह काम निपटने वाला नहीं है। इसके लिए रीजनल प्लानिंग विशेष तौर से होनी चाहिये।

आज पंडित जवाहरलाल नेहरू से मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार टीटो ने रूसी भेड़िये के आक्रमण से आक्रान्त होकर के अपने देश के नवजवानों को नेशनल काल दिया था, स्टूडेंट्स को नेशनल काल दिया था उसी तरह से नेहरू जी को भी आज अपने देश के नवजवानों को, यहां के यूथ्स को नेशनल काल देना चाहिए। आज इस एग्रेशन के खिलाफ लड़ने के लिए मुल्क में इसी राष्ट्रीय भावना की आवश्यकता है। राष्ट्र प्रेम को

जितनी विश्रृंखल करने वाली शक्तियां हैं, बड़े अभिमान के साथ जो कहता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि "हमारी विजय होगी, सारी दुनियां में कम्युनिस्टों की विजय होगी" मैं इस सदन के जरिये उन मोह में पड़े हुए कम्युनिस्ट मित्रों को यह बता देना चाहता हूं कि न तो उन्हें यहां जार से लड़ना है और न च्यांग से लड़ना है, यहां तो मजदूर और किसानों से लड़ना होगा जो देश में रहते हैं। यहां उस प्रकार की परिस्थिति नहीं है। उनका यह भ्रम कल को उनके सामने आयेगा।

कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे भाई राजनारायण जी ने उनके बारे में बहुत-सी बातें बता दी थीं और मैंने जैसा बताया, कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में हमें कोई भ्रम नहीं है। देश में जितने भी ऐंटी नेशनल एलीमेंट्स हैं, राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, उन समस्त राष्ट्र विरोधी तत्वों पर अंकुश रखना चाहिए।

और भी कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व हैं। एक समाचार-पत्र है, उपाध्यक्ष महोदय, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि सब से बढ़कर राष्ट्र विरोधी कर्म उस अकेले 'ब्लिट्ज' अखबार ने किया है। उसने यह खबर छापकर बंटवायी कि थिमैया फ्यूडलिस्ट है और सिपाही मजदूरों के आदमी हैं। इस प्रकार से ऐंटी नेशनल खबर उसने छापकर बंटवायी और वह भी नेहरू जी के ही गीत गाता है, सच ए स्वीट फ्लूट (such a sweet flute) इतना बढ़िया गाता है कि क्या चन्द्रजीत यादव गायेंगे और झारखंडे राय तो, जब कोई गुस्से में होता है तो गला ठीक नहीं रहता है, इसलिए वह तो उसकी बराबरी क्या करेंगे? इस प्रकार से जो राष्ट्रद्रोही और राष्ट्रविरोधी एलीमेंट्स हैं उनसे सजग होकर प्लानिंग क साथ हमें आगे बढ़ना है और पूरे विश्वास क साथ आगे बढ़ना है। (व्यवधान) छोड़ दीजिए, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के खिलाफ बोलने वाले कम्यनिस्ट पार्टी के लोग हो गए जिनका सारा इतिहास राष्ट्रद्रोह का और राष्ट्र विरोध का रहा है। हमारी पार्टी वह पार्टी नहीं है, आज अगर आवश्यकता पड़ जाय तो जैसा हमारे चेयरमैन ने कहा था कि देश बहुत बड़ा है और पार्टी उसके सामने बहुत छोटी है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी कुर्बान की जा सकती है, सारी राजनीति कुर्बान की जा सकती है, राजनीति के सवाल से देश का सवाल ऊंचा है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मामला बड़ा गंभीर है और इस पर विचार करते हुए जो इधर से या उधर से सुझाव हमारे मित्रों ने दिये हैं उनको ध्यान में रखकर निर्माण के पथ पर सजग होकर बढ़ने की आवश्यकता है।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत प्रस्ताव को मैं दो भागों में विभाजित करता हूं। पहला तो यह है कि यह सदन चीनी सरकार द्वारा भारत की उत्तरी सीमाओं के अन्तर्गत बहुत बड़े भू-भागों, विशेषकर, उत्तर प्रदेश के बाराहोती, निलंग आदि स्थानों को जो कि ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा परम्पराओं से भारत एवं तदनुसार उत्तर प्रदेश के अभिन्न अंग हैं, एवं रहे हैं, चीन की राष्ट्रीय सीमाओं के अन्तर्गत मानने तथा भारत को उन स्थानों एवं भू-भागों में आक्रान्ता तथा अनधिकृत अधिकारी ठहराने आदि भारत विरोधी कार्यों की तीव्र भर्त्सना करता है। इस पहले भाग में तीन प्रश्न उठाये गए हैं। पहला यह है कि यह सीमायें जिनका इसमें जिक्र है विशेष प्रकार से बाराहोती व निलंग और उसके अलावा जो हैं यह भारत की सीमायें हैं, इतिहास की दृष्टि से, भूगोल की दृष्टि से, जिस प्रकार से भी देखा जाय यह भारत की हैं। दूसरा प्रश्न इसमें भारत के प्रति इन सीमाओं के संबंध में चीन के व्यवहार का है और तीसरा प्रश्न उस व्यवहार के प्रति भर्त्सना का है। इस पहले भाग में तीन प्रश्न उठाये गये हैं। जहां तक स्वत्व का प्रश्न है, इसके विषय में कुछ अधिक नहीं कहना है। जो कुछ केन्द्रीय सरकार ने समय समय पर छापा या पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अपने व्याख्यानों में जो समय-समय पर कहा है, वह कहना इस बात के लिये काफी है और विशेष प्रकार से वह श्वेत-पत्र इस बात के लिये काफी है कि हम यह मानें कि यह सीमा और यह इलाका भारत का है। मैं समझता हूं कि सदन में भी किसी माननीय सदस्य ने इसका विरोध नहीं किया है।

दूसरा प्रश्न जो उठाया गया है वह चीन का भारत के प्रति व्यवहार का है। उस व्यवहार के बारे में बहुत कुछ कहा गया। उस व्यवहार में जहां हम भारत के प्रति चीन के

[श्री जगदीशप्रसाद]

व्यवहार को देखते हैं वहां हम यह भी देखें कि चीन के प्रति भारत का व्यवहार क्या रहा। इस ३० वर्ष के राजनीतिक जीवन में मैंने भी जो कुछ देखा है इस देश के राजनीतिक जीवन में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने विशेष प्रकार से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में हिस्सा लिया है और यदि अतिशयोक्ति न हो तो जहां तक मैं याद करता हूं उन्होंने जितने बयान दिये होंगे उनमें कम से कम एक-तिहाई ऐसे होंगे जिनमें किसी प्रकार से भी चीन का जिक्र आया होगा। मेरा तात्पर्य यह है कि उन्होंने इतने लम्बे समय में चीन के मसले में इतनी दिलचस्पी ली है और वह दिलचस्पी कई प्रकार से ली है। मैं समझता हूं कि लगातार उन्होंने चीन के काज़ को सपोर्ट किया है। जब चीन मुसीबत में था तब चीन के हितों का समर्थन किया। जब हम शक्तिशाली नहीं थे और जब हमारे पास कुछ नहीं था तब हमने एक मेडिकल मिशन वहां भेजा था। हम तब वही भेज सकते थे। उसके बाद जब हमारे हाथ में ज्यादा ताकत आई और हम एक स्वतंत्र राष्ट्र बने तब हमने यू० एन० ओ० में चीन के प्रश्न को बराबर उठाया और उठाने में किसी दोस्त से पीछे नहीं रहे। जब आप इन सब बातों को सामने रखकर देखेंगे कि चीन का व्यवहार हमारे साथ क्या हुआ तब उसकी तस्वीर ठीक समझ में आ सकेगी। चीन ने किस तरह का व्यवहार हमारे साथ किया इसका जिक्र करके मैं सदन का समय नष्ट करना नहीं चाहता। श्री भुवनेशभूषण जी ने यह बात अभी यहां बतायी है। वह चित्र सदन के सामने आ चुका है। जिस चीन के लिये हमारा यह व्यवहार रहा उसको यदि कोई बात डिस्प्यूट की लगती थी या कोई बात मतभेद की मालूम होती थी कि किसकी सीमा है और किसकी नहीं है तो उसके लिये खुला हुआ रास्ता था बातचीत का। हमारे नेता जवाहरलाल जी, जो इतने दिनों तक चीन के काज के लिये लड़ते रहे हैं, आज भी उनके हाथ में शक्ति है, उनके साथ बातचीत करने का सीधा रास्ता था। बातचीत से वह मसला तय हो जाता लेकिन उन्होंने बातचीत से वह मसला तय न करके इस तरह से किया कि हिन्दुस्तान के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया और वहां पर अपनी सेना भेज दी और सीमा पर हमारे कुछ सिपाहियों को गिरफ्तार किया। उनके साथ जो व्यवहार हुआ वह यहां पर बतला दिया गया।

तीसरी बात चीन के व्यवहार के प्रति भर्त्सना की है। उसके लिये माननीय चन्द्रजीत यादव का जो संशोधन है उस पर सदन में बहुत चर्चा हुई। वह संशोधन इसी पहले भाग से संबंधित है। पहले संशोधन में उन्होंने आक्रान्ता शब्द को निकालने का संशोधन किया है। मैं नहीं समझता कि वह किस प्रकार से हुआ। इस प्रस्ताव में कहीं भी चीन को आक्रान्ता नहीं कहा गया है। मैंने इसको देखा है, कहीं पर भी चीन को आक्रान्ता नहीं कहा है। चीन ने हमको आक्रान्ता कहा है। इस संशोधन का यह अर्थ हुआ कि चीन ने हमको आक्रान्ता नहीं कहा। चीन के पत्र-व्यवहार को जिन लोगों ने देखा होगा तो मालूम होगा कि उसने एग्रेसर हमको कहा है। पंडित जवाहर लाल जी अपने कई भाषणों में कह चुके हैं कि हमें एग्रेसर कहा गया है परन्तु हम एग्रेसर नहीं हैं। अगर हमारे भाइयों के पास कोई खुफिया पत्र हो तो बात दूसरी है जिसमें यह हो कि चीन ने हमें आक्रान्ता नहीं कहा।

चौथी बात यह है कि वह "भर्त्सना" शब्द को निकालना चाहते हैं। उसके स्थान पर "अनुचित" शब्द रखना चाहते हैं। अनुचित शब्द से एक बात स्पष्ट है कि उन्होंने यह तसलीम कर लिया है कि उनका व्यवहार अनुचित था, उन्होंने जो कुछ किया वह उचित नहीं किया। जब इस तरह का व्यवहार करते हैं तो फिर भर्त्सना निकालने से क्या बात हुई? कम्युनिस्टों ने अब, ऐसा मालूम होता है कि अहिंसा में दीक्षा ले ली है। आज समय का परिवर्तन हो गया है। मैं तो ऐसा समझता हूं कि संसार इसका स्वागत करेगा जब कम्युनिस्ट पार्टी अहिंसा में दीक्षा ले लेगी। इस माननीय सदन के बहुत से सदस्यों को यह सौभाग्य प्राप्त है कि उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी और अहिंसा का मार्ग अपनाने का प्रयत्न किया। महात्मा

गांधी ने जब जिन्ना साहब को पत्र लिखा था तो उसमें लिखा था कि "आई एप्रोच आन बेन्डेड नीज," क्या इससे भी नम्र भाषा हो सकती है? लेकिन फिर भी इस संशोधन में जो भाषा है उसका इस सदन में क्रिटिसिज्म हुआ, यह सोचने की बात है। अगर उन्होंने अहिंसा के रास्ते को अपना लिया होता तो ठीक होता लेकिन हमारी आंखों से जो कुछ केरल में हुआ वह छिपा नहीं है। हम रूस और चीन की बात को छोड़ दें, और कम्युनिस्ट मुल्कों की बात छोड़ दें, लेकिन केरल में जो हिंसा का नग्न नृत्य हुआ वह किसी से छिपा नहीं है। उसके होते हुए यह भर्त्सना शब्द को निकालने की बात कहना कहां तक उचित है? कल मैं अखबार पढ़ रहा था और उसमें मैंने देखा कि ख्रुश्चेव साहब ने चीन के इस काम के लिये स्टुपिड शब्द का प्रयोग किया था। वह तो चीन के लिये स्टुपिड शब्द का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन हम भर्त्सना शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते और यदि करते हैं तो उसे हमारे माननीय भाई निकालने का प्रस्ताव करते हैं। सारे कम्युनिस्ट देशों के प्रति कोई ऐसा शब्द न प्रयोग किया जाय इसके लिये वे सब कुछ करने को तैयार हैं। ऐसा लगता है कि वह यह समझने लगे हैं कि वे भारत में सारे कम्युनिस्ट देश और उनकी इज्जत के रक्षक हैं और उनके सम्मान के यदि कोई रक्षक यहां हैं तो ये लोग हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव के दूसरे भाग के शब्द हैं, "तथा संस्तुति करता है कि इस साम्राज्यवादी मनोवृत्ति से ओत-प्रोत कम्युनिस्ट चीनी कुचेष्टा का सामना करने के लिये सभी आवश्यक उपाय किये जायं, तथा सभी राष्ट्रीय तत्वों का सहयोग प्राप्त कर देश एवं उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमाओं की सबल रक्षा तथा सर्वांगीण विकास हेतु शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाये जायं ताकि देश के भीतर तथा बाहर के राष्ट्र विरोधी तत्वों को नष्ट किया जाना भी संभव हो सके।" इस भाग में यह कहा गया है कि जो चेष्टा चीन ने की है, जो व्यवहार चीन का रहा है उसका जवाब देने के लिये पूरी तरह सब तत्वों का सहयोग प्राप्त किया जाय और इसमें सदन में कोई दो रायें नहीं हैं। माननीय चन्द्रजीत जी ने जो सुझाव दिया है और जिस रूप से शान्तिमय तरीकों को अपनाने की बात कही है उसके विषय में मैं ऊपर कह चुका हूं और अधिक नहीं कहूंगा। लेकिन एक बात यह कही गयी कि कौन वारमांगर है और कौन शान्ति चाहता है। क्या यह बात कहने की जरूरत है कि कौन शान्ति चाहता है और कौन युद्ध? हमारे साथ जो व्यवहार किया गया है वह साफ तौर से हमारी टेरीटरी पर हमला है और क्या इस बात में भी कोई सोच विचार की जरूरत है? अगर हमारा यह प्रस्ताव पास करना युद्ध और उनका हमारी टेरीटेरी पर हमला करना शान्ति है तो हम इस सोचने के तरीके को यहां बरदाश्त नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और बात कहूंगा। युद्ध की बात करना किसी देश के लिये अच्छा नहीं है परन्तु एक बात स्पष्ट है। हमारे सामने इस बात का ज्यादा महत्व नहीं है कि सीमा पर क्या हुआ। बल्कि इसका ज्यादा महत्व है कि हमारे व्यवहार के मुकाबले में चीन का व्यवहार हमारे साथ कैसा रहा और अगर उसका व्यवहार खराब है तो वह बात वैसी ही रहेगी और यह झगड़ा इसी तरह से समाप्त हो जायगा, ऐसा नहीं है। दूसरी बात मैं यह भी नहीं समझता कि चीन एकदम युद्ध चाहता है। हम इस तरह की बात सोचने में असमर्थ हैं। अगर वह ऐसा समझता है कि वह एक एक कदम बढ़ कर, हमला करके इस देश की सीमाओं पर कब्जा कर सकेगा तो यह उसका एक स्वप्न है और मैं नहीं समझता कि वह ऐसा सोच सकता है। तो फिर. . . .।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया। श्री दत्त जी, आपको केवल पांच मिनट हैं।

***श्री एस० जी० दत्त** (जिला कानपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि आपने मुझे केवल पांच मिनट दिये। यह सारी दुनिया पर जाहिर है कि हिन्दुस्तान एक सुलहकुन मुल्क है और वह चाहता है कि दुनिया के सारे मुल्क आजाद रहें और कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर गासिब न हो, कब्जा न कर ले। यह भी सही है कि हमने जब जब चीनियों को कोई हिमायत करने को तैयार नहीं हुआ तब तब उनकी हिमायत की है। हमने चीन के लिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री एस० जी० दत्त]

कोशिश की कि वह यू० एन० ओ० का मेम्बर हो। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि चीन हमारे बिरादराना सलूक से नाजायक फायदा उठाना चाहता है। यह भी सही है कि आज चीन सारी दुनिया में बुरी निगाह से देखा जा रहा है। उसको कोई अच्छा नहीं कह रहा है क्योंकि हमारे मुल्क का जो रवैया है वह जंग करने का नहीं है, सुलह करने का है, शान्ति का है। हमने चीन को मौका दिया कि वह इस बात को समझे, पर ऐसा मालूम होता है कि वह हमारी बातों को समझ नहीं सका और जब जब उसको मौका मिलता है आगे बढ़ने की कोशिश करता है। नाजायज फायदा उठाना चाहता है।

श्रीमन्, हर घर में, हर मुल्क में दो किस्म के खतरे हुआ करते हैं---एक अंदरूनी और एक बाहरी। हम यह जानते हैं कि जहां तक बाहरी खतरे का सवाल है, हमें डर नहीं है, हम उनका मुकाबला कर लेंगे। चीन अगर यह समझता है कि हम कमजोर हैं तो यह उसकी भूल है। चीन जब कभी भी जंग आजमायी करेगा तो हम उसको पेकिंग तक खदेड़ आयेंगे। लेकिन जो हमको खतरा है वह अपने ही लोगों से है और उन लोगों से है जो हमारी आस्तीन का सांप बने हुये हैं। हमको अपने ही लोगों से डर है। जब-जब सवाल उठा कि नेफा हिन्दुस्तान का अंग है या नहीं, इन लोगों ने खिलाफ ही कहा और जब देखा कि लोगों ने इनके विरुद्ध शोर मचाना शुरू कर दिया है तो इन्होंने रवैया बदल दिया और कहा कि चीन एग्रेसर नहीं है और समझौता हो सकता है। तो ऐसे ही लोगों से हमें बचना है। अगर यह कहा जाता है कि चीन के पास हाइड्रोजन बम है, या एटोमिक बम है, तो मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के पास भी वह हथियार है जो चीन के छक्के छुड़ा देगा और चीन खत्म हो जायेगा, उसका नामोनिशान भी न रहेगा। मैं आखिर में एक शेर पढ़ना चाहता हूं :---

"पड़ा ए फलक दिल जलों से तुझे काम नहीं,
जलाके खाक न कर दूं तो दाग नाम नहीं।"

अगर चीन हमसे लड़ेगा तो उसे हमारी ताकत का पता हो जायेगा। मैं अपने कम्युनिस्ट भाइयों से यह कहूंगा कि व अपने रवैये को ठीक तरह से साफ करें। वे अक्सर पैंतरे बदलते रहते हैं और इस वजह से हर शख्स को समझना मुश्किल हो जाता है।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, कल से इस प्रस्ताव पर बहस हो रही है। हर सदस्य ने अपनी-अपनी बात कही। मैं भी इस संबंध में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। आज देश की रक्षा का सवाल हम सब के सामने है। वैसे तो हम अपने देश में कई पार्टियों में बंटे हुये हैं, पर यदि कोई मौका आता है, चीन का भारत पर आक्रमण होता है, तो हम सब उस समय एक हो होंगे। उस समय हम सब एक हो करके लड़ेंगे और अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ा देंगे। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि यह देश हमारा सदा से चक्रवर्ती रहा है और रहेगा। चक्रवर्ती के मतलब यह नहीं हैं कि हम किसी को गुलाम बनायें, लेकिन उसका मतलब यह है कि उसके सिद्धान्तों को सदा द्वीप द्वीपान्तर ने माना है। इसने सभी देशों को शान्ति का पाठ पढ़ाया है और आज भी हमारे बा ू ने वह रोशनी दिखाई है।

हमें कुछ लोग कमजोर बताते हैं। ऐसा नहीं है। मैं अपने दुश्मनों से कहता हूं कि हमें कमजोर मत समझो।

" बन्दे मातृ मोचन को मोहन नहीं है आज,
कृषक मजदूर अपनी सोती क्रान्ति को जगावेगा।
समर सम्हालो अस्त्र एक बार एकता का,
सेनापति सैनिकों में बिगुल बजावेगा।
एक एक युवक इशारे पै हरी प्रिय,
अपने देश हित के लिये शोणित बहावेगा।
छायेगा विशाल दुर्ग गुंडे दगा बाजों का,
विश्व में चक्रवर्ती भारत कहलायेगा।

हम किसी से दबते नहीं हैं। हमारी नीति सदा से रही है:—

"शठ सन विनय, कुटिल सन प्रीती, सहज कृपण सन सुन्दर नीती।
ममता रत सन ज्ञान कहानी, जिमि लोभिहि सन विरति बखानी।
क्रोधिहि सम कामिहि हरिकथा, ऊसर बीज बये फलयथा।।"

श्रीमन्, सैनिक दो प्रकार के होते हैं। एक सैनिक तो वे होते हैं जो सेना में भरती होते हैं, उस दिन से पैसा लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, खाना लेते हैं, क्वार्टर लेते हैं और मौजें करते हैं लेकिन दूसरे तरीके के वे होते हैं जो जब देश पर मुसीबत पड़ती है तो अपनी कमर कसते हैं और अपनी कमर को कस कर समरांगण में कूद पड़ते हैं। मैं कहता हूं कि भारतीय स्वाधीनता के संग्राम में हमारे परिवार के ११ आदमी काम में लगे थे, लड़का, लड़की, भाई, बेटे सब, लेकिन अब मैं कहता हूं ३२ आदमी मेरे खानदान के हैं। ३२ आदमी सबसे पहले बलिदान हो जायंगे और देश की ओर से विपत्तियों का मुकाबला करेंगे। कहा गया है:—

"त्यजेदेकं कुलस्यार्थे, ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्।
ग्रामंत्यजेत् साराष्ट्रार्थे, राष्ट्रार्थे पृथ्वी त्यजेत्।।"

भाई कौन होता है? भाई वह होता है जो समय पर काम आवे:—

"आतुरे व्यसने प्राप्ते, दुर्भिक्षे शत्रु संकटे,
राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः।।"

हम ऐसे को अपना भाई कहने के लिये तैयार नहीं हैं जो देश हित में अपना बलिदान करने के लिये हमारा साथ न देवे, या एक तरफ तो भाई भाई कहता जावे और दूसरी तरफ हमारी पीठ में छुरा भोंकता जावे। बापू का सत्य अहिंसा का सिद्धान्त हमको ऐसे भाइयों से होशियार रहना सिखाता है। श्रीमन्, एक चीज और है। हम जवान उसको कहते हैं जो जहां अड़ जाय वहां अड़ जाय, अपनी आन पर मर जाय और किसी का एहसान न सहे, सुधरे चाहे काम बिगड़ जाय। जवानों को हमसे सीख लेनी चाहिये। अंग्रेजों को हमने सात समुन्दर पार फेंक दिया। चीन हो, अमरीका हो, रूस हो, इंगलैण्ड हो, कोई भी देश अगर हम पर उंगली उठायेगा तो उसका हम खून पी जायंगे और दुनिया से मिटा देंगे। हम सब एक हैं और एक रहेंगे और अपने देश के लिये मिट जायंगे और मर जायंगे लेकिन किसी को उंगली और नजर नहीं उठाने देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री बंशीधर शुक्ल से) आपके लिये २-३ मिनट ही हैं।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—उपाध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को पद्य में कहने के लिये क्षमा चाहता हूं। आज चीन के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही गई हैं, चीन ने फटकार भेजी है इसलिये मैं भी चीन को अपनी ओर से एक फटकार देना चाहता हूं:

चीनियो, हिन्द को छेड़ोगे तो गोली मारी जायेगी,
टेढ़ी नजरों से देखोगे, तो आंख निकाली जायेगी।
तुम चीनी मिट्टी के प्याले, हम भारत के प्रलयंकर हैं,
मंदराचल से हैं अचल, सिन्धु से सुस्थिर हैं अभ्यंकर हैं।

हमसे डर के निज रक्षा हित, तुमने दीवार बनाई थी,
फिर भी जब हम बढ़ना चाहे, तो उसकी नींव ढहाई थी।
हमने तुमको ही भिक्षु समझ सर्वदा धर्म की शिक्षा दी,
जब जब तुम हुये हताश, तभी तब हमने नैतिक भिक्षा दी।

हमने तुमको शुभ मंत्र दिया, तब तुमने स्वतंत्रता पाई,
हमसे ही पाकर शक्ति, हमी से लड़ना चाहते हो भाई।
हम भारत के रणधीर, कभी पहले कुछ वार न करते हैं,
जब प्रथम वार सह लेते, तब पीछे संहारण करते हैं।

[श्री बंशीधर शुक्ल]

भारत का अब तक का पिछला इतिहास गवाही देता है,
कायर दब्बू दुबले मूरख से, कभी न लोहा लेता है ।

तुमने भाई कह कर टेरा, हम भाई बनकर मिले तुम्हें,
अब दुश्मन बन कर आये हो, तो दुश्मन बन कर मिले तुम्हें ।

तुम क्या अपने को समझ रहे, ओ चीनी कायर सावधान,
अब हम भी शस्त्र उठाते हैं, ओ चाऊ माऊ सावधान ।

तेरे सौ सौ रणवीरों से, भारती एक जय पायेगा,
जिस समय देश का बच्चा-बच्चा, लड़ने पर तुल जायेगा ।

भारत के यह कम्युनिस्ट, कि जिनको तनख्वाहों से पाला है,
अब इनकी पोलें निकल चुकीं, मुंह काला होने वाला है ।

यह रूस चीन की दासी हैं, उनकी ही डींगें भरते हैं,
भारत के यह नागरिक नहीं, इनके रंगमहले गिरते हैं ।

लेनिन स्टैलिन चाऊ माऊ, यह हैं इनके इष्टदेव,
ईश्वर अल्ला ब्रह्मा विष्णु से, इनको है कुछ दिली भेव ।

यह किपय कालमी भारत के, भारत इनको ठुकराता है,
ओ चीनी कायर संभल, संभल अब भारत शस्त्र उठाता है ।

हमने जब शस्त्र उठाया, तब दुनिया में हाहाकार मचा,
हमने जब क्रोध किया, तब दुनिया की थर-थर कांपी त्वचा ।

तुझको जापान दबाता था, तब हम ने तेरा साथ दिया,
हम थे गुलाम पर उस पर भी, तेरे ही दुख का गान किया ।

अंग्रेजों को कमजोर समझ, हम ने नहिं शस्त्र उठाया था,
केवल इस सत्य अहिंसा से, अंग्रेजी छत्र हटाया था ।

जो सदियों से घर बैठी थी, घर-घर दिल दिल में छाया थी,
जिनके शासन को सूर्य उदय से, सूर्य अस्त तक काया थी ।

वह बातों बातों में खिसका, जब आंख तरेरी थी हमने,
एक ही रात में चला गया, जब रणभेरी दी थी हमने ।

है चीन रूस का बल तुझको, हमको काफी अपना बल है,
प्रहलाद सुदामा हैं तब भी, नरसिंह कृष्ण का संबल है ।

अब घुरा दबाना छोड़ चीन, क्यों मौत बांध कर आया है,
इन कम्युनिस्टों के नारों से, तुझ पर कुछ नशा सवाया है ।

भारत कुछ है अस्वस्थ, इसी से पार्टीबन्दी छाई है,
लेकिन तुझ से लड़ के हित, जन-जन में क्रांति सवाई है ।

हमसे जिसने आश्रय मांगा, हमने आश्रय दे दिया उन्हें,
लामा क्या चाऊ भी आवें, तो सदा प्रेम से रखें उन्हें ।

तुम सी बात पर चिढ़ कर ही, भारत पर हमला कर बैठे,
यह क्या जनखों सी आदत है, बिन बिगुल बजाये लड़ बैठे ।

हम आज गरजकर कहते हैं, इसको रण का गर्जन समझो,
चीनियो हटो भारत छोड़ो, हमसे लड़ने को मत उलझो ।

हम अब दुनिया से कहते हैं, चीनी दुतकारा जायेगा,
जो इसकी मदद करेगा, वह क्षण में संहारा जायेगा ।

भारत अब सहन न कर सकता लड़ने को है तैयार खड़ा,
रण घंटी को है देर दार, प्राणों को लेकर बढ़ा-चढ़ा।

सरकार हमारी कायर है सलिय धुरे को दबा लिया,
अब देश नहीं दब सकता है चहता है रण हुंकार किया।

ओ चीनी शासक सावधान, भारत अब शस्त्र उठाता है,
तेरी चूंकिंग और पिंकिंग पर भारती ध्वजा फहराता है।

देखें तेरा को मददगार, जो तुझे बचाने आता है,
सब कुछ सहने वाला भारत अब शस्त्र चलाने जाता है।

कुछ और कहने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—जी नहीं, अब और माननीय सदस्य खड़े न हों। जिन लोगों ने प्रस्ताव में अमेंडमेंट रखा पहल उनके भाषण होंगे। बाद में माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण होगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपना संशोधन, जो इस प्रस्ताव पर प्रस्तुत किया था, उस पर बोलते हुए कुछ कहा था। उसके बाद माननीय सदस्यों के जो भाषण हुए उनमें से कुछ ने मुझे यह राय दी कि मुझे अपने संशोधन को वापस ले लेना चाहिय। श्रीमन्, मेरे संशोधन को यदि ध्यान से देखा जाय और ठंडे दिल से, उतावलेपन को छोड़ कर अगर उसको देखा जाय तो देश की रक्षा का जहां तक प्रश्न है उसमें पूरी मजबूती के साथ कहा गया है। मैंने शुरू में ही अपने भाषण में कहा था और अब फिर आखिर में उस बात को दुहराना चाहता हूं कि जहां तक हमारे देश की रक्षा का प्रश्न है हम और हमारी पार्टी इस बात को साफ-साफ कहती है कि देश की सुरक्षा का जब प्रश्न होगा, देश के ऊपर जब हमला होगा, तो कोई भी ताकत क्यों न हो, कोई भी शक्ति हो, वह हमला किसी भी देश से हो हम अपने देश की रक्षा करने में किसी से पीछे नहीं रहेंगे। यदि सरकार उसकी रक्षा के लिये आगे बढ़ेगी तो उसके आह्वाहन पर हम देश के साथ होंगे, सरकार के साथ होंगे और अपने देश की रक्षा करेंगे। इस बात को न केवल मेरठ में, बल्कि कलकत्ते में ही हमारी पार्टी ने कह दिया था और फिर उसको मजबूती से कहता हूं कि देश के ऊपर किसी भी ताकत से, किसी भी शक्ति से हमला होगा तो हम उस पर आंच न आने देंगे।

जहां तक प्रस्ताव के विरोध करने का प्रश्न है, हमने प्रस्ताव का पूरी तरह से कभी विरोध नहीं किया। हमने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि हमारा राष्ट्र गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है। उसमें लोगों की भावनाओं को युद्ध के पक्ष में उभाड़ना ठीक नहीं है और उस भावना के अन्दर हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिये जो किसी भी तरह से समस्या को और ज्यादा उलझा दें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधान मंत्री ने साफ-साफ कहा है कि हम देश की रक्षा में किसी से कम नहीं हैं, देश की रक्षा के सवाल पर सो नहीं रहे हैं, चौकन्ने हैं, लेकिन फिर भी समस्या को उलझने नहीं देंगे, शांति के ढंग से उसको सुलझायेंगे। श्रीमन्, इसी भावना को लेकर मैंने वह संशोधन रखा था।

मेरे संशोधन के विषय में माननीय राजनारायण जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया है उसका प्रयोग तो अपने उत्तर में मैं कर नहीं सकता और न करना चाहता हूं। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की हर प्रकार से निन्दा ही नहीं की वरन् उसको गाली दी। परिस्थिति की गंभीरता को छोड़ कर कम्युनिस्ट पार्टी को गाली देना ही उन्होंने उचित समझा। उन्होंने यह उचित नहीं समझा कि वे परिस्थिति की गम्भीरता को समझते और उसके ऊपर अपने विचार रखते, उसकी रक्षा के लिये सुझाव रखते। लेकिन उन्होंने वैसा करना उचित न समझा। उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया मैं उसका प्रयोग करने नहीं जा रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि उस स्तर पर उतरूं जिस स्तर से राजनारायण जी ने अपने भाषण में उन भाषाओं का प्रयोग किया। किसी के चश्मे में से देखने की बात, किसी के गुलाब का फूल लगाने की बात, किसी पार्टी के सदस्य में

[श्री चन्द्रजीत यादव]

नये या पुराने होने की बात इस तरह किसी की टीका टिप्पणी करने में मैं अपने को मजबूर पाता हूं। लेकिन श्रीमन्, यह स्पष्ट हो गया कि पार्टी पोलिटिक्स करने का कुछ लोगों का इरादा था और उस इरादे से उन्होंने इस प्रस्ताव को इस तरह से रखने की कोशिश की।

श्रीमन्, मैंने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि देश की सीमा और देश की रक्षा में हम किसी से पीछे नहीं होंगे लेकिन कुछ मित्र हमारे हैं जिनको हमारी नीयत के ऊपर शक है। कुछ मित्र ऐसे हैं जिनको हमारी नीयत पर ही शक नहीं है बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीयत पर भी शक है। कुछ मित्र ऐसे हैं जिनको कांग्रेस और कांग्रेस सरकार की नीयत पर शक है और कुछ मित्र तो ऐसे ह जिनको अपने देश की जनता की नीयत के ऊपर ही शक है। उनको केवल जनरल करिअप्पा पर भरोसा है जिनको अपने देश की जनता की नीयत के ऊपर शक है, उनका मैं घोर विरोध करता हूं।

माननीय गोविन्दसिंह ने नियम ५३ के अन्तर्गत जो प्रस्ताव रखा था उनके कुछ शब्दों की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि उससे हमारा सिर लज्जा से झुक जाता है कि हम अपने देश की जनता के ऊपर अविश्वास रखते हैं। देश की जनता भूखी नंगी हो, लेकिन देश की रक्षा का प्रश्न आयेगा, देश प्रेम का प्रश्न आयेगा तो वह परमुखापेक्षी नहीं होगी। देश और प्रदेश के प्रति वह उदासीन नहीं होगी। उनके प्रस्ताव में लिखा हुआ है कि सरकार ने पहाड़ी प्रदेश की तरफ ध्यान नहीं दिया है, अतः इस क्षेत्र की जनता प्रदेश और भारत के प्रति उदास सी दिखाई देने लगी है और ऐसा लगता है कि वह परमुखापेक्षी होती जा रही है।

श्रीमन्, मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि ऐसे राष्ट्रीय संकट के समय किसी को भी देश के अन्दर ऐसी भावना नहीं पैदा करनी चाहिये कि हमारे देश की जनता का मनोबल कमजोर हो। बल्कि हमें इस मौके पर बड़ी संजीदगी और गम्भीरता के साथ इस सामान्य परिस्थिति का कैसे मुकाबला किया जाय, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। सारी पार्टियों के लोग बैठें, देश के लोग बैठें और तब हमें इसके ऊपर गौर करना चाहिये। लेकिन ऐसे वक्त पर जब कि दोनों प्रधान मंत्रियों के बीच पत्र-व्यवहार द्वारा समस्या को सुलझाने की तरफ प्रगति हुई हो, दोनों ने एक दूसरे के प्रस्ताव का स्वागत किया हो और जब इस बात का आभास मिलता हो कि समस्या सुलझेगी और मेरा दृढ़ विश्वास है, मेरी पार्टी का विश्वास है, और मैं समझता हूं कि देश की सारी जनता का विश्वास है कि, चीन और भारत नहीं लड़ेंगे, अगर लड़ेंगे तो अपने को बर्बाद कर लेंगे। चीन भारत को ही नहीं बर्बाद करेगा बल्कि खुद को भी बर्बाद कर लेगा अगर उसने ऐसी हिमाकत की। तो हमको मानवता की दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार करना होगा, आवेश में आकर बात करने से यह समस्या नहीं सुलझेगी। श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि इन सारी बातों पर हमको गौर करना चाहिये।

कहा जाता है कि चीनियों ने देश के ९ सिपाहियों को मार दिया। श्रीमन्, कोई भी इस बात की प्रशंसा नहीं करता है बल्कि निन्दा करता है और करेगा। मैंने शुरू में ही कहा था कि समस्या का समाधान इसको उलझाने से नहीं होगा गोली से न होगा, बल्कि शान्ति के साथ, समझौते के साथ बैठ कर आज की जैसी परिस्थिति है उसके ऊपर विचार करने से ही होगा। जिस प्रकार की सीमा है उसके अन्दर जो उलझन पैदा हो गई है उसके सुलझाने का प्रयास होना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस तरह से हर आदमी सही माने में संसार में शान्ति हो, शान्ति पक्ष प्रबल हो, इस बात का प्रयास कर सकता है और शान्तिपूर्वक बैठ कर समस्या का हल हो सकता है। इसीलिये हमने उस बात को अपने प्रस्ताव में रखा है।

(इस समय ३ बजकर ५२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

एक बात और कही गई कि चीन की लिबरेशन आर्मी आ रही है और उसका स्वागत हिन्दुस्तान के लोगों को करना चाहिये, ऐसा कम्युनिस्ट पार्टी कहती है। श्रीमन्, मेरे जो मित्र

लिबरेशन आर्मी के यह माने लगाते हैं वे सही माने में उसे समझ नहीं पाये हैं । मैं तो यहां तक कहता हूं कि चीन से आने वाली लिबरेशन आर्मी का स्वागत करने की बात जो कोई भी कहता हो, ऐसे लोग अराष्ट्रीय और राष्ट्र विरोधी तत्व हैं और उनके विरुद्ध सरकार जो भी कदम उठावेगी उनके साथ हमारी कोई भी हमदर्दी नहीं होगी । मैं साफ कह देना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी हिन्दुस्तान के अन्दर बढ़ेगी । हिन्दुस्तान के मेहनतकशों और समाज की सेवा करके हिन्दुस्तान की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक पृष्ठभूमि में पैदा हुई कम्युनिस्ट पार्टी होगी, देश की कम्युनिस्ट पार्टी होगी, वह चीन या रूस की कम्युनिस्ट पार्टी नहीं हो सकती । हमने वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के बल पर भरोसा करके बढ़ने का न तो सोचा है न कभी यकीन किया है और न कर सकते हैं । मार्क्सवाद के मूलभूत सिद्धान्त होते हैं जिन को लेकर दुनिया के देशों में वहां की परिस्थितियों के मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टियां बनती रही हैं और उनका विकास होता रहा है । हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी यहीं पर बनेगी और देश का हित उसका हित होगा । यहां की कम्युनिस्ट पार्टी यहां की भूमि में, यहां की परिस्थिति में पैदा हुई, यहां की जनता के हितों के लिये लड़ने वाली कम्युनिस्ट पार्टी, देश के लोगों की रहनुमाई करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी बराबर बढ़ रही है और आगे भी बढ़ेगी । इसलिये मैं कहूंगा कि यह पार्टी-पालिटिक्स का वक्त नहीं है ।

अन्त में मैं फिर सदन के सदस्यों को यकीन दिलाऊंगा और अपने सूबे की, और अपने देश की सरकार को, देश और प्रदेश की जनता को कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मैं यकीन दिलाऊंगा कि देश की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा के प्रश्न पर, देश की सीमा के लिये, देश की रक्षा के लिये कम्युनिस्ट पार्टी सब से आगे होगी और वह किसी से भी पीछे न होगी । वह सही मानों में देश की और राष्ट्र की रक्षा करेगी जो मेरा खयाल है कि युद्ध का वातावरण पैदा करने वाले शायद न कर सकेंगे, और युद्ध का उन्माद पदा करते हैं तो राष्ट्र की रक्षा और मानवता के हित के खिलाफ बात करते हैं। राष्ट्र की रक्षा एक चीज है और युद्ध का उन्माद पैदा करना दूसरी चीज है । मेरा खयाल है कि आज युद्ध का उन्माद पैदा करने का समय नहीं, आज राष्ट्र की रक्षा का प्रश्न है । उसमें कम्युनिस्ट पार्टी आज तक न कभी किसी से पीछे रही है और न आगे रहेगी । मैंने जो संशोधन रखा है वह मैं समझता हूं कि हमारे देश की वैदेशिक नीति से मेल खाता हुआ है और हमारे देश की जनता जिस शान्ति पक्ष को मजबूत करना चाहती है और जिस तरह से वह समस्याओं का समाधान चाहती है उसकी उन भावनाओं से मेल खाता है । आशा है कि सदन उसे स्वीकार करेगा ताकि हमारी इन समस्याओं का समाधान शान्तिपूर्ण ढंग से हो सके ।

श्री अध्यक्ष—(श्री नारायणदास पासी से) आप अपने संशोधन को वापस ले रहे हैं या उस पर जोर देते हैं ?

श्री नारायणदास पासी (जिला फैजाबाद)—मैं वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री अध्यक्ष—श्री मुक्तिनाथ राय यहां हैं नहीं ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, इस २ दिन के वाद-विवाद में जिस तरह का सहयोग, जिस तरह का प्रेम दोनों तरफ के लोगों ने मेरे ऊपर दर्शाया मैं उस के लिये सभी माननीय मित्रों का, चाहे वे किधर के भी हों बहुत ही अनुग्रहीत हूं । मुझे अपना प्रस्ताव रखते हुये आशा ऐसी ही थी, और हुआ भी ऐसा ही क्योंकि मैंने देखा कि प्रायः सभी बन्धुओं ने जिन्होंने इस विवाद में भाग लिया उन्होंने पार्टी लेविल से ऊपर उठ कर बातें कहीं । हो सकता है कि कुछ भाइयों को कुछ बातों से जरा ठेस लगी हो, लेकिन जैसा कि उन वक्ताओं ने कहा, देश प्रेम और देश की रक्षा के नाते किसी को ठेस लगना तो दूर और कुछ भी हो जाय तो उससे समझौता नहीं होता, यही भावना रही है । इस से पहले कि मैं एक पार्टी विशेष के मित्रों को जवाब दूं, वह

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

तो हो ही जायगा, उन्होंने जो कहा वह तो उन से आशा ही थी, लेकिन आज इस मसले पर तो मैं अपने को कांग्रेस में समझता हूं और कांग्रेस वालों को जनसंघ में। जहां तक देश का सवाल है कांग्रेस में और हममें कोई भेद नहीं। एक दो गलत बातें उतावली से उधर के दो सदस्यों से हो गयीं। हो गई, वह बात दूसरी है, उनका मैं कोई जिक्र न करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि माननीय गोविन्दसहाय जैसे सदस्य ने जो बातें कहीं वह कुछ ठीक नहीं बैठतीं। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो मौलिक सिद्धान्त है उसमें और कांग्रेस के सिद्धान्त में भेद नहीं है और उन्होंने इसी तरह से अपने सारे भाषण में एक इस तरह का समर्थन सा किया कि कम्युनिस्ट पार्टी गलती नहीं कर रही है बल्कि उस पार्टी का जो संशोधन है वह भी इसी का द्योतक है कि वे कांग्रेस की विदेश नीति का समर्थन करते हैं और वे जरा हल्का स्टेप चाहते हैं। लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में पंडित नेहरू की क्या भावना रही है और माननीया इन्दिरा गांधी ने क्या कहा है. . .

श्री अध्यक्ष—किसी अखबार से उद्धरण पढ़ने की मैं इजाजत नहीं दूंगा। आप सारांश दे सकते हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—जिस पार्टी के सदस्य वे हैं उसकी अध्यक्षा ने कम्युनिस्टों को ट्रेटर कहा है। चंडीगढ़ में भी ए० आई० सी० सी० की भी यही भावना रही कि कम्युनिस्ट पार्टी देश के साथ गद्दारी कर रही है। गोविन्दसहाय जी कांग्रेस में रहते हुए अपने नेता या बजुर्गों की नीति के खिलाफ कैसे रह सकते हैं यह बात उनके सोचने की है, मुझे कुछ ज्यादा इसमें नहीं कहना है।

जहां तक माननीय चन्द्रजीत यादव का संशोधन है, मैं उसको एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। माननीय यादव ने कहा है कि प्रस्ताव में से "चीनी कम्युनिस्ट सरकार" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर "चीनी लोकगण राज्य" रख दिया जाय। श्रीमन्, इसमें दुविधा हो सकती है। फारमोसा भी अपने को पीपुल्स रिपब्लिक कहता है और यू० एन० ओ० में चीन का प्रतिनिधि वही है। तो यह अपने को पीपुल्स रिपब्लिक बतलाते हैं और वह भी अपने को बतलाते हैं इसलिये इसमें दुविधा हो जाती है। असल में दोनों में कौन पीपुल्स रिपब्लिक है, यह वह फैसला करें। यह हो सकता है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में और वहां के लोकगण राज्य के बारे में हमारे कम्युनिस्ट भाइयों को ज्यादा पता हो। उनके पास प्राइवेट डाक्यूमेंट्स आते होंगे, हमारे पास तो आते नहीं हैं। हमने तो किताबों में पढ़ा है।

दूसरे वह चाहते हैं कि "आक्रान्ता" शब्द निकाल दिया जाय। वह कहते हैं कि चीन ने तो हमसे कभी आक्रान्ता कहा ही नहीं है। तो श्रीमन्, मैं आपकी इजाजत से चाऊ एन लाई का एक पत्र पढ़ देना चाहता हूं जो कि १० सितम्बर के अखबार में है। इसमें लिखा है :—

"Invasion by Indian Troops alleged: For example, regarding the invasion of Wu-je by Indian troops and administrative personnel, the Chinese Government has tried to seek a settlement of the question with the Indian Government through negotiations and to avoid a clash. Regarding the Indian troops who invaded the south-western part of China's Sinkiang and the area of Lake Pankong in the Tibet Region of China, the Chinese frontier guards, after disarming them according to international practice, adopted an attitude of reasoning, asking them to leave Chinese territory and returning to them their arms.

Regarding the Indian troops' successive invasion and occupation of the areas of Shipki Pass, Parigas, Sang, Tsungsha, Puling-Sumdo, Chuva, Chuje, Sangcha and Lapthal, the Chinese Government, after discovering these happenings, invariably conducted thorough and detailed investi-

gations rather than laying charges against the Indian Government immediately and temperamentally....."

तो श्रीमन्, यह उन्हीं के चाउ एन लाई साहब का पत्र है।

श्री अध्यक्ष—चाउ एन लाई उनके नहीं हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—वह तो अपने समझे हुए हैं, श्रीमन्। इतनी सब बातें कही गईं लेकिन यह कि चीन ने हम पर हमला किया है, ऐसी बात भारतीय कम्युनिस्ट नहीं कहना चाहते। क्या वजह है? श्री डांगे साहब के बारे में भी यही बात हुई। उन्होंने कहा :—

"We support Nehru but I cannot say that China is an aggressor."

तो चाउ एन लाई साहब हमारे तो हैं नहीं। उनके नहीं हैं तो कम्युनिस्ट क्यों चाऊ के खिलाफ नहीं कहना चाहते? फिर आगे श्री चन्द्रजीत जी का संशोधन है कि "भर्त्सना करता है" शब्द निकाल दिये जायं। चीन के लिए "स्टुपिड" तक ख्रुश्चेव साहब के मुखारबिन्द से निकल गया। तो स्टुपिड ही जोड़ दिया जाय, भर्त्सना मत रखिए क्योंकि स्टुपिड तो मास्को का शब्द है इसलिये वह पवित्र है। यानी अगर कोई भारत विरोधी कार्य करे तो वह उनको शिरोधार्य है। डिलीट क्या करना चाहते हैं कि "तथा संस्तुति करता है कि इस साम्राज्यवादी मनोवृत्ति से ओतप्रोत कम्युनिस्ट चीनी कुचेष्टा का सामना करने के लिये सभी आवश्यक उपाय किये जायं।" एक तरफ माननीय झारखंडे राय जी कहते हैं कि जिस दिन भारत मानसरोवर की ओर देखेगा तो वे इस इम्पीरियलिज्म का विरोध करेंगे। वे हिन्दुस्तानी हैं और हिन्दुस्तान में रहते हुए ऐसी बात कहने की हिम्मत करते हैं। वह फौरन चीन की सेना में भरती होकर उसका मुकाबला करेंगे। इतना ही नहीं, वे कहते हैं कि सिविल वार हो कर रहेगी। अभी चीन इधर नहीं आया है लेकिन इन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई है कि यह कह सकें कि उस दिन हम यहां सिविल वार करके छोड़ेंगे। भगवान न करे वह दिन आये तो न मालूम वे यहां क्या कयामत बरपा कर देंगे। तो इस चीज को डिलीट करने के मतलब हैं कि कम्युनिस्टों की नीयत साफ नहीं है। अच्छा होता यह संशोधन न लाये होते। अभी तक वे चीन की कुचेष्टा मानते ही नहीं, उनकी नजर में जो कुछ चीन कर रहा है, वह सुचेष्टा हो रही है। लांगजू पर अधिकार, बारहोती पर अधिकार, अक्साई चीन में भारत की छाती चीर कर इतनी लम्बी सड़क बना दी, हमारे ९ सिपाही मार दिये, करमसिंह व उनके साथियों को खड्ड में रखा गया, नंगा, भूखा रखा गया और दुबारा नाटक खिलवा कर कि भारत आक्रामक है प्रचार करना, नाटक में दिखाया गया कि चीनी चुपचाप खड़ा हुआ है और भारतीय सिपाही उन पर हमला कर रहा है। चीनी सिपाही पूर्ण "अहिंसा परमोधर्मः, बुद्धं शरणं गच्छामि" का जैसे पालन कर रहा है। ऐसे उस फिल्म में दिखाये गये हैं यह सब चीन की सुचेष्टायें हैं। लेकिन भगवान की दया से उसकी इन हरकतों का परदा फाश हो गया। करमसिंह के जिन्दा मिलने से, उससे जाहिर हो गया कि कम्युनिस्ट जो कनफेशन्स की बात करते हैं वह किस तरह से झूठा कनफेशन होता है, किस तरह से डाक्यूमेंट्री एवीडेन्स के नाम पर झूठी फिल्म बनवाते हैं।

हमारी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को परहेज है कि हम राष्ट्रीय तत्वों का सहयोग प्राप्त करें, देश की रक्षा हेतु करें यानी देश की सुरक्षा के लिये जो काम किया जाय उसमें राष्ट्रीय तत्वों का सहयोग साम्यवादी लोग नहीं चाहते। हमारे कम्युनिस्ट भाई जब कि हमने यह कभी नहीं कहा अपने प्रस्ताव में कि कम्युनिस्ट भाई राष्ट्र विरोधी हैं लेकिन हमारी इस मांग से कि राष्ट्र विरोधी तत्व नष्ट हों न मालूम उनके पेट में क्यों दर्द होने लगा। अगर वे राष्ट्र विरोधी नहीं हैं तो राष्ट्र विरोधी तत्वों का विरोध करने की बात से क्यों इनके

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

सिर में दर्द हो जाता है? स्पष्ट है कि आज भारत के कम्युनिस्ट यह चाहते हैं कि राष्ट्र विरोधी तत्व पनपें और भारत को गारत कर दें? हमने कहा है कि हम देश की रक्षा के लिये बड़े से बड़ा बलिदान कर सकते हैं।

उनकी तरफ से कहा गया कि कम्युनिस्ट पार्टी वह पार्टी है जो अपने बड़े से बड़े नेता को पर्ज कर सकती है। किसको पर्ज किया गया? डांगे और मिराजकर को? कारण क्या था? उन्होंने बम्बई कारपोरेशन के चुनाव में एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी? उन्होंने कहा चीन आक्रान्ता है, मैकमोहन लाइन हमारी सीमा है, हमलावर को हमारी भूमि खाली करना चाहिये। कितना बड़ा उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ विद्रोह कर दिया कि हमारे देश से चीनी आक्रान्ता चले जायं। यह जो हमारी मांग थी, कांग्रेस की मांग थी, जनसंघ की मांग थी, देश की मांग थी उसमें उन्होंने हां कह दिया तो उनके ऊपर क्या कयामत बरपा हो गयी। उनको सेंसर किया और उनको माफी मांगनी पड़ी। हमारे मित्र भी राष्ट्रीय भावना की सराहना करने में कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा डांगे को दी गई सजा की वाहवाही लूटना चाहते हैं। उनके यहां पहले पार्टी है देश पीछे है, लेकिन हमारे लिये देश आगे है, पार्टी पीछे है। हमारे लिये कंट्री इज फर्स्ट, कंट्री इज सेकिंड और कंट्री इज थर्ड (Country is first, country is second and country is third) लेकिन उनके लिये पार्टी इज फर्स्ट एण्ड पार्टी इज लास्ट (Party is first and party is last) सिद्धांत है। जब हमारे देश की स्वतंत्रता और सुरक्षा खतरे में है तो मैं आज अगर मेरी पार्टी जनसंघ देश के मार्ग में रोड़ा बने तो मैं सहर्ष उसे छोड़ सकता हूं। अगर मेरा भाई दुश्मन बन कर चीन का साथ दे और मानसरोवर में जाकर विरोध करे तो मैं भाई पर गोली चला सकता हूं और इसमें मुझे कोई शिकायत या संकोच नहीं होगा। हमारे लिये देश प्रेम प्रथम है और देश प्रेम अन्तिम है। मगर धन्य है कम्युनिस्ट पार्टी के लिए कि वे देश की आहुति दे सकते हैं।

इसके बाद कम्युनिस्ट अपने संशोधन द्वारा सबल रक्षा नहीं चाहते। जिस समय दुश्मन आ जायंगे, आततायी आ जायंगे, भगवान न करे वह दिन आये, उनके संशोधन के अनुसार, अगर दुश्मन का सबल विरोध करना पड़ा तो वे ऐसा नहीं करेंगे? युद्ध के वातावरण की बात कही गयी। हम नहीं चाहते युद्ध हो। हमने सारे प्रस्ताव में कहीं नहीं कहा है कि युद्ध हम चाहते हैं। हमने कहीं नहीं कहा कि हम पंडित जवाहर लाल नेहरू और अहिंसा की बातों का स्वयं समर्थन नहीं करते लेकिन ये पंडित नेहरू और अहिंसा की बातों का आज तथा कथित समर्थन करने वाले चीनियों के सलाहकार और एजेंट--मैं अब तक यह नहीं कहता था, गले से ये लफ्ज उतरते नहीं थे अटक गये थे लेकिन इस अमेंडमेंट को देखकर उतर आये--कम्युनिस्ट हमसे कहते हैं कि सबल रक्षा नहीं होनी चाहिये तो अगर दुश्मन आ जायगा तो हम तब क्या करेंगे? "अहिंसा परमो धर्मः" का जाप करेंगे या लाल झंडा हंसिया हथौड़े वाला तथा भाला लेकर जायेंगे या क्या करेंगे? अगर दुश्मन के आने पर सबल रक्षा नहीं करेंगे, बड़े से बड़ा त्याग नहीं करेंगे तो क्या उसके बेलकम का फाटक लगायेंगे? मैं इन शब्दों के साथ यह चाहता हूं कि डिबेट का प्रकाशन शीघ्रातिशीघ्र हो कर हमारे सामने आ जाय और प्रदेश की हर गांव सभा में बांटा जाय। पर्वतीय इलाके के लिये एक अलग से मंत्री बनाया जाय जो उसके लिये एक अलग योजना बनाये ताकि वहां की तरक्की हो सके। इन शब्दों के साथ मैं सब मित्रों को धन्यवाद देता हूं कि आप मेरा प्रस्ताव पास कर देंगे।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। प्रस्तावक हम सब लोग हैं। मूल रूप में इस प्रस्ताव को कैसे रखा गया, कैसे लिखा गया, सारी बातों की जानकारी आपको हो गयी होगी। अगर थोड़ा समय भी हमें न दिया गया तो हमारे साथ बड़ा अन्याय होगा, देश के साथ अन्याय होगा।

श्री अध्यक्ष (श्री नारायणदत्त तिवारी से)---आप भी समर्थन कर रहे हैं खड़े होकर, आप भी चाहते हैं कि आप को भी बोलने का मौका दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---अगर राजनारायण जी ५ मिनट बोलना चाहते हैं तो.....

श्री राजनारायण---श्रीमन्, वे हमारे ही पक्ष में कह रहे हैं। वे नहीं बोलेंगे। हमें ही वक्त दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं। अब माननीय मुख्य मंत्री बोलना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि किसी को आपत्ति नहीं होगी कि वे २५ मिनट के स्थान पर ४५ मिनट बोलेंगे।

श्री राजनारायण---समय उनको ज्यादा दे दिया जाय। लेकिन अभी ५० मिनट हैं लिहाजा ५ मिनट मुझे भी दे दिये जायं।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, आज ३ दिन से हम बहुत ही गंभीर विषय पर विचार कर रहे हैं और जो प्रस्ताव हमारे सामने है वह उस गम्भीर परिस्थिति का प्रतीक है जो इस समय देश के सामने है। यह हम सब लोगों के लिये बधाई का विषय है कि इस सदन ने जिस स्तर पर वादविवाद किया है वह विषय की गम्भीरता के सर्वथा अनुरूप है। एक बात का यों ही मैं जरूर जिक्र करता हूं। कुछ मित्रों ने यह उचित समझा कि प्रस्ताव पर बोलते हुए केंद्रीय और प्रादेशिक सरकारों की कटु शब्दों में आलोचना करें। उनको यह सोचना चाहिये था कि सरकार की आलोचना के बहुत से मौके हैं। यदि इस मौके पर ऐसा न किया गया होता तो ज्यादा अच्छा होता। बहरहाल, मैं उनके आक्षेपों का एक शब्द में भी उत्तर नहीं दूंगा और जो एक बहुत ही अच्छा वातावरण इस सदन में दिखायी पड़ता है उसको खराब नहीं करूंगा।

वस्तुतः जिस परिस्थिति में आज हम अपने को पाते हैं जहां तक मैं जानता हूं हमारे इतिहास में ऐसी कभी भी उत्पन्न नहीं हुई। हमारी सीमायें बड़ी लम्बी हैं, उत्तर में कई सौ मील की सीमा है पहाड़ की, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व में समुद्र हमारी सीमा है। पिछले २-३ सौ वर्षों में यूरोप के लोग समुद्र की तरफ से हमारे देश में आये लेकिन साधारणतया जब हम अपनी किसी सीमा पर खतरे का खयाल करते हैं तो हमारी उत्तर-पश्चिम सीमा की तरफ ही प्रायः खयाल जाया करता है। पिछली लड़ाई के बाद जब ब्रह्मा पर जापान का कब्जा हुआ तो हमारी पूर्व की सीमा ने भी कुछ महत्व धारण किया। फिर भी, जैसा मैं निवेदन कर रहा था, प्रायः हमारा ध्यान उत्तर-पश्चिम की सीमा की तरफ ही रहता है। कम से कम ऐतिहासिक काल में बार-बार जितने भी आक्रमण हुए शकों के, हूणों के, पठानों के, मुगलों के वे सब इसी तरफ से हुए। लेकिन उन सब आक्रमणों के संबंध में एक चीज दिखायी पड़ती है। ग्रीस की बाबत ऐसा कहा जाता है कि "ग्रीस कांकर्ड हर कांकरर्स" (Greece conquered her conquerers) रोम वालों ने ग्रीस पर विजय प्राप्त की, राजनीतिक विजय उनकी हुई परन्तु ग्रीस की सभ्यता, उसकी संस्कृति ने उनको जीत लिया। यही बात भारत में भी हुई। शक बाहर से आये, हूण बाहर से आये, लेकिन आने के बाद भारतीय हो गये, भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को उन्होंने अपनाया। उस वक्त जो प्रचलित धर्म था, हिन्दू धर्म, उसको भी उन्होंने अपनाया। पठान और मुगल जब यहां आये, अपने इस्लाम धर्म को तो उन्होंने नहीं छोड़ा परन्तु वे भी १६ आने भारतीय हो गये और भारतीय संस्कृति का उनके ऊपर असर पड़ा और वह जो संस्कृति अपने साथ लाये उसका असर हम पर पड़ा और उनकी और हमारी संस्कृति के मिलने से एक बहुत सुन्दर भारतीय संस्कृति का जन्म हुआ। लेकिन आज तक कभी भी उत्तर की तरफ से हमको कोई खतरा नहीं हुआ, कहीं छोटी-मोटी मुठभेड़ किसी से हो गयी हो,

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

दो-चार दिन की तो दूसरी बात है। लेकिन आज एक विशेष परिस्थिति पैदा हो गयी है। हमारे उत्तर में एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, ६० करोड़ की उसकी आबादी है, वह अपने को बहुत बलवान समझता है, अपनी शक्ति पर उसको गर्व है और इसके साथ-साथ उसने एक नये मजहब कम्युनिज्म को स्वीकार किया है। अपने राष्ट्र का विस्तार करना चाहता है और शायद अपने नये मजहब कम्युनिज्म को फैलाना चाहता है। इस किस्म का मुकाबला हमें कभी भी नहीं करना पड़ा था। इस बात की तो मुझे भी संभावना दिखाई नहीं पड़ती कि निकट भविष्य में जिसे युद्ध कहते हैं, उनके और हमारे बीच में हो जायगा। लेकिन यह संभव है, संभव ही नहीं निश्चित है कि जो कुछ थोड़ा सा हमारे और उनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया है, बहुत जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। कब तक रहेगा, हम नहीं कह सकते और क्या परिणाम होगा, यह भी नहीं कह सकते, लेकिन रहेगा और देर तक रहेगा। हम शांति की बात भले ही करें लेकिन उनके मन में शांति है, मैं नहीं कह सकता।

इस संबंध में अभी पार्लियामेंट में २७ नवम्बर को प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो स्पीच दी थी, उसका एक वाक्य मैं पढ़ता हूं। कई साहबों ने उनकी बात को दुहराया और उनमें अपनी आस्था भी प्रकट की, तो मैं आशा करता हूं कि वह इसको भी मानेंगे। उन्होंने कहा है :—

"But I doubt, if there is any country in the world which cares less for peace than China to-day."

उनका कहना यह है कि मेरा विश्वास है कि दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसको शांति की इतनी कम परवाह हो जितनी चीन को है। इस हालत में इसको गम्भीरता के साथ हमें अपने सामने रखना चाहिये, गम्भीरता के साथ ही सोचना चाहिये और गम्भीरता के साथ ही अपना कदम उठाना चाहिये। यह सवाल उठाकर हम वार साइकोसिस पैदा करना चाहते हैं, देश में लड़ाई का वातावरण पैदा करना चाहते हैं, यह गलत है। पहले तो लड़ाई हमारे हितों के सर्वथा विरुद्ध है। सैकड़ों वर्षों की पराधीनता के बाद यह देश स्वतंत्र हुआ है, हमारा घर उजड़ा हुआ है और इस उजड़े हुए घर को हम बसाना चाहते हैं। वह लड़ाई के वातावरण में नहीं बसाया जा सकता। इस वक्त भी हम जो थोड़ी बहुत पुलिस तथा फौज रखते हैं उस पर भी काफी खर्चा पड़ता है। अगर लड़ाई की बात हुई तो जो कुछ भी हमारे पास सामान है, शक्ति है और साधन हैं वह हमारे सारे के सारे इधर खर्च हो जायेंगे।

एक मित्र ने कल कहा था कि हमें समाज-कल्याण के सारे कार्यों को बन्द कर देना चाहिये। हम इस समय बन्द करें या न करें, लेकिन अगर लड़ाई की परिस्थिति उत्पन्न होती है तो वह बन्द होंगे ही। यदि राष्ट्र रहेगा तो दुनिया भर की चीजें रहेंगी। यदि राष्ट्र नहीं रहेगा तो कोई भी चीज नहीं रहेगी। अगर लड़ाई के मामले में पड़ गये तो सारी की सारी चीजें खत्म हो जायेंगी, तरक्की के सारे काम बन्द हो जायेंगे और सारी योजनायें न जाने कहां चली जायंगी। हमारा हित नहीं है कि लड़ाई की बात हो। हम अपनी तरफ से लड़ाई छेड़ना नहीं चाहते।

फिर लड़ाई की बात, हमारी जो नीति स्वतंत्र होने के बाद रही है और जिसको हमने अपनाया है, उसके विरुद्ध है। इसकी थोड़ी-सी मिसाल गोआ की सब के सामने है। पुर्तगाल के प्रेसीडेंट सालाजार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मिलिटिरली भारत हम से बहुत मजबूत है। तलवार के जोर पर हम गोआ को ले चुके होते, लेकिन यह मानते हुए भी कि गोआ भारत का अंग है, शक्ति रखते हुए भी हमने अपनी तरफ से कोई सैनिक काम नहीं किया। यह बात इस का सबूत है कि हम युद्ध के पक्षपाती नहीं हैं और फिर हमारी हजारों वर्ष की परम्परा इसके विरुद्ध है। पुराने जमाने की बात छोड़ दें, भारत के इतिहास काल में भारत में बड़े-बड़े साम्राज्य हुए हैं। मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन का जमाना। इस जमाने में भारत की बहुत बड़ी शक्ति थी। अकेले हर्षवर्धन की बाबत जो उस समय के लेखक हैं, उन्होंने बयान किया है कि हर्षवर्धन की सेना में ६ लाख सिपाही थे। हमारे

मुकाबिले में क्या मिस्र, क्या बैबिलान, क्या ईरान, इनकी शक्ति बहुत कम थी। लेकिन उन देशों के नरेशों ने भले ही दूसरे देशों पर आक्रमण किया हो लेकिन पूर्ण शक्ति रखते हुए भी किसी भी भारतीय नरेश ने कभी किसी बाहर के देश पर अपनी तलवार नहीं उठायी। यह हमारी परम्परा रही है। हमने कभी भी दूसरे देश को गुलाम बनाने की कोशिश नहीं की है। शक्ति 'परेषाम् परिपीड़नाय' नहीं, बल्कि 'रक्षणाय' होनी चाहिये। शक्ति का प्रयोग दूसरों की रक्षा करने के लिये होना चाहिये न कि पीड़ित करने के लिये, यह हमारी परम्परा रही है। तो हम वार मांगरिंग करें, एक वार साइकोसिस पैदा करें, यह हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके साथ एक बात यह भी है कि हम कायर नहीं हैं, हम किसी को छेड़ना नहीं चाहते लेकिन इस तरह की छेड़छाड़ को बरदाश्त भी नहीं कर सकते। दुर्गा सप्तशती में वर्णन आया है, महिषासुर वध का। जब देवों ने देवी की स्तुति की तो उन्होंने कहा, 'चित्ते कृपा समर निष्ठुरता'। हमारे चित्त में कृपा है लेकिन अगर जरूरत पड़े तो समर की निष्ठुरता भी है। हम वार साइकोसिस पैदा करना नहीं चाहते लेकिन देश में डिफेंस साइकोसिस भी न पैदा करें, लोगों को डिफेंस माइंडेड भी न बनायें, यह तो बहुत बड़ी नालायकी होगी।

चीन का जो आक्रमण हुआ मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि अंग्रेजी शब्दों में यह ब्लेसिंग इन डिस्गाइज (Blessing in disguise) है। स्वाधीनता के बाद हम एक तरह की गफलत की नींद सोने लगे थे। बहुत से भेदभाव हमारे सामने आ गये थे। प्रदेश का भेदभाव, जाति-पांति का भेदभाव, जो पहले दब गया था वह उभर आया। पार्टियों का तो कहना ही क्या है। इन भेदों की तरफ हमारा ध्यान ज्यादा गया था और एकता की तरफ से ध्यान उठ गया था। कई देश जब स्वतंत्र हुए तो किसी ने उन पर आक्रमण कर दिया, उसका एक परिणाम यह हुआ कि देश में एकता हो गयी। हमारे स्वाधीन होने के बाद हमें इस चीज का सामना नहीं करना पड़ा। कुछ पाकिस्तान की तरफ से चिंता रही लेकिन उसको हमने बहुत सीरियसली नहीं लिया। चीन के इस आक्रमण का एक फायदा यह जरूर दिखायी पड़ता है कि हम अपने भेदभावों के ऊपर उठना सीख रहे हैं। हम इस बात को सीख रहे हैं कि भेद होते हुए भी हम एक हैं, भारतीय हैं और किसी मामले में मिल कर एक साथ हो सकते हैं। इस अंधेरे में मुझे यह प्रकाश दिखायी पड़ता है।

जब से तिब्बत के ऊपर चीन का कब्जा हुआ तब से ही कुछ न कुछ हम लोगों की चिन्ता बढ़ी थी। मैं जानता हूं कि तिब्बत के ऊपर जब चीन का कब्जा हुआ उसके सिलसिले में भारत की नीति की बाबत देश के अन्दर दो रायें हैं। कौनसी राय सही है कौन गलत है, उस पर विचार करने का यह वक्त नहीं है लेकिन दो रायें हैं, इसमें शक नहीं है। चाहे कुछ हो, एक बात तो हम में से कोई भी, जिसको इतिहास का ज्ञान होगा यह मानने के लिये तैयार नहीं होगा कि तिब्बत चीन का हमेशा से अभिन्न अंग रहा है। आगे क्या होगा हम नहीं जानते लेकिन यह कहना कि तिब्बत और चीन का वही सम्बन्ध है जो उदाहरण के लिये उत्तर प्रदेश और भारत का है, यह सोलहों आने गलत है, इतिहास के बिलकुल विपरीत बात है। उस संधि की दोहाई देना जो कि चीन में और तिब्बत में हुई थी, बेकार है। हमारे यहां भारत में आने के बाद दलाई लामा ने उन बातों पर कुछ प्रकाश भी डाला है और फिर उसके अलावा यह सोचने की बात है कि यदि तिब्बत चीन का अंग था तो अंग और अंगी की संधि कैसी? उत्तर प्रदेश और भारत के बीच संधि कैसी? तो यह तो बच्चों को समझाने की बातें हैं। फिर वह जो बहुत प्रेम के साथ चीन और तिब्बत का व्यवहार हुआ उसके सम्बन्ध में एक अंग्रेजी किताब में पढ़ी हुई एक पोयट्री का किस्सा याद आता है। एक मर्तबा एक सिंह और एक भेड़ का बच्चा दोनों साथ-साथ टहलने निकले। सिंह ने कहा कि हम दोनों दोस्त हैं, टहलना अच्छी चीज है, आओ चलकर टहल आवें। तो उस में लिखा है कि दोनों साथ-साथ टहलने गये और साथ-साथ लौटे भी। लेकिन लौटते समय एक दूसरे रूप में साथ-साथ लौटे। कुछ दूर जाने के बाद शेर को ख्याल हुआ कि यह भेड़ का बच्चा है, कमजोर है, इसको चलने में दिक्कत होती होगी, इसलिये उसे उठाकर उसने अपने पेट में रख लिया और इस तरह दोनों साथ-साथ लौट आये। तो मुझे ऐसा लगता है कि यह तिब्बत और चीन का बर्ताव कुछ इसी प्रकार का है।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

बहरहाल, तिब्बत का जहां तक प्रश्न है, राजनीतिक बात मैं नहीं कहता हूं, भारतीय संस्कृति में तिब्बत के कुछ खास हिस्सों का उसके साथ बहुत बड़ा सम्बन्ध रहा है और लोगों ने भी कहा है, हमारे प्रधान मंत्री ने भी कहा है। जितने आदमी हम यहां बैठे हैं या जो लाखों, करोड़ों आदमी इस सदन से बाहर हैं वह सब जानते हैं कि मानसरोवर का, कैलास का हमारी संस्कृति में एक विशेष स्थान है। हमारे यहां हजारों कहानियां जो घरों में कही जाती हैं, अनपढ़ आदमी जिन्हें कहते हैं, शिव-पार्वती की कथा, मानसरोवर की कथा, न जाने कितनी चीजें हैं जो हमारी रग-रग में भरी हैं। इसलिये मानसरोवर की, कैलास की क्या व्यवस्था होती है, इसमें हमको स्वभाव से ही दिलचस्पी है। हर साल हमारे यहां से हजारों यात्री वहां जाते हैं दर्शन करने के लिये। जब तक तिब्बत की सरकार थी स्वतंत्र रूप से तब तक हमको कोई आशंका नहीं थी। हजारों वर्ष से लोग वहां जाते थे, कभी किसी ने रोका नहीं और फिर कैलास का पहाड़ तो तिब्बत वालों के लिये भी एक पवित्र पहाड़ रहा है, बौद्धों की दृष्टि से भी वह पवित्र माना गया है। लेकिन चीन का कब्जा होते ही बात बदल गई। जो लोग शुद्ध कम्युनिस्ट हैं, जिनकी दृष्टि में 'रेलीजन इज ऐन ओपियम फार दी पीपुल' (Religion is an opium for the people) यानी धर्म तो लोगों को अफीम पिलाता है ताकि वह सो जायं, जिन लोगों को ऐसा विश्वास हो उनको यात्रियों की सेवा का कोई खयाल होगा, या वह लोग अपनी पूजा-पाठ कर सकेंगे, इसका खयाल होगा, यह बात बहुत दूर की है। हमको उसकी शंका थी और जो घटनायें हुईं और जिस तरह से यात्रियों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश हुई, उसने हमारी आशंका को बहुत ज्यादा दृढ़ किया। हम सतर्क थे जरूर लेकिन फिर भी छोटी-मोटी घटनायें कई प्रकार की होती ही रहीं। एकाध का जिक्र करता हूं।

आज बहुत जिक्र है इसका कि चीन की तरफ से बहुत से नक्शे बनाये गये जिनमें भारत का बहुत-सा हिस्सा दिखलाया गया। इसके पहले भी कभी-कभी जब तिब्बत वाली सरकार थी तो उसने भी इस तरह की बात दिखलाई थी कि कुछ हिस्सा उनका है। वह कभी-कभी स्वप्न देखने जैसी बात उनकी होती थी। लेकिन जब से चीन का कब्जा हुआ तब से इस बात पर जोर दिया जाने लगा। कई बार इस बात की कोशिश हुई, कई जगहों पर हक दिखलाने की कोशिश की उन्होंने, कहीं जाकर टैक्स वसूल कर लेने की कोशिश की, कहीं कुछ, लेकिन हमने उनकी किसी कोशिश को सफल होने नहीं दिया। टैक्स उनको वसूल नहीं करने दिया। उनकी कोशिश बराबर जारी रही। फिर यह हुआ कि बैठ कर सब बातें तय कर ली जायं। दिल्ली में कांफ्रेंस हुई--भारत सरकार के प्रतिनिधि बैठे, हमारे उत्तर प्रदेश के होम सेक्रेटरी बैठे और चीन के आदमी आये। जो कागज पत्र थे और नक्शे वगैरह थे उनको हमने पेश किया। उस पर उन्होंने कहा कि यह तो साम्राज्यवादी अंग्रेजों के बनाये हुए कागज हैं, इनको हम मानते ही नहीं। तो हमने कहा कि जो आपके पास नक्शा हो या कागज-पत्र हो वह आप पेश कर दीजिये। लेकिन उनके पास कोई कागज पत्र हो तब तो। कई दिन तक कांफ्रेंस चली। उन्होंने कोई दस्तावेज वगैरह पेश नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा दोबारा मिलेंगे और सबूत ले कर आयेंगे। तब से आज तक कोई सबूत लेकर नहीं आये और फिर सबूत देने में दिक्कत होती है और अपने घर में बैठकर नक्शे छाप लेने में आसानी होती है। तो नक्शे बनाकर उन्होंने छाप लिये। इस तरह की केवल एक बात नहीं है। अब जब से दलाई लामा भारत आये तब से इन सब छेड़छाड़ों में और गर्मी आ गयी। उनकी नाराजगी बढ़ी कि दलाई लामा को यहां पर आश्रय दे दिया गया। भारत ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो नहीं करना चाहिये था। यदि हमने दलाई लामा को आश्रय न दिया होता तो जरूर एक वह ऐसा काम होता जो न केवल भारत की परम्परा के विरुद्ध होता बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत के व्यवहार के विरुद्ध होता।

मैं मिसाल देता हूं नेपाल की। नेपाल एक बहुत छोटा-सा देश है, अपनी स्वतन्त्रता पर उसको गर्व है। १८५७ में हमारे देश में जो कुछ हुआ वह सब जानते हैं। कई लोग ऐसे थे

जो कि यहां से भागकर नेपाल गये। उस समय ईस्ट इंडिया कम्पनी की नेपाल की सरकार के साथ मैत्री थी। यहां से ईस्ट इंडिया कम्पनी ने उन लोगों को वापस मांगा लेकिन नेपाल की सरकार ने उन लोगों को देने से इनकार कर दिया। यह स्वयं हमारे देश की परम्परा के विरुद्ध होता, यदि हम उनको यहां पर आश्रय न देते। चीन को यह बात भी नहीं भूलनी चाहिये कि इंग्लैन्ड ने बहुत से जिन राजनैतिक लोगों को जो अपने देशों से भागे थे, आश्रय दिया था, उनमें चीन के महान् लीडर डाक्टर सुनयात सेन भी थे। उस वक्त जो चीन की सरकार थी वह उनसे नाराज थी और उससे डर कर ही वह इंग्लैन्ड गये और वहां पर उनकी रक्षा हुई। उसकी एक रोचक कथा का महत्वपूर्ण इतिहास है। उस वक्त एक दिन यह तय हुआ चीन की सरकार की तरफ से कि इनको किसी तरह से चोरी से कैद कर लिया जाय और चीनी जहाज पर पहुंचा दिया जाय। जो लोग जहाज पर रहे होंगे उनको यह हिदायत होगी कि इनको मार दिया जाय, पकड़ कर चीन पहुंचा दिया जाय। चीन की एम्बेसी में एक अंग्रेजी महिला नौकर थी। उसका विवाह होने वाला था, इंग्लैन्ड के गृह विभाग के एक चपरासी से। उस लड़की को किसी तरह से यह मालूम हो गया और उसने जाकर अपने भावी पति से कह, जिसने होम सेक्रेटरी को यह खबर दे दी। मालूम होने पर पीछे से एक अंग्रेजी जहाज गया और उसने जाकर उस चीनी जहाज को रोका, तब सुनयात सेन का उद्धार किया गया। चीन के वह लीडर जिनके ऊपर आज चीन को गर्व है और जिसने चीन को क्रान्तिकारी पाठ पढ़ाया उसको इंग्लैन्ड ने आश्रय दिया था, अगर उनको इंगलैंड आश्रय न देता तो न जाने आज चीन का क्या हुआ होता। फिर हमने भारत में दलाई लामा को प्रश्रय दिया तो क्या बुरा किया ?

यहां पर बाराहोती का जिक्र किया गया। वह बाराहोती हमारा है, इसमें रत्ती भर भी सन्देह नहीं है। लेकिन चीन की तरफ से बराबर कोशिश होती रहती है कि वहां पर किसी तरह से कब्जा किया जाय। एक तरह से घुड़दौड़ रहती है कि कौन वहां पर जल्दी जाय और जाकर कब्जा करे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--हमारे यहां कुमायूं में कमिश्नर ने सरहदी गांव के बारे में एक फैसला किया है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--एक तरह से घुड़दौड़ रहती है कि हमारी पुलिस वहां पहले पहुंचे या उनकी पहुंचे। एक साल हमारी तरफ इतनी बरफ थी कि हमारे आदमी पहले नहीं पहुंच सके। दो साल पहले की बात है। उन्होंने कब्जा कर लिया पर हमारे आदमियों ने फिर अपना कब्जा कर लिया। लेकिन बराबर उनकी कोशिश रहती है और वे कब्जा करने की कोशिश करते रहते हैं।

एक बात का जिक्र करना और जरूरी है। यहां कुछ चर्चा इस बात की हुई कि हमने चीन के साथ जरूरत से ज्यादा अच्छा बर्ताव किया, 'चीनी हिन्दी भाई भाई' वगैरह कहकर। वैसे तो हम 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की बात मानते हैं लेकिन उसमें भी एक बात सोचने की है कि जब चीन का साथी सिवाय रूस के और कोई दिखाई नहीं पड़ता था, अन्तर्राष्ट्रीय जगत में जब चीन अनाथ था उस वक्त हमने चीन का हाथ पकड़ा। चीन की तरफ से जब कोई दो शब्द बोलने वाला नहीं था उस वक्त हमने चीन की मदद की। एक पड़ोसी देश था। हम समझते थे कि ऐसा करना हमारे लिये शोभा की बात है, गौरव की बात है और अच्छी बात है। साथ ही इसके एक और बात थी, जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिये। उसके भीतर एक कैलकुलेशन भी था। कभी-कभी ऐसा होता है कि कैलकुलेशन गलत निकल जाता है, लेकिन आप सोचें कि बात क्या थी। सन् १९०५ में जो लोग थे उनको याद होगा कि रशा-जापानी वार के बाद सारे एशिया में कैसी लहर फैली थी। जापान का नाम पुजता था और सारे एशिया का सहज नेतृत्व उसको प्राप्त हो गया था। एशिया को जापान से बड़ी आशायें थीं, लेकिन धीरे-धीरे अपने कारनामों से जापान ने उन आशाओं पर पानी फेर दिया और लोगों की निगाह में वह गिर गया। जब उसने चीन पर हमला किया तो उसने बुरा किया; उसके बाद इस द्वितीय

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

महायुद्ध में जापान ने जिस तरह से अपने हाथ पैर फैलाये तो उसके बाद तो वह सभी की दृष्टि में गिर गया। जापान ने चीन को भी तबाह किया था। जब चीन ने अपने घर को सम्हाला तो ऐसा खयाल होना स्वाभाविक था कि चीन जापान की इस हरकत से काफी कष्ट भोग चुका है, चीन इस बात को समझ कर कि शान्ति में क्या गुण होता है, किसी प्रकार भी साम्राज्यशाही का समर्थन नहीं करेगा। यही आशा थी। इसी आशा से हमने चीन की मदद की, चीन का साथ दिया और यह बड़ी भारी बात थी। ४० करोड़ की आबादी का हिन्दुस्तान और ६० करोड़ की आबादी का चीन अगर शान्ति के लिये एक साथ खड़े हो जांय, साम्राज्यशाही का विरोध करें तो इसमें संदेह नहीं कि दुनियां में शान्ति फैल जाय, लेकिन हमारा खयाल गलत निकला। चीन ने कुछ सबक सीखा नहीं। जापान से जो दुर्गति हुई थी उससे चीन ने कुछ सीखा नहीं। शायद चीन के दिमाग में यह बात आयी हो कि जापान ४,५ करोड़ का देश है और हम ६० करोड़ की आबादी वाले देश हैं। हम लोगों ने उस समय जो चीन के साथ बर्ताव किया था, उसकी जो मदद की थी, वह ठीक की थी। यह दूसरी बात है कि चीन ने विश्वासघात किया और विश्वासघात करने का इनाम अच्छा नहीं मिला करता। शुरू में भले ही उसका कुछ फायदा दिखाई पड़े लेकिन उसका अंत बुरा ही हुआ करता है और इस बात को चीन को समझना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--क्या आप ४ बज कर ५५ मिनट तक समाप्त कर देंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कोशिश तो यही करूंगा।

श्री अध्यक्ष--क्योंकि मैं समझता हूं कि इस पर राय भी ली जायगी।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--मेरा प्रस्ताव है कि जब तक इस प्रस्ताव पर वोटिंग न हो जाय, यह सदन चलता रहे और आप आवश्यकतानुसार बोलते रहें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--धन्यवाद। कल के विवाद को मुझको सुन कर आश्चर्य हुआ जब कि कुछ लोगों ने यहां कहा कि चीन ने भारत को आक्रान्ता नहीं कहा, आक्रमणकारी नहीं कहा। हमारा तो यह कहना है कि इतना ही नहीं कि चीन ने बराबर आक्रमण किया, बल्कि एक नहीं अनेक बार भारत को आक्रान्ता कहा। मैं समझता हूं कि यहां के बहुत से माननीय सदस्यों ने इन पुस्तकों को, भारत सरकार के श्वेत पत्रों को, पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी दो एक चीजें माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं। केवल तीन चार उदाहरण देना चाहता हूं। अभी जो हाल में झगड़ा हुआ है उसके सम्बन्ध में चीन के प्राइम मिनिस्टर साहब का खत आया है हमारे प्राइम मिनिस्टर के नाम। यह ७ नवम्बर का खत है और उसका दूसरा वाक्य है--"इट इज मोस्ट अनफारचुनट दैट ऐनअदर अन एक्सपेक्टेड बार्डर डिस्प्यूट टुक प्लेस आन अक्टूबर २१, विदिन चाइनीज टेरीटरी" (It is most unfortunate that another unexpected border dispute took place on October 21, within Chinese territory.) अर्थात् हमारे कुछ आदमी चीनी टेरीटरी के भीतर गये और वहां लड़ाई हुई। यह छोटी-सी बात हुई। अब इस के अलावा भी आप देखें। केवल बाराहोती में ही नहीं, एक कोई और जगह है ऊजे। वे कहते हैं कि इस जगह भी हमने हमला किया है और ऊजे पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया है। इसके लिये हमने उनको लिखा कि हम यह जानते ही नहीं कि ऊजे क्या चीज है। हमें उसका ज्ञान तक नहीं और आप कहते हैं कि हमने वहां पर कब्जा कर लिया है।

श्री प्रतापसिंह--यह बाराहोती का ही दूसरा नाम होगा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--लेकिन वे ऐसा नहीं मानते। यह मान लें तो बात ही खत्म हो जाय। वे तो कहते ह कि ऊज इससे २० किलोमीटर आगे है। हमारे यहां यह कहा जाता

है कि हम इस जगह को जानते तक नहीं। तो यह ऊजे की बात रही जिस पर कि वे कहते हैं कि हमने आक्रमण किया है। फिर एक जगह यहां तक लिखा है—

"Regarding the Indian troops, who invaded the South Western part of China's Sinkiang and the area lake Pankong in the Tibet region of China, the Chinese frontier guards after disarming them according to the international practice adopted an attitude of reasoning asking them to leave Chinese territory and returning to them their arms.

Regarding the Indian troops successive invasion and occupation of the areas of Shipki pass, Parigas, Sang, Tsungsha, Puling-Sumdo, Chuva, Chuje Sangcha and Lapthal....."

तो, जैसा कि वे कहते हैं, एक बार थोड़े ही, बल्कि अनेक बार हमने उनकी सरहद को पार किया है, आक्रमण किया है। हम ही ऐग्रेसर हैं।

श्री राजनारायण—'इनवेजन' शब्द है। जब तक 'ऐग्रेसर' नहीं लिखा जायेगा, तब तक वे नहीं मानेंगे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अब 'ऐग्रेसर' और 'इनवेजन' में कौन शब्द बड़ा है, यह तो डिक्शनरी देखने से ही मालूम हो सकता है, मैं तो कुछ इस बारे में नहीं कह सकता हूं।

अब आप और हमारी ज्यादतियों को देखें। इतना ही नहीं कि हमने खाली खुश्की के रास्ते फौजें भेज कर कब्जा किया बल्कि हमने समुद्री जहाजों से भी उनके ऊपर आक्रमण किया है। एक उनका खत है, मिनिस्ट्री आफ फारेन अफेयर्स का ७ सितम्बर का उसमें वह कहते हैं कि हिन्दुस्तान का एक जहाज है, वह फलां फलां रास्ते से चीन में घुस गया और उसने हमला किया। १३ सितम्बर को हमने जवाब दिया कि यह बिलकुल ग़लत है, हमारे यहां का कोई जहाज कभी वहां गया ही नहीं। फिर इतना ही नहीं, उनके मुताबिक, हमने पानी के रास्ते से ही हमला नहीं किया बल्कि हवाई जहाज से भी हमला किया। वह लिखते हैं कि हमने १४ जुलाई को हमला किया, हमारे हवाई जहाज उनके यहां उड़े, फिर १५ जुलाई को किया, २२ जुलाई को किया, २२ अगस्त को किया, फिर कहा कि २६ अगस्त को भी किया। तो आप देखें कि इतनी मिसालें वे देते हैं कि हमने हमला किया है, हमारे हवाई जहाज उनकी तरफ उड़े हैं। यहां से जो जवाब दिया गया है उसमें लिखा गया है :—

"नाट इन ए सिंगिल केस डिड एनी इण्डियन प्लेन ट्रेसपास इंटु चाइनीज टेरिटरी"

(Not in a single case did any Indian plane tresspass into Chinese territory.)

हमारे यहां से कोई जहाज एक बार भी चीन की ओर नहीं गया। यह सब होते हुए भी आप देखें कि हमने खुश्की के रास्ते हमला किया, हमने पानी के रास्ते हमला किया, हमने हवा के रास्ते हमला किया। हम ऐग्रेसर हैं! अब हम से बढ़ कर पापी और कौन हो सकता है? तो इस तरह से आप देखें कि बार-बार झूठे आरोप हमारे ऊपर लगाये जायं, और फिर यह कहा जाय कि चीन ने हमको ऐग्रेसर नहीं कहा, आक्रान्ता नहीं कहा, इसका मैं क्या जवाब दूं? मेरी समझ में नहीं आता, सिवाय इसके कि जैसा कि राजनारायण जी ने कहा इसमें इनवेजन का लफ्ज है, ऐग्रेशन का नहीं।

इतना ही नहीं, और भी अनेक ग़लत बातें होती हैं जिनकी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। जब एक देश के राजदूत दूसरे देश में रहते हैं तो उनको इस बात का खयाल हमेशा रखना चाहिये कि जिस देश में वे रहते हैं उस देश के खिलाफ़ वहीं रह कर उनको प्रोपेगन्डा नहीं करना चाहिये, उस देश की सरकारी नीति के खिलाफ़ उनको नहीं जाना चाहिये। लेकिन चीन की तरफ़ से इस बात की कितनी ज्यादती होती है उसका भी एक उदाहरण मैं मजबूर होकर आपके सामने रखना चाहता हूं। यह ३० अक्तूबर का खत है जो भारत से चीन भेजा गया। इसमें लिखा है—

"As the Government of India have stated in their earlier note, according to international usage and diplomatic courtesy, a foreign mission is not

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

entitled to publish in its bulletins any statement or comment which is critical of the official policies and declarations of the Government to which the mission is accredited."

कुछ मिसालें मैंने दी हैं और कई बार ऐसा हुआ । तो इस तरह से चीन की हरकतें हुईं । इनमें से एक-एक चीज ली जाय तो वह छोटी-सी मालूम पड़ती है लेकिन उनका यह एक कंसरटेड ऐक्शन रहा है, लगातार कोशिश रही है और कभी इन बातों को इग्नोर नहीं किया जा सकता ।

अब सवाल यह है, जहां ऐसी सूरत हो तो किस तरह की बातें की जायं ? कई माननीय सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया कि उस क्षेत्र के विकास का खास तौर से प्रबन्ध करना चाहिये । हम इस बात को मानते हैं कि हमको उस क्षेत्र के विकास का प्रबन्ध करना चाहिये । वहां जो लोग रहते हैं, ग़रीब हैं, उनकी मदद करनी चाहिये, उन लोगों को रोजगार मिलना चाहिये । यह सही है कि खेती-बारी से ही उनका काम नहीं चलता बल्कि बागबानी की जरूरत है, उसका प्रबन्ध करना चाहिये । यह मैं दावा नहीं करता कि हमने या केन्द्रीय सरकार ने मिल कर के जितना हो सकता था और जितना हमें करना चाहिये था, वह किया है लेकिन इसके साथ ही मैं संक्षेप में, थोड़े में कहता हूं कि इस तरफ हम सतर्क हैं और इसका हमें खयाल है और जो कुछ हुआ है उसकी थोड़ी-सी समरी मैं देता हूं । आगामी ३० मार्च तक गत पिछले पांच छः वर्षों के अन्दर जो कुछ हुआ है, वह इस प्रकार है---हजार की रक़मों को मैं छोड़ देता हूं । सड़कों पर १ करोड़ ८ लाख रुपया ३० मार्च, १९६० तक खर्च हो जायगा । उनके जो मवेशी हैं भेड़ें वगैरह ताकि अच्छी नस्ल उनकी हो, उसके लिये साढ़े १४ लाख, रोजगार के लिये सवा ८ लाख, बागबानी के लिये करीब साढ़े ३ लाख, जड़ी-बूटियों के डेवलप्मेन्ट के लिये क़रीब २ १/२ लाख, शिक्षा पर करीब सवा ५ लाख, मेडिकल और पब्लिक हेल्थ के लिये ३ लाख । इनका जोड़ होता है १ करोड़ ४५ लाख । इसके अलावा और जो हुआ है उसका ब्योरा मैं नहीं दे रहा हूं । अभी हाल में ४८ लाख रुपये से कुछ ऊपर हमने कुछ सड़कों के लिये मंजूर किया ।

श्री राजनारायण---सड़कें उसमें कितनी बनीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कितने मील बनीं, इसके लिये मेरे पास समय नहीं है, ब्योरा देने के लिये ।

अब दूसरा सवाल सिक्योरिटी का है । सिक्योरिटी की बात ऐसी है कि हमारे कई मित्रों ने कहा कि वहां पर फौज का इंतजाम होना चाहिये । यह कोई झूठी प्रेस्टिज की बात नहीं होती । अगर वहां फौज की जरूरत होगी तो वह जायगी क्योंकि जाहिर बात है कि विदेशी आक्रमण से लड़ाई का काम तो फौज का ही होता है लेकिन एक बात नहीं भूलनी चाहिये कि हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस, खास तौर से हमारे पी० ए० सी०, की विशेषता कुछ है और चाहे जो हो लेकिन कुछ विशेष क्षेत्रों में हमारी पुलिस ने विशेषकर हमारे पी० ए० सी० ने देश भर में अपने लिये स्थान प्राप्त कर लिया, है; नेफा एरिया में और काश्मीर में भी, ऐसी जगहों पर जहां आमतौर से फौजों की तैनाती होती है वहां पर भी हमारी पुलिस की तैनाती होती है और इन क्षेत्रों में वही पुलिस हमारी काम कर रही है । मैं यह दावा तो नहीं करता कि हमारी जानकारी ज्यादा हो सकती है, मैं यह दावा कर भी नहीं सकता कि उन मित्रों के बराबर हमारी जानकारी है जो कि वहां रहते हैं जो वहां पैदल जा कर देखते हैं । मैं तो यहां बैठ कर सिर्फ नक्शों से या काग़ज़ात से ही जान सकता हूं ।

श्री प्रतापसिंह---आप हवाई जहाज से भी गये थे ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं उस पर आ रहा हूं । यह जरूर है कि अभी हाल में हवाई जहाज से मैं उस क्षेत्र में गया था और मेरे साथ फौज के कुछ अफसर लोग भी थे । उनमें से खाली एक साहब का जिक्र मैं करता हूं, जनरल थोरट जो कि इस सारे उत्तरी क्षेत्र के डिफेन्स के

चार्ज में हैं। हम लोगों ने सारे बार्डर एरिया को देखा। जाहिर-सी बात है कि नीचे दौरा करके ज्यादा अच्छी तरह से जाना जा सकता है, उसमें ज्ञान ज्यादा होता है। लेकिन हवाई जहाज से भी 'बर्ड्स आई व्यू' पूरी तसवीर सामने आती है। हमने उन क्षेत्रों को देखा जहां पर साढ़े १९ हजार फीट की ऊंचाई पर हमारी पुलिस को काम करना होता है। मामूली ऊंचाई नहीं है। पुलिस में पहाड़ के लोग भी हैं लेकिन हमारी पुलिस में बहुत से मैदानी आदमी भी हैं, वे जहां रहते हैं वहां सर्दी तो छोड़ दीजिये, बर्फ पड़ती है। लेकिन फिर भी हमारे आदमी वहां काम करते हैं। वे हिम्मत के साथ काम करते हैं। फौज के अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि वे बहुत योग्यता के साथ काम करते हैं। अभी माननीय श्रीपाल सिंह जी ने राय दी थी कि पुलिस को बढ़ाना चाहिये। मैं ज्यादा ब्योरा तो नहीं दे सकता लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं कि हम खुद ही इस काम को कर रहे हैं और पुलिस बढ़ाई जा रही है। कितनी बढ़ाई जा रही है यह नहीं कह सकता लेकिन वह बढ़ाई जा रही है। हमारी पुलिस अब पहले की अपेक्षा ज्यादा सुसज्जित है, किसी से मुकाबला करने के लिये। साथ ही इस समय हमारा और फौज का पूरा लियेजां है कि किस तरह से रक्षा की जाय, कहां पर आदमी रखे जायं और किस तरह से रखे जायं, यह काम हमारी और फौज की राय से होता है। मैं इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि अगर फौज को और जरूरत पड़ी तो उस काम में कोई कमी नहीं पायी जायगी, मैं ऐसी आशा करता हूं।

एक तीसरी चीज ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। अभी तक तो यह सही है कि उस क्षेत्र में कोई अलग से ऐडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं है, इतना जरूर है कि वहां पर जो डेवलपमेंट का काम होता है उसके चार्ज में एक सज्जन रखे गये हैं। इस प्रश्न पर हम गौर कर रहे हैं और अगर जरूरत हुई तो हम गवर्नमेंट आफ़ इण्डिया की राय से यह भी तय कर सकते हैं कि किसी तरह से कोई अलग ऐडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया जाय और जो कुछ भी उचित समझा जाय, वह किया जाय।

अभी तिब्बत से कुछ रेफ्यूजी आ गये हैं। इस वक्त हमारे प्रदेश में, दलाई लामा के साथ जो आये हैं उनको छोड़कर, कुल १८३ रेफ्यूजी हैं, जिनमें से १३९ अल्मोड़े में हैं और ४४ पौडी-गढ़वाल में हैं। कुछ लोग टेहरी-गढ़वाल में गये थे लेकिन वह अब तीर्थ-यात्रा के लिये चले गये हैं। इनकी तरफ भी हमारा ध्यान है और यह प्रबन्ध हो चुका है कि सबको एक ही जगह रखा जाय क्योंकि अलग-अलग रखकर उनकी सेवा करने में भी हमको दिक्कत होगी (हंसी)। तो इसका भी इन्तजाम किया जा चुका है।

इस मौके पर जबकि यह आवश्यक था कि सारे देश की शक्ति, सारे देश का ध्यान, एक तरफ लगता, हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका रुख इस मामले में अच्छा नहीं है। हम यह तो दावा नहीं करते कि उनमें से हम सबको पहचानते हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे, ऐसे वेश में होंगे जिनको पहचानना मुश्किल होगा। नानारूप धारी लोगों में सभी को पहचानना मुश्किल होता है, हो सकता है कुछ सरकारी आदमियों में हों, कांग्रेस पार्टी में हों, किसी और पोलीटिकल पार्टी में हों। बहरहाल, हम यह कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को पहचानें और उनकी कार्यवाहियों पर निगाह रखें। लकिन साथ ही इसके कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। यह दुर्भाग्य की बात है कि इस वक्त ऐसे लोगों का सम्बन्ध हमारे देश की एक खास पोलीटिकल पार्टी से है, कम्युनिस्ट पार्टी से। मैं यह भी जानता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी में ऐसे लोग हैं, जिनकी देशभक्ति पर किसी प्रकार का शुबहा नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारी स्वाधीनता की लड़ाई में पूरा-पूरा साथ दिया है। आज किस वजह से उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी में जाना मुनासिब समझा, यह तो वे जानें लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करके उन्होंने अपने को ग़लत जगह में डाल लिया, जिससे उनकी देशभक्ति और देशप्रेम पर ख्वाम-ख्वाह कलंक लग जाता है। एक पुराना दोहा है कि 'महिमा घटी समुद्र की रावन बसो परोस'। कुछ ऐसी बात हो जाती है।

कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी तरफ आंख बन्द नहीं की जा सकती हैं। पोलीटिकल बातों को मैं छोड़ देता हूं। यहां जिक्र हुआ कि अमुक संस्थायें हैं जो सांस्कृतिक कार्य के नाम से

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

कहीं-कहीं जाती हैं। हम ऐसी संस्थाओं को जानते हैं। कभी-कभी हम उनकी मदद भी करते हैं और आगे भी करेंगे वरना बहुत से उनके रहस्य हम पर खुलेंगे ही नहीं। बहरहाल, सांस्कृतिक नाम से लोग मेले तमाशे में जाना चाहते हैं और जाते हैं, लोगों से मिलते हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं सदन की साधारण बैठक का समय १५ मिनट बढ़ाता हूं। आप भाषण जारी रखें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इन लोगों की बातों का हमको पता है। लेकिन उनकी गुप्त कार्यवाहियों को छोड़कर खुली कार्यवाहियां भी कुछ कम तकलीफ देने वाली नहीं हैं। कभी-कभी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक बड़ी मुसीबत पैदा हो जाती है। उनके सिद्धांतों के बारे में मैं एक शब्द नहीं कहना चाहता। कुछ ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर उठना उनके लिये कठिन हो जाता है। अगर केवल कम्युनिज्म की बात होती तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। उस पार्टी को अपने को कुछ बाहर के देशों के साथ बांधना पड़ता है। उन्हीं की वजह से उनको दिक्कत होती है।

कई लोगों ने १९४२ में जो कुछ हुआ उसका जिक्र किया। माननीय झारखंडे राय ने कहा और ठीक ही कहा कि ऐसी कोई पार्टी या मनुष्य नहीं है जिससे गलती नहीं होती। लेकिन गलती भी किस मौके पर होती है और उसका परिणाम क्या होता है? कोई गलती अक्षम्य होती है। सोचने की बात है कि जब सारा देश एक बहुत बड़ी लड़ाई में, स्वाधीनता की लड़ाई में लगा हो, जब देश ने नारा उठाया हो कि जीना है या मरना है, जबकि देश के बड़े-बड़े राजनीतिक नेता इस काम में लगे हों, उस समय देश की कोई पार्टी विदेशी शत्रुओं के साथ रहे और यह कहे कि जो लोग इस वक्त इस तरह की लड़ाई कर रहे हैं, स्वाधीनता की लड़ाई उठा रहे हैं, वे गद्दार हैं और फिर कहा जाय कि गलती हो गई, वी आर सारी (we are sorry) ! कैसे यह सब माफ किया जा सकता है? अपने जिले बनारस की मैं बात कहता हूं। मां के सामने बच्चे को आग पर उठा कर के कहा गया है कि भेद बतलाओ; और जगह भी ऐसी बातें हुई होंगी। उस समय कुछ लोग दुश्मनों का साथ दें, तो कैसे इसे भुलाया जा सकता है? वह एक परम्परा कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रहती है।

दूसरी मिसाल देता हूं। हमारे सामने कहा गया कि कम्युनिस्टों ने रूस में शत्रुओं का मुकाबला किया। हम इस बात की इज्जत करते हैं। अभी २, ३ वर्ष की बात है। हंगरी के देशभक्त लोगों ने अपने देश को छुटकारा दिलाने के लिये कुछ आन्दोलन किया था। उसे विद्रोह कहा गया, बेदर्दी से दमन हुआ। भारतीय सरकार ने उसके बाबत स्टेटमेंट निकाला बावजूद इसके कि रूस के साथ हमारा दोस्ताना है। लेकिन भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के सामने एक बड़ी मुश्किल आ गई। उनको वह चीज पसन्द नहीं होगी लेकिन उनकी जबान बन्द थी। वह भी देश भक्त थे। अपने देश को छुटकारा दिलाने के लिये उन्होंने कई हजार आदमियों को बलि चढ़ा दिया लेकिन यहां की कम्युनिस्ट पार्टी के मुंह से एक भी आवाज न निकली।

जो स्वाधीनता हमको मिली उसको दिलाने में जिन लोगों का हाथ नहीं रहा, यही नहीं स्वाधीनता दिलवाने वालों को जिन्होंने गद्दार कहा, उस स्वाधीनता की रक्षा के लिये क्या वे तत्पर हो सकेंगे, यह हमारे सोचने की बात है। बहुत से लोग जो इधर बैठे हुए हैं या उधर बैठे हुए हैं, जिन्होंने स्वाधीनता के लिये तकलीफों को सहा है, स्वाधीनता के लिये जिन्होंने अपने प्राणों तक का मोह नहीं किया, वे जानते हैं कि स्वाधीनता उनको कितने मंहगे दामों में मिली है। वहां हम सब लोग कैसे मान लें कि जिन्होंने उसके लिये एक पाई भी दाम नहीं चुकाया, बल्कि उसको लेना भी बुरा समझा, वे उसकी रक्षा करने के महत्व को समझ सकेंगे?

मजदूरों और किसानों की भलाई की बात कही जाती है। हो सकता है कि आप उनकी भलाई करते हों। लेकिन कल माननीय रामायणराय जी ने कहा कि किस प्रकार कम्युनिस्ट

विद्यार्थियों की भलाई करते हैं; किस तरीके से नेतृत्व किया जाता है। अगर हमारे मन में शुभा पैदा होता है कि मजदूरों और किसानों का नेतृत्व भी उसी लिये तो नहीं किया जाता है जिस लिये विद्यार्थियों का किया जाता है, देश में अशान्ति बनाये रखने के लिये, तो बताइये वह शुबहा कैसे दूर होगा और उसके दूर करने के लिये आपके पास क्या साधन है ?

यह कैसे विश्वास किया जाय कि हमारे भाई देश की रक्षा के लिये तैयार होंगे ? पहले तो आप उस कम्बख्त मैकमैहोन रेखा को ही नहीं मानते थे, क्योंकि उसको चीन सरकार नहीं मानती थी। वह कहती थी कि वह तो साम्राज्यवादियों की मानी हुई है। इसलिये कम्युनिस्ट पार्टी भी बहुत दिनों तक उसको मानने के लिये तैयार नहीं थी। बड़ी मुश्किल से जब दबाव पड़ा तो उन्होंने भी कह दिया कि मैकमैहोन रेखा को हमने मान लिया लेकिन आज तक उन्होंने इस बात को नहीं कहा है कि चीन ऐग्रेसर है। इसके सम्बन्ध में कदाचित शंकर्स वीकली में एक कारटून निकला था। एक दीवार बनी हुई है उसको मैकमैहोन रेखा बताया गया है। दो कम्युनिस्ट योद्धा बंदूक लिये पहरा दे रहे हैं। एक का मुंह इधर है और दूसरे का उधर, जैसा कि हुआ करता है। बीच में दीवार टूटी हुई है और उसमें से चीनी घुस कर चले आते हैं। उनको ऐग्रेसर नहीं कहा जा रहा है बल्कि जो कम्युनिस्ट नेता हैं उनसे पूंछ रहे हैं कि चाऊ अच्छे हैं, माओ अच्छे हैं, और उनके साथ चाय पी रहे हैं। यही बात है कि मैकमैहोन रेखा बनी रही और चीन को ऐग्रेसर भी नहीं कहा गया। बात कहने सुनने में कड़वी मालूम होती है लेकिन बात सच है।

हमें सलाह दी जाती है कि मामले को सुलह और समझौते से तय कर लो। हम भी लड़ाई नहीं चाहते और यही चाहते हैं। लेकिन क्या जो कम्युनिस्ट लोग यह कह रहे हैं उनको ऐसा कहने का कुछ हक है ? दो लड़के आपस में लड़ते हैं। बड़े उम्र का आदमी जो तटस्थ है वह उनको सलाह दे सकता है कि तुम क्यों लड़ते हो। दक्षिणी अमेरिका में होंडुराज, चिली, सैनसाल्वाडोर आदि कई छोटे-छोटे राज हैं वहां रोज बलवा और क्रांति होती रहती है। उनको अगर हम सलाह दें तो ठीक हो सकता है। लेकिन जब खुद ही वहीं के रहने वाले हों और हम पर कोई आक्रमण कर दे और हम खुद ही सुलह की बातें करें और यह भी न कहें कि दूसरे देश ने आक्रमण भी किया है, बहुत बुरा और नालायक काम किया है, इसके बारे में क्या कहा जाय ? एक ओर आप आक्रांता को आक्रांता भी न कहें और दूसरी ओर जिस पर जुल्म किया गया है उससे कहें कि सुलह से काम लो। फिर बताइये आप पर किस प्रकार से भरोसा और विश्वास किया जाय ? इसके माने तो यह हुए कि अगर देश पर आक्रमण होगा तो आप उसकी रक्षा तो जरूर करेंगे लेकिन शर्त यह है कि यह देखा जायगा कि आक्रमण कहां से होता है। अगर आक्रमणकारी कम्युनिस्ट देश है तो आप उसका विरोध नहीं करेंगे क्योंकि आपकी परिभाषा के अनुसार कोई कम्युनिस्ट कभी आक्रमणकारी हो ही नहीं सकता। जहां तक हमारी बात है—जब मैं 'हमारी बात' कहता हूं तो इस तरह के लोगों को छोड़कर कहता हूं—जहां तक हम लोगों की बात है कोई भी हममें से हो, हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है। हम फिर इस बात को दोहराते हैं कि हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। हमें किसी देश के लिये, किसी की जमीन के लिये, किसी के स्वत्व के लिये, लालच नहीं है और न उसके लिये हमारी नीयत खराब है। यह जरूर है कि हम अपने घर में आराम से रहना चाहते हैं। लेकिन हां, जब ऐसी जरूरत पड़ेगी, शांति की इच्छा रहते हुए भी अगर कोई हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो हमारे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चाहे हमारे घर में विभीषण दल के लोग हों, चाहे पंचमांग हों, कोई भी हों, हम युद्ध करेंगे और जरूर युद्ध करेंगे। हम युद्ध करेंगे अपने देश की स्वाधीनता के लिये, हम युद्ध करेंगे अपने प्रदेश और अपने देश की मर्यादा के लिये, अपने देश के गौरव के लिये और अपने देश की शान के लिये। हम इसलिये युद्ध करेंगे कि हमारी ४० करोड़ जनता जिसकी एक विशेष संस्कृति है, जिसको महात्मा गांधी के नेतृत्व का सौभाग्य मिला था, हम दुनिया को दिखला देना चाहते हैं कि आजकल आक्रमण करना लाभदायक सौदा नहीं है। हम दुनिया में शांति कायम करना चाहते हैं। इसलिये हम युद्ध करना चाहते हैं।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

बार-बार इस बात का जिक्र करना बिल्कुल बेकार है कि आइजनहावर का हमने स्वागत किया, इसलिये वे हमारी मदद करेंगे। जब च्यांगकाई शेक यहां आये तो उनका भी हमने स्वागत किया, चाऊ-एन-लाई आये तो उनका भी स्वागत किया, मार्शल टीटो आये तो उनका भी स्वागत किया, ख्रुश्चेव और बुल्गेनिन आये तो उनका भी स्वागत किया। उसी तरह से आइजनहावर के आने पर भी हमने उनका स्वागत किया जो सौजन्यता की ही बात है। इसलिये हम न उनकी मदद की आशा रखते हैं और न किसी दूसरे की मदद की आशा रखते हैं कि वहां से हमको एटम बम मिलेगा। हमको किसी से इस तरह की मदद नहीं चाहिये। माननीय श्रीपालसिंह ने भाषण देते हुए एक श्लोक पढ़ा था जिसमें क्षत्रिय का गुण बतलाया गया है। जब मौका आये तो प्रत्येक भारतीय को सच्चे अर्थ में क्षत्रिय बनना होगा। मैं एक वाक्य कालिदास के रघुवंश से अवतरित करना चाहता हूं कि क्षत्रिय का लक्षण क्या है:—"क्षतात् किल त्रायत इत्युदग्रं क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः" अर्थात् यदि कोई किसी तरह की क्षति पहुंचाता है, यदि देश की शान को कोई भी क्षति पहुंचाता है, तो उससे त्राण दिलाना होगा और यही क्षत्रिय का गुण है। जो शख्स भी ऐसी गलती करने की हिम्मत करेगा उसको हमें दंड देना होगा और इसके लिये हमको आइजनहावर की मदद नहीं चाहिये। आज से कुछ दिन पहले जब कि हमने स्वाधीनता लड़ाई लड़ी तो उसमें हमारी मदद करने के लिये कौन आया था? उस समय हमारे पास कहां की फौज थी? उस जमाने में अंग्रेज सरकार के पास एटम बम भले ही न रहा हो लेकिन उसके पास हवाई जहाज थे, उसके पास फौजें थीं, उसके पास खजाना था, लेकिन फिर भी हम युद्ध में उतरे। उस समय हमें भगवान का भरोसा था, तथा त्याग और तपस्या ही हमारे हथियार थे। वह हथियार त्याग और तपस्या का आज भी हमारे पास है। मुझे विश्वास है और पूर्ण विश्वास है कि लड़ाई में अधर्म की जीत नहीं होती है, धर्म की ही जीत होती है। भगवान् का आज भी हमें भरोसा है और हमें कोई भी संदेह नहीं है कि हम जीतेंगे। इन शब्दों के साथ, मैं इस प्रस्ताव का जो हमारे सामने रखा गया है, समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव तो पेश है ही, उसे पढ़ने की कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं क्योंकि सब लोगों ने सुन ही लिया है। इसलिये मैं पहले संशोधन लेते वक्त प्रस्ताव को नहीं पढ़ता हूं। पहले संशोधन पर राय ले लेता हूं, फिर प्रस्ताव को पढ़ कर उस पर राय लूंगा श्री नारायणदास पासी ने अपने संशोधन को वापस ले लिया है और क्या मुक्तिनाथराय जी भी अपने संशोधन को वापस ले रहे हैं?

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—मैं अपने संशोधन को वापस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—अब मैं श्री चन्द्रजीत यादव के संशोधन को ही सदन के सामने रखता हूं जो इस प्रकार है—

१—प्रस्ताव में जहां कहीं भी "चीनी कम्युनिस्ट सरकार" आया है उसके स्थान पर "चीनी लोक गणराज्य" रख दिया जाय।

२—प्रस्ताव की पंक्ति चार में "आक्रान्ता तथा" शब्द निकाल दिये जायं।

३—प्रस्ताव की पंक्ति पांच में "ठहराने" तथा "करता है" के बीच के शब्द निकाल कर उसके स्थान पर "को अनुचित समझता है" रख दिया जाय।

४—प्रस्ताव की पंक्ति पांच के अन्त में "तथा" शब्द और उसके आगे प्रस्ताव का शेष अंश हटा कर उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"यह सदन भारत सरकार की शान्तिमय समझौते द्वारा सीमा सम्बन्धी विवादों को हल करने की नीति का पूर्णतया समर्थन करते हुए यह विश्वास दिलाता है कि अपने प्रदेश एवं राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा हेतु जो भी कदम उठाये जायेंगे उसमें हमारा पूर्ण सहयोग एवं समर्थन होगा।"

जब तक इस प्रस्ताव पर पूरी राय नहीं ले ली जायगी तब तक साधारण समय जो ५ बजे से और १५ मिनट बढ़ाया गया था उसके अलावा इस प्रस्ताव पर राय ले लेने तक समय बढ़ाता हूं और उसके बाद १ घंटे का जो विवाद नियम ५३ के अनुसार होना है उसके लिये मैं समय दूंगा।

प्रश्न यह है कि श्री चन्द्रजीत यादव का संशोधन स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री राजनारायण--श्रीमन्, यह बड़ा अहम प्रस्ताव है इसको लाबी में भेजकर दस्तखत करा लिये जायं।

श्री अध्यक्ष--जब विभाजन ही किसी ने नहीं मांगा है तो यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री झारखंडे राय--अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। इस प्रस्ताव पर वोट लेने से पहले हमें यह विश्वास था कि हमारा संशोधन पास हो जायगा क्योंकि इस प्रस्ताव की कमियों को वह पूरा करता था। लेकिन खेद है कि ऐसा नहीं हुआ। प्रस्ताव को भाषणों की रोशनी में ....

श्री राजनारायण--वह क्या कह रहे हैं? श्रीमन्, इस समय...

श्री अध्यक्ष--वह शायद सदन छोड़ना चाहते हैं।

श्री झारखंडे राय--प्रस्ताव पर जो भाषण हुए उनके प्रकाश में प्रस्ताव को...

श्री अध्यक्ष--आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इजाजत भाषण देने की नहीं देता इस समय।

श्री झारखंडे राय--मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो बातें भाषणों में कही गई हैं उसकी रोशनी में यह प्रस्ताव अपने ट्रू कलर में आ गया है, इसलिये हम इस प्रस्ताव के मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यह सदन चीनी कम्युनिस्ट सरकार द्वारा भारत की उत्तरी सीमाओं के अन्तर्गत बहुत बड़े भूभागों, विशेष कर उत्तर प्रदेश के बाराहोती, निलंग आदि स्थानों को जो कि ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा परम्पराओं से भारत एवं तदनुसार उत्तर प्रदेश के अभिन्न अंग हैं एवं रहे हैं, चीन की राष्ट्रीय सीमाओं के अन्तर्गत मानने तथा भारत को उन स्थानों एवं भूभागों में आक्रान्ता तथा अनधिकृत-अधिकारी ठहराने आदि भारत-विरोधी कार्यों की तीव्र भर्त्सना करता है, तथा संस्तुति करता है कि इस साम्राज्यवादी मनोवृत्ति से ओत-प्रोत कम्युनिस्ट चीनी कुचेष्टा का सामना करने के लिये सभी आवश्यक उपाय किये जायं तथा सभी राष्ट्रीय तत्वों का सहयोग प्राप्त कर देश एवं उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमाओं की सबल रक्षा तथा सर्वांगीण विकास हेतु शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाये जायं ताकि देश के भीतर तथा बाहर के राष्ट्र-विरोधी तत्वों को नष्ट किया जाना भी सम्भव हो सके।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश सरकार को देय धनराशियों की वसूली (अर्जित आस्थान तथा अवसित पट्टा) विधेयक, १९५९

श्री अध्यक्ष—मैं सचिव जी से कहूंगा कि विधान परिषद् से आये हुये एक विधेयक की सूचना सदन को दे दें।

सचिव, विधान सभा—मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से प्राप्त उत्तर प्रदेश सरकार को देय धनराशियों की वसूली (अर्जित आस्थान तथा अवसित पट्टा) विधेयक, १९५९, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६२९-६३७ पर)

कानपुर गोलीकाण्ड जांच कमीशन के विषय में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष—इस पर एक घंटा विवाद होगा, यानी ६ बज कर १७ मिनट तक।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, एक सूचना चाहता हूं कि कृषि विश्वविद्यालय के बारे में ४ जनवरी को वोटिंग होनी थी, तो वह किस प्रकार होगी?

श्री अध्यक्ष—वह तो मैंने उसी रोज कह दिया था कि पोस्टल बैलट से वोटिंग होगी।

इस विवाद में जो चर्चा प्रारम्भ करेंगे वह १० मिनट लेंगे और इतना ही समय मंत्री जी को उत्तर के लिये दिया जायगा। इसके बाद जो लोग बोलना चाहेंगे और स्पष्टीकरण चाहेंगे उनको पांच-पांच मिनट का समय मिलेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—मैं आपकी आज्ञा से इस विषय पर चर्चा प्रारम्भ करते हुए कानपुर की घटना के बारे में कुछ संक्षिप्त विवरण बता देना चाहता हूं। २ नवम्बर को एक नवयुवती शन्तिया किसी धर्मशाले में किसी पुरुष के साथ टिकी हुई थी। उसे पुलिस जांच के लिये बादशाही नाके की चौकी पर ले गई और कहा जाता है कि वहां एक हेड कांस्टेबिल ने उसके साथ अनाचार किया। उसी घटना को लेकर ३, ४ नवम्बर को कानपुर में गोलीकाण्ड हुआ और फिर १४ दिन बाद सरकार की तरफ से एक जांच कमीशन की नियुक्ति के बारे में घोषणा हुई जिसके फलस्वरूप यह आशा की जाती है कि उस घटना की जांच होगी। मेरा चर्चा करने का आशय यह है कि यह जांच कमीशन जो मुकर्रर है वह यद्यपि कमीशन आफ इन्क्वायरी ऐक्ट के मुताबिक मुकर्रर है किन्तु उसमें जो अधिकार दिये हुए हैं उन अधिकारों के मुताबिक वह अपना प्रोसीजर एडाप्ट करेगा। उसी कमीशन आफ इन्क्वायरी ऐक्ट की दफा ८ में कहा गया है:

"The Commission shall, subject to any rules that may be made in this behalf, have power to regulate its own procedure."

उसके आगे यह भी है कि:—

"....Whether to sit in public or in private...."

तो मेरा निवेदन यह है कि यह जो इन्क्वायरी कमीशन बैठा है वह अपना प्रोसीजर एडाप्ट करेगा और उसके बारे में गवर्नमेंट को अधिकार है कि वह चाहे तो प्रोसीजर के बारे में कुछ रूल्स निश्चित कर सकेगी। यह पता नहीं है कि कमीशन क्या प्रोसीजर एडाप्ट करेगा और विशेष तौर पर प्रोसीजर के सम्बन्ध में ही लोगों को बड़ी चिन्ता रहती है। इसलिये जिस प्रकार का यह

कमीशन बैठा है उसी प्रकार के जो अन्य कमीशन बैठे हैं और जिन्होंने भिन्न-भिन्न प्रोसीजर एडाप्ट किये हैं उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। इस सिलसिले में यह कहा गया था कि :

"A public enquiry constitutes a very important safeguard for ensuring that the decision will be fair and impartial. The public is entitled to know on what evidence the decision is based. Members of the public will also be in a position to come forward at any stage to throw more light on the facts disclosed by the evidence."

ठीक इसी प्रकार का एक दूसरा कमीशन बैठा था जो विवियन बोस के सभापतित्व में था। उन्होंने भी कहा था :

"In the examination of witnesses we follow our own procedure and we are more informal about the order in which a witness could be examined and cross examined than would have been per- missible in a court of law."

तो इससे स्पष्ट है कि जांच कमीशन अपना प्रोसीजर एडाप्ट करने में स्वतंत्र रहेगा। ऐसी स्थिति में हमें विश्वास मांगने की काफ़ी गुंजायश है कि क्या यह कमीशन जिसमें बोर्ड आफ रेवेन्यू के एक सदस्य सभापति होंगे, उनके द्वारा पूरा-पूरा न्याय हमें मिल पायेगा ? जनता की तरफ़ से यह मांग है कि कमीशन हाई कोर्ट के जज, या रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होना चाहिये क्योंकि उनके द्वारा जो निर्णय होते हैं वे स्वतंत्र होते हैं और उन निर्णयों से सरकार पर असर भी पड़ता है। इस समय जो कमीशन है उससे जनता में पूरा संतोष न होगा। बल्कि इसके साथ ऐवीडेंस ऐक्ट जो है जिसके मुताबिक क्रास और रीक्रास करने का अधिकार होता है वह भी शायद अपने प्रोसीजर में यह कमीशन न कर पायेगा।

अब मुझे कानपुर की भयभीत जनता के सम्बन्ध में कुछ कहना है। कानपुर में जो ३, ४ नवम्बर को गोलीकांड हुए उसमें १९ आदमी मरे, कई सौ घायल हुए और उसके परिणाम-स्वरूप कई सौ आदमी गिरफ्तार भी हुए। गोली चलाने का विषय हमेशा विवादास्पद रहा है। अभी हाल में पंडित जवाहर लाल जी ने अपनी राय जाहिर की है कि जनता पर गोली चलाना कभी भी औचित्यपूर्ण नहीं हो सकता है। राज्यपालों की जो कांफ्रेंस हुई....

श्री अध्यक्ष—आप दूसरी तरफ चले गये।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं रेफ़रेंस देना चाहता था। जो भी घटना कानपुर में हुई, उस पर जो जांच कमीशन बैठा, उसने जो साक्षियों के सम्बन्ध में रुख अख्तियार किया है, वह भी चिन्ताजनक है। उन्होंने एक विज्ञप्ति निकाली है कि जिसको साक्ष्य देना हो वह पहले अपनी समरी भेज दे और साथ ही नाम और पता भी। जो लोग घटनास्थल पर शान्ति स्थापित करने का कार्य कर रहे थे उनको भय है कि अगर पहले से हम अपने साक्ष्य की समरी भेजेंगे तो पुलिस वाले हमको परेशान करेंगे। जिस समय दंगा जोर पकड़े था सरकार किंकर्त्तव्य विमूढ़ हो चुकी थी और सभी पार्टी के लोगों को बुलाकर एक पीस कमेटी बनायी गई जिसके कार्यकर्त्ताओं ने मौके पर शान्ति स्थापित करने की कोशिश की। उनमें से कुछ लोग आज जेल में बन्द हैं और उनके ऊपर मुकदमे कायम हैं। तो जब तक उनका केस सबजुडिस है वह इस सम्बन्ध में अपना साक्ष्य न दे पायेंगे। ऐसी हालत में जरूरत इस बात की है कि जो इसकी जानकारी रखते हैं उनको स्वतंत्रता दी जाय साक्ष्य देने की और उनसे पहले से साक्ष्य समरी रूप में न मांगा जाय। इस कमीशन के टर्म्स आफ़ रेफ़रेंस में यह भी रखा गया है कि वह यह देखे कि पुलिस ने कहां तक शक्ति अख्तियार की, इसकी भी जांच की जाय। लेकिन इसके साथ-साथ जनता को विश्वास हो कि कानपुर में पुलिस की घटनायें जो पिछले २, ४ मौकों पर हो चुकी हैं इतना हम विश्वास प्राप्त कर सकें, उनके कार्यों में इतनी तरमीम व संशोधन कर सकें ताकि आगे ऐसे कार्य कानपुर में न हो सकें। कानपुर में विद्यार्थियों के झंझट पर पहले भी एक गोली काण्ड हो चुका है लेकिन उसकी रिपोर्ट हमारे सामने नहीं है और उसकी रिपोर्ट प्रकाश में आयेगी भी नहीं। यह जो जांच कमीशन है उसे जनता का विश्वास प्राप्त करना है तो हाई कोर्ट

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

का जज होना नितान्त आवश्यक है और उसकी कार्यवाहियां इस प्रकार की हों कि जनता का विश्वास प्राप्त हो सके ।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, माननीय अवस्थी जी ने दो-तीन बातों का जिक्र किया । अब किसी के मन में शक और शुबहा है, डर है, इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है । जो चीज गवर्नमेंट के करने की है वह हम कर सकते हैं । शंका और शक दूर करने का काम तो हमारी अपेक्षा या सरकार की अपेक्षा माननीय अवस्थी जी जैसे ही लोग ज्यादा कर सकते हैं ।

(इस समय ५ बज कर २७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती, पीठासीन हुईं)

जहां तक इस कमीशन की नियुक्ति की बात है, इसके सुपुर्द काम क्या हैं ? उनके सुपुर्द काम यह है "इन घटनाओं के विषय में सम्पूर्ण तथ्यों तथा उनके कारणों का पता लगाना, तथा दुखद घटनाओं का उत्तरदायित्व निर्धारित करने की दृष्टि से समस्त घटनाक्रम की, तथा स्थिति का सामना करने के तथा प्रयुक्त बल की मात्रा के सम्बन्ध में पुलिस तथा मैजिस्ट्रेट के आचरण की जांच करना और उन पर तथा उनके सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट देना" । जितनी बातों की जांच करना चाहिये सभी इसमें हैं ।

जहां तक व्यक्ति की बात है, वह छोड़ दी जाय । फिर भी माननीय अवस्थी जी ने यह कहा कि बोर्ड आफ रेवेन्यू का आदमी मुकर्रर किया गया, तो जो ऐक्ट है उसको उन्होंने देखा है । उसमें गवर्नमेंट के लिये कोई मजबूरी नहीं है कि कौन-सा आदमी रखा जाय । कानून बनाने वालों की अगर यह मंशा होती कि हमेशा जुडिशियल आदमी रखा जाय तो कानून में वे रख सकते थे, लिहाजा बोर्ड आफ़ रेवेन्यू के आदमी को रखा जा सकता है । कुछ मानी में बोर्ड आफ़ रेवेन्यू हाईकोर्ट के बराबर है । जैसे सिविल और क्रिमिनल मामलों में हाई कोर्ट के फैसले की कोई अपील नहीं हो सकती है उसी प्रकार बोर्ड आफ रेवेन्यू के फैसले पर कोई अपील नहीं होती, फाइनल होता है । हाई कोर्ट का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट तक जा भी सकता है लेकिन बोर्ड आफ रेवेन्यू का फैसला फाइनल होता है । उसके सीनियर मेम्बर को इसमें रखा है तो यह नहीं कहा जा सकता कि किसी अनाड़ी या ऐसे वैसे आदमी को हमने रखा है ।

प्रोसीजर की जो बात कही गयी, तो अलग-अलग कमीशनों ने अलग-अलग प्रोसीजर फालो किया होगा । इसमें हम क्या करें ? सिवा इस कानून के दूसरा कोई कानून नहीं है जिसके मुताबिक कमीशन मुकर्रर किया जा सकता हो । चाहे हाईकोर्ट का जज मुकर्रर करें या कोई और, कानून यही है और इसमें लिखा है कि जो कमीशन मुकर्रर होगा उसको पूरा अधिकार होगा प्रोसीजर तय करने का । जब जुडीशियल कोर्ट बैठ गया तो हम उसको हिदायत कैसे दें कि तुम फलां तरीके से काम करो ? हाईकोर्ट का जज होता तो वह भी स्वतंत्र हो जाता, हमारा कोई अख्तियार नहीं है इंस्ट्रक्शन देने का ।

१८ तारीख को उन्होंने मीटिंग काल की थी । लोगों के सामने प्रोसीजर तय किया और लोगों को बतलाया । गवाहों की फेहरिस्त मांगी । कोई नगर रक्षा समिति बनी है उसकी तरफ से पंडित गंगा सहाय चौबे ने कहा कि ३१ दिसम्बर तक तारीख बढ़ा दी जाय ताकि हम गवाहों की फेहरिस्त दे सकें । लोग क्रिकेट-मैच और कारपोरेशन के चुनाव में व्यस्त थे । ५ जनवरी को फिर मीटिंग होगी । कुछ लोगों ने जो सवाल उठाये थे उसमें उनको फैसला देना है । हमें उनके गुड सेन्सेज पर विश्वास करना होगा । हाइयेस्ट ट्रायबुनल है, सीनियर मेम्बर हैं, तो हमें विश्वास करना चाहिये कि जो प्रोसीजर होगा वह उचित होगा और उसके अनुसार वे कार्य करेंगे । माननीय अवस्थी जी या दूसरे सज्जन लोगों में विश्वास पैदा करने की कोशिश करें कि इससे अच्छा दूसरे किस्म का ट्रायबुनल नहीं बैठ सकता ।

(इस समय ५ बजकर ३१ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

और गवर्नमेंट को कोई अख्तियार नहीं है कि प्रोसीजर के बारे में कोई हिदायत कमीशन को दे सके।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमान् जी, मोतीलाल अवस्थी जी ने जो कमीशन के बारे में कहा और माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर देते हुए कहा कि सरकार को कोई हक नहीं है कि जो कमीशन है वह अपना कौन-सा तरीका अख्तियार करे, इसके बारे में उनको राय दे या सुझाव दे। बात तो यह अपनी जगह पर सही है। माननीय मुख्य मंत्री जी की ही बात सुन कर अब मैं आपके द्वारा उनसे कहना चाहता हूं कि कोई मेम्बर बोर्ड आफ रेवेन्यू के हों, मैं किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा या नीति पर कोई संदेह नहीं करता हूं। हो सकता है कि यह जो सम्मानित सदस्य इस कमीशन में रखे गये हैं ये बहुत ही योग्य हों, बहुत ही निष्पक्ष हों, मगर प्रश्न यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश में इस समय दो जांच समितियां बैठायी गयी हैं, एक इलाहाबाद के गोली कांड की जांच करने के लिये और दूसरी कानपुर के गोली कांड की जांच करने के लिये। दोनों ने जो तरीका अख्तियार किया है उन दोनों का फर्क बिलकुल स्पष्ट हो रहा है। कानपुर में जो समिति बैठी है वह कह रही है कि जो लोग समिति के सामने कुछ कहने वाले हों उसका सारांश और सार वे हमको पहले ही लिख कर भेज दें और इलाहाबाद में जो एक जज बैठे हुये हैं उन्होंने यह तरीका नहीं अख्तियार किया। माननीय मुख्य मंत्री जी किसी कलेक्टर को भी बिठा सकते थे, किसी कमिश्नर को भी बिठा सकते थे, वह भी बहुत बड़े अफसर होते हैं, बहुत जिम्मेदार होते हैं और अगर पूज्य महात्मा गांधी के शब्दों को रखें तो वे तो हर कलेक्टर को छोटा गवर्नर कहा करते थे। एक जिले के प्रशासन के लिये जितनी जिम्मेदारी एक जिलाधीश की है उतनी जिम्मेदारी मुख्य मंत्री जी अपनी भी नहीं समझते होंगे। मगर एक कलेक्टर का अपना तरीका बना होता है, उसकी व्यक्तिगत ईमानदारी या निष्पक्षता की बात पर बिना गये हुये हम यह कहना चाहते हैं कि बोर्ड आफ रेवेन्यू के जो सम्मानित सदस्यगण हैं उनका एक तरीका बना हुआ है। उस तरीके के अन्तर्गत इस तरह की घटनाओं की जांच समुचित रूप से नहीं हो पायेगी, यह हमारा सन्देह है और जो तरीका कानपुर में अख्तियार किया गया है उससे हमारे इस संदेह की पुष्टि होती है। सही है कि नियम में यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सरकार किसको रखे और किसको न रखे, मगर एक विवेक की बात होती है कि वह विवेक करे कि किसको रख कर हम सही माने में जनता का विश्वास पैदा कर सकते हैं कि जो कमीशन बैठाया जा रहा है वह सारे तथ्यों का अच्छी तरह से विचार करके एक सही नतीजे पर आयेगा।

एक शंका और हो रही है सारे प्रदेश में। जहां कहीं भी आप जायं, प्रदेश में सब लोग कहते हैं कि आखिर क्या कारण है कि इलाहाबाद में जहां पर कि ५ मृत्युएं जानकारी में हुईं, जो अजानकारी में हैं उनके सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, वहां के लिये तो एक हाई कोर्ट का जज बैठाया जाय और कानपुर में जहां २० मृत्युएं जानकारी में हुई हों, अजानकारी में न जाने कितनी मृत्युएं हैं, वहां की इन्क्वायरी कमेटी में बोर्ड आफ रेवेन्यू के एक माननीय सदस्य को सुशोभित किया जाय। वे कारण भी इसका देते हैं और उस कारण को आपके द्वारा मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बता देना चाहता हूं। उनका कहना है कि इलाहाबाद की फायरिंग में गोलियां कुछ बड़े आदमियों, ऐडवोकेट और दूसरे उच्च स्तर पर रहने वाले लोगों के घरों में गयीं जिनके घरों के लोग सरकारी ओहदों पर भी विराजमान हैं। कानपुर में जिनके गोली लगी वे बेचारे गरीब थे, किसी बड़े आदमी के घर में गोली नहीं गयी जिसने कि बड़ा हल्ला मचाया हो इसलिये यहां पर बोर्ड आफ रेवेन्यू के एक सदस्य को बिठा दिया गया। इस तरह की चर्चा सारे प्रदेश में है। और मैं बताना चाहता हूं कि जब फुस-फुस मार्का बातें होने लगती हों तो किसी भी सरकार को सचेत होना चाहिये। आज चारों तरफ इस तरह की बातें हो रही हैं कि सरकार की गोलियों से २० आदमी मर जायं और यहां तक आप देखेंगे, इस समय माननीय रामस्वरूप जी वर्मा नहीं हैं, उन्होंने बताया था कि छतों पर गोलियां चलाई गईं, दस-दस वर्ष के बच्चे को मारा है, दूसरी तथा तीसरी छतों पर गोलियां मारी गई हैं, यह सारी बातें थीं और इतनी अनर्थकारी घटनायें हुई हैं। क्या मुख्य मंत्री जी बतला सकते हैं कि २० आदमियों की जानें चली गई हैं और.....

श्री अध्यक्ष--इस पर बहस नहीं है ।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं केवल संकेत रूप में कहना चाहता हूं, ब्योरे में जाना पसन्द नहीं करूंगा । सरकार को यह विवेक पहले क्यों नहीं हुआ ? क्यों न सरकार ने सोचा कि इतनी बड़ी भयंकर घटना हुई है, इसलिये जनता में आत्मविश्वास पैदा करने के लिये एक जुडीशियल कमीशन बिठाया जाय जिसकी ईमानदारी पर, जिसकी कर्मठता पर, जिसकी योग्यता पर और जिसकी निष्पक्षता पर सब का विश्वास हो सके ? आज जो कमीशन बैठा है उस पर जनता का विश्वास नहीं हो रहा है और टीका-टिप्पणी हो रही है । इसलिये सरकार से मांग करूंगा कि सरकार कमीशन को भंग करे और सरकार भंग कर सकती है और यह उसको अधिकार है । इसलिये वह इसको हटाये और एक उच्च कोटि का जज जो पुराना हो या रिटायर्ड हो, उसको बिठाया जाय ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--अध्यक्ष महोदय, जिस इंक्वायरी कमीशन के संबंध में आज यह चर्चा चल रही है उसका संबंध कानपुर में २ नवम्बर की रात्रि में एक स्त्री का पुलिस कर्मचारी द्वारा सतीत्व अपहरण करने के कारण ३-४ तारीख को दंगा होने और २० व्यक्तियों की जानें जाने से है । इसके लिये इस कमीशन की स्थापना हुई है । मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि इस कमीशन में जो सदस्य नियुक्त हुये हैं उनका दर्जा किन्हीं-किन्हीं मामलों में हाई कोर्ट के जज के बराबर है । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जो घटना घटी है, क्या वह रेवेन्यू से संबंधित है ? अथवा जो बातें हुई हैं, क्या उनका संबंध क्रिमिनल और जुडीशियरी से नहीं है ? मैं आपके द्वारा उनसे तथा माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि ३ तारीख को चार बजे/साढ़े चार बजे जब गोली चलना शुरू हुई तो मैंने देखा है कि किस तरह से लोगों को गोलियों का शिकार बनाया गया है ।

जब कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सिटी मैजिस्ट्रेट और एस० एस० पी० रैंक के अधिकारी जिस मामले में इंवाल्व हों तो उसकी इंक्वायरी के लिये में यदि उसी रैंक का आदमी मुकर्रर किया जाय तो कोई न्याय नहीं हो सकता है । एक्जीक्यूटिव के मामले में यदि एक्जीक्यूटिव आफिसर को जांच के लिये मुकर्रर किया जाय तो वह सब कर्मचारियों के विरुद्ध विशेष बात कर सकेगा, इसकी कैसे आशा की जा सकती है ? मैं लांछन नहीं लगाता, लेकिन जो ढंग, जो प्रोसीजर उन्होंने एडाप्ट किया है उससे कानपुर के लोगों को आशा नहीं रह गई है कि इससे उनको न्याय प्राप्त होगा । उन्होंने घोषणा कर दी है कि साक्ष्य देने से पहले कमीशन के पास अपने विचार भेजें । मान्यवर, इससे जनता में आतंक फैल गया है । आज कानपुर के पुलिस अधिकारी इस कोशिश में लगे हैं कि जो अपना नाम देता है उसके जानने की वह कोशिश करते हैं और उसके पास जाकर उसके ऊपर दबाव डालते हैं और विवश करते हैं कि वह कमीशन के सामने न जाय । जो स्थान इसके लिये नियुक्त किया गया है वह ऐसा स्थान है जहां किसी आदमी के जाने की सम्भावना नहीं है । कमीशन ने अपना सारा काम सर्किट हाउस में करने का तय किया है । उस सर्किट हाउस को पुलिस द्वारा चारों तरफ से घिरवा रखा गया है । तो यह कैसे आशा की जा सकती है कि इस कमीशन से लोगों को निष्पक्ष राय मिलेगी । माननीय मुख्य मंत्री कहते हैं कि वह बाध्य नहीं हैं कि किस व्यक्ति को नियत करें । तो उनके हाथ खुले हुए हैं । वह इस कमीशन को भंग कर सकते हैं और हाई कोर्ट का जज नियुक्त कर सकते हैं । इलाहाबाद में जहा केवल पांच व्यक्ति गोली से मरे वहां पर हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया जाय, लेकिन कानपुर में जहां सरकारी तौर पर १९ आदमी मरे हैं, यद्यपि इनकी संख्या ज्यादा है, वहां हाई कोर्ट का जज न नियुक्त किया जाय इससे बहुत बड़ा अन्याय होगा । जहां ऐसा वीभत्स कांड हुआ हो वहां पर यह आवश्यक है कि हम केवल न्याय प्रदान ही न करें बल्कि लोगों को इस बात का विश्वास कराएं कि हम न्याय प्रदान कर रहेहैं । ऐसी स्थिति में कानपुर में किसी हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति इस कमीशन के सम्बन्ध में होनी चाहिये और कानपुर के नागरिकों के साथ न्याय किया जाना चाहिये ।

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी (जिला कानपुर)---श्रीमान् अध्यक्ष जी, मैं बैठा-बैठा दो-तीन स्पीचें जो हुईं उनको सुन रहा था। मैं कानपुर में रहता हूं। मैंने कहीं नहीं सुना कि किसी गली में चर्चा हुई कि यह जो कमीशन मुकर्रर किया गया है यह इस काबिल नहीं है कि इस पर ऐतबार किया जाय। (व्यवधान) मैं बंगले में रहता हूं, लेकिन मैं गली-गली घूमता हूं।

श्री अध्यक्ष---अब वह डर नहीं रहा कनपटी मार का। वह गिरफ्तार हो चुका है।

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---मुझे तो श्री मोतीलाल जी की स्पीच सुन कर ताज्जुब हुआ। आप का खयाल है कि जो जज के सामने गवाह आयेंगे वह तो पुलिस की शिनाख्त से बरी रहेंगे, लेकिन जो इनके सामने गवाह आयेंगे उनके नाम लिख लिये जायंगे और पुलिस उनको तंग करेगी। मुझे नहीं मालूम कि जो जज के सामने आयेंगे वह बुरके में आयेंगे और उनके नाम पुलिस वालों को नहीं मालूम होंगे। पुलिस को दोनों हालतों में नाम मालूम हो जायंगे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो इस कमीशन के सामने आयेंगे उनको पुलिस हवालात में बन्द कर देगी ?

श्री भगवती सिंह जी ने कहा कि वहां पर बड़ा शोर है। कोई शोर नहीं है यह ठीक है कि इतने आदमी मरे। यह अच्छा है कि जांच हो जाय कि यह ठीक म या नहीं, लेकिन जो आदमी मरे हैं इसके वह लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने स्पीचें दी हैं और जबरदस्ती उन लोगों को भेजा है। मैं समझता हूं कि अगर गोली न चलती तो इससे ज्यादा मौत होतीं। यह तो सब जांच में आयेगा कि किन्होंने क्या किया।

श्री मोतीलाल अवस्थी---वह उस वार्ड के हारे हुए कांग्रेसी थे।

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---यह तो मालूम हो जायगा कि यह सोशलिस्ट थे या कौन थे जिन्होंने खड़े हो कर स्पीच दी और धर्मशाले में स्पीच दे कर भीड़ को वापस ले आये, वह कांग्रेसी थे या नहीं थे। वह कांग्रेस में थे या नहीं यह आपको मालूम होगा या आइन्दा मालूम हो जायगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जो कमीशन मुकर्रर हुआ है उससे लोगों को सन्तोष है और कोई शिकायत नहीं है। मैं भगवतीशरण जी को चैलेंज करता हूं कि कोई एक आदमी का नाम वह बतायें .....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---आप उनको बोलने दें। माननीय मोतीलाल जी, जिस वक्त आप बोल रहे थे उस वक्त कोई नहीं बोला था तो आप भी उनको बोलने दें।

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---एक आदमी का नाम भी वह बतायें कि जिसने अपनी गवाही देने को कहा हो और पुलिस ने कहा हो कि अगर गवाही दोगे तो तुम्हारे ऊपर हम कार्यवाही करेंगे। बीसों आदमी कहे गये हैं। एक का नाम भी वह नहीं बता सकते जिससे पुलिस ने ऐसा कहा हो। वह बतायें तो कोई नाम। इसलिये मैं कहता हूं कि यह बात बिलकुल गलत है और कमीशन जो मुकर्रर हुआ बिलकुल ठीक है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, गत ३,४ नवम्बर को कानपुर में जो घटना हुई और उस घटना में पुलिस की गोली से जो १९ आदमी मरे उसकी वजह से पूरे प्रदेश में गहरा क्षोभ फैला और इसीलिए पूरे प्रदेश की जनता की तरफ से इस बात की मांग उठी कि उस घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाय कि पुलिस को क्यों गोली चलानी पड़ी और १९ आदमियों की निर्मम हत्या क्यों हुई ? उसके बाद सरकार ने कमीशन नियुक्त किया। उस कमीशन की नियुक्ति के बाद भी लोगों में एक गहरा असन्तोष फैला हुआ है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की इस राय से सहमत हूं कि जो कुछ भी इन्क्वायरी होगी कमीशन की, वह इन्क्वायरी ऐक्ट जो है उसी के मातहत इन्क्वायरी होगी। व्यक्ति चाहे कोई भी हो उसी के मुताबिक इन्क्वायरी होगी। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि हमारे प्रदेश में और देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम

[श्री चन्द्रजीत यादव]

कोर्ट के न्यायाधीश जो हैं उनके प्रति जनता की एक आस्था है और जनता यह समझती है कि वहां से जो न्याय होता है वह निष्पक्ष न्याय होता है। इसके लिए आवश्यकता इस बात की थी और इस बात पर बार-बार जोर दिया गया कि यहां भी जो कमीशन बैठे उसमें किसी हाई-कोर्ट का एक न्यायाधीश हो जो इस घटना की जांच करे, क्योंकि घटना कोई साधारण-सी घटना नहीं थी। १९ आदमियों की जान जिसमें चली गई, वह एक असाधारण घटना थी। तो न्याय के लिए यह आवश्यक होता है कि यही नहीं कि न्याय हो, बल्कि लोगों को यह मालूम भी हो कि सचमुच उनके साथ न्याय हुआ है। जब तक यह दोनों भावनायें जनता के अन्दर पैदा नहीं होतीं तब तक उस न्याय से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिये आवश्यक है कि जनता को इस बात का विश्वास दिलाया जाय कि जो न्याय होगा वह वास्तविक न्याय होगा और इसके लिए किसी हाईकोर्ट के जज को इन्क्वायरी के लिए नियुक्त करना चाहिए। इस कमीशन के सामने जो वहां की सुरक्षा समिति बनी हुई है उन्होंने कुछ सुझाव रखे थे---जो नियम और ढंग उसने अपनाया था उसके सम्बन्ध में। एक तो सबसे पहली मांग कानपुर के नागरिकों की और दूसरे जन-प्रतिनिधियों की यह थी कि यह इन्क्वायरी निष्पक्ष रूप से हो सके, इसके लिए कानपुर के वह उच्च अधिकारी, चाहे वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हों, चाहे सुपरिंटेंडेंट पुलिस हों, उनको तब तक के लिए हटा दिया जाय, उनका ट्रांसफर कर दिया जाय जब तक कि कमीशन जांच करता है। जब तक यह उच्च अधिकारी वहां रहेंगे तब तक वहां के लोगों के ऊपर दबाव और जोर पड़ता रहेगा। इसलिए उनका ट्रांसफर फिलहाल कर दिया जाय जब तक कि इन्क्वायरी पूरी न हो जाय। मैं समझता हूं कि सरकार को वहां के नागरिकों और तमाम जन-प्रतिनिधियों की इस मांग का आदर करना चाहिये और उनका वहां से तुरन्त ट्रांसफर कर देना चाहिए।

दूसरी मांग एक यह उठी थी कि कमीशन के पास अपना एक वकील है। गवर्नमेन्ट ऐडवोकेट कमीशन का वकील है। सरकार ने अपने कर्मचारियों के डिफेंस के लिए वकील नियुक्त किये हैं। लेकिन ऐसे लोग जो कि असहाय हैं, गरीब हैं कमीशन में उनकी तरफ से कौन वकील होगा। जहां तक यह कहा जाता है कि गवर्नमेन्ट ऐडवोकेट उनकी मदद कर सकता है तो वह ठीक नहीं है। सरकार जब खुद एक पार्टी बनी हुई है अपने अधिकारियों के डिफेंस के लिए, उसने कुछ वकील नियुक्त किये हैं तो गवर्नमेन्ट ऐडवोकेट उन गरीबों का भी डिफेंस करेगा, इस बात पर यकीन नहीं होता। कमीशन ने यह कहा था कि आपकी इस भावना को हम गवर्नमेन्ट के पास पहुंचा देंगे। तो मेरी मांग यह है कि गवर्नमेन्ट ऐडवोकेट के अलावा हाई रेपुटेशन के प्रतिष्ठित वकील जो हों उनको कमीशन का वकील बनाया जाय ताकि जनता को उसमें विश्वास हो।

तीसरी बात इस सम्बन्ध में जब तक कि इन्क्वायरी हो रही है कानपुर में बहुत से लोगों पर वारन्ट है, लोगों में भय है। कहा गया बारबार कि नाम बतला दिया जाय, वह लोग हाजिर हो जायं। वहां एक पैनिक फैली हुई है। लोगों को कठिनाई होती है। इससे लोगों में परेशानी है और कमीशन के सामने लोग पहुंच नहीं पाते हैं अपनी साक्षी देने के लिये। सब को भय है कि कहीं कोई पकड़ा न जाय। इस तरह की बातें हो सकती हैं। इसलिये सरकार स्पष्ट करे कि कौन से लोग हैं जिनके ऊपर वारन्ट है ताकि निर्भीकता के साथ कमीशन के सामने लोग जा सकें और अपनी साक्षी दे सकें। यह २,३ प्रश्न हैं जिनके ऊपर सरकार को संजीदगी के साथ विचार करना चाहिये और माननीय मुख्य-मंत्री को जनता की इस भावना का आदर करना चाहिये। कमीशन इसी लिये बैठाया गया है कि उस घटना की सही जांच हो सके। उनकी सही जांच तभी हो सकती है जब कि जो सुझाव मैंने सरकार के सामने रखे हैं और जो प्रदेश की जनता चाहती है, सरकार उन पर गौर करके स्वीकार करे।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)---अध्यक्ष महोदय, माननीय मोतीलाल अवस्थी जी ने यह कहा है कि कानपुर में बहुत असन्तोष है इस इन्क्वायरी कमीशन के बैठाने से। मैं

कानपुर शहर से चुनकर आता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि कानपुर में इतना सन्तोष है इस इन्क्वायरी कमीशन के बैठाने से जो सब को मालूम है। उन लोगों को तकलीफ है जिनके द्वारा यह झगड़ा किया गया और जिनके द्वारा थाने पर हमला किया गया। उनको ही इस तरह से परेशानी है और इसीलिये वे परेशानी की बात कहते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जैसे ही इस कमीशन को नियुक्त किया? कानपुर के लोगों में बहुत सन्तोष हुआ।

भगवतीसिंह जी ने एक बात कही कि सर्किट हाउस में इतनी पुलिस लगी हुई है कि वहां पर आम लोगों को जाने में परेशानी है। अंग्रेजी जमाने में ऐसा होता था कि कोई न जा सके, लेकिन अब तो सभी वहां पर जा सकते हैं। वह जानते हैं कि आज वहां पर जो भी जाना चाहे जा सकता है, आज वह पुराने जमाने का सर्किट हाउस नहीं है। अगर वह जाना न चाहें तो बात दूसरी है। आज वहां पर हर एक आदमी जा सकता है और हर एक मंत्री से मिल सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। हमारे भाई ने यह कहा कि लोगों को छोड़ देना चाहिये। मैं आप को यह बताना चाहता हूं कि अभी दो तीन रोज पहले मैं जेल की विजिट करने गया था। वहां पर ४०० आदमी गिरफ्तार हुए थे। लगभग ३०० आदमी करफ्यू आर्डर में पकड़े गए थे उनको तो छोड दिया गया है। २५ आदमियों पर बड़ी बड़ी धाराओं के अन्तर्गत मामला चल रहा है। कुछ लोग और हैं। कुल ७५ आदमियों पर मुकदमा चल रहा है।

जहां तक निष्पक्षता का प्रश्न है, मुख्य मंत्री जी ने बताया कि पंडित गंगासहाय चौबे के कहने के अनुसार कमीशन की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। वह इसलिये कि चौबे जी जगह जगह कुछ बयान तैयार करा रहे हैं कि इस तरह से हुआ और अधिकारियों ने यह ज्यादती की। मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि जो गोली वहां पर चली वह बिलकुल ठीक थी....

श्री अध्यक्ष—उसके ऊपर आप चर्चा नहीं कर सकते।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। वह यह है कि ब्रह्मदत्त जी ने अभी बीच में कहा कि बयान तैयार करा रहे हैं, तो जब कोई सज्जन यहां पर न हों उसके सम्बन्ध में इस तरह की बात कहना उचित है?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कहा कि उनके कहने पर तारीख बढ़ा दी गई है इसलिये कि चौबे जी जो जगह जगह बयान तैयार करा रहे हैं उसके लिये समय मिल सके। उनको इसकी सहूलियत दी गई। वह इस बात को बता रहे थे कि इतनी निष्पक्षता बरती जा रही है।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—पंडित गंगासहाय जी चौबे को सभी जानते हैं कि वह पी०एस०पी० के हैं। उनके कहने पर कमीशन ने तारीख बढ़ा दी है। यह उनकी निष्पक्षता साफ जाहिर है, इसके सम्बन्ध में किसी को शक नहीं होना चाहिये। एक बात यह भी कहूं कि इन्क्वायरी रिपोर्ट जल्दी प्रकाशित हो। ऐसा न हो कि जिस तरह से कोतवाली की रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। अगर किसी पार्टी की कोई बात हो या किसी नेता की बात हो तो वह सामने आनी चाहिये। अगर किसी दूसरे की बात हो वह भी सामने आनी चाहिये।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—सरकार ने कानपुर की घटना के सम्बन्ध में जांच कमीशन नियुक्त किया, इसके लिये सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन कमीशन केवल जांच कमीशन कहलाने के लिये नियुक्त किया अथवा जनता में जो क्षोभ है उस घटना से उस क्षोभ को दूर करने के लिये और जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिये जांच कमीशन नियुक्त किया, इस पर विचार करना है। जहां तक रेवेन्यू कोर्ट के अधिकारी की नियुक्ति करने की बात है, मैं ऐसा समझता हूं कि जनता को उस से संतोष नहीं हो सकता। रेवेन्यू विभाग का प्रत्येक कर्मचारी सरकार द्वारा नियुक्त होता है और हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अगर कमीशन के लिये जज नियुक्त किया गया होता तो जनता में ऐसा विश्वास होता कि वह सरकार के अधीन नहीं है और सरकार के अधीन न होने के कारण वह निष्पक्ष जांच करेगा।

[श्री देवनारायण भारतीय]

इसमें सरकार यह कह सकती है कि हमने एक कमीशन की नियुक्ति कर दी है और Commission of Enquiry Act कानून के मुताबिक सरकार को यह अधिकार है कि किसी भी समय उस अपने नियुक्त किये हुए व्यक्ति को वह वापस कर ले और उसकी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर दे। इसलिये मैं बहुत नम्रतापूर्वक सरकार से यह प्रार्थना करता हूं कि सरकार जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिये जिस कमीशन की उसने नियुक्ति की है उसको वापस ले और किसी हाई कोर्ट के जज को वह वहां नियुक्त करे।

जो रवैया कमीशन ने अख्तियार किया है उस से भी जनता को संदेह होता है। मान्यवर, यह घटना एक पुलिस अधिकारी द्वारा आरम्भ हुई है और दूसरा आरोप पुलिस के खिलाफ यह है कि १९ व्यक्तियों की हत्या गोली द्वारा हुई है। जहां तक हताहत व्यक्तियों का ताल्लुक है उनम मेरे पास जो प्रमाण हैं उनके अनुसार तीन लड़कों की अवस्था १० से १६ वर्ष तक की है, ५ लड़कों की अवस्था १८ से २१ की थी और ५ ऐसे थे कि जिनकी अवस्था २५ से ३५ वर्ष की थी। यह अवस्था ऐसी है कि जिसमें यह संदेह होता है कि इन लोगों ने ऐसी कोई गड़बड़ी की होगी कि जिससे शांति भंग हो सकती या उसके कारण उन पर गोली चलाने की आवश्यकता पड़ सकती। मुझे अनुभव है कि जिन मामलों में पुलिस मुद्दई होती है उनमें पुलिस की मर्जी के खिलाफ सफाई पक्ष की गवाहियों का मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहां तो पुलिस अभियुक्त है तो उसके खिलाफ तो गवाहियों का मिलना बहुत ही मुश्किल होगा और ऐसे बिरले ही आदमी मिलेंगे कि जो पुलिस के खिलाफ गवाही देने आयेंगे। एक बात यह भी है कि ऐसे आदमी जो पुलिस के खिलाफ गवाही दे सकते होंगे वे जेलों में बंद हैं। उनके लिये क्या संरक्षण है कि वे पुलिस के खिलाफ बाहर आकर अपना बयान दे सकें। जो जेलों में नहीं हैं उनके लिये पुलिस ने वारंट जारी किये हैं। मैं चाहता हूं कि जिनके नाम वारंट हैं उन के नाम पहले से प्रकाशित कर दिये जायं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो लोग पुलिस के खिलाफ गवाही देने के लिये अपना नाम दें, उनको ही पुलिस वारंट में गिरफ्तार करके अभियुक्त करार दे दे। इस बात की बहुत आशंका है।

मान्यवर, एक और निवेदन है कि जो अधिकारी वहां हैं और उस घटना से सम्बन्धित हैं उनका स्थानान्तरण नहीं हुआ है। इस जांच के शुरू होने से पहले हमारी नम्र प्रार्थना है कि उनका स्थानान्तरण वहां से किया जाय और उनकी जगह दूसरे अधिकारी नियुक्त किये जांय, तभी वहां की जनता इस जांच कमीशन में विश्वास कर सकती है कि वह जांच निष्पक्ष होगी। मैं इन शब्दों के साथ चाहता हूं कि जांच कमीशन के लिये एक हाई कोर्ट के जज को नियुक्ति की जाय।

श्री ब्रज विहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े ध्यानपूर्वक इस बहस को सुना। मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मैंने देखा कि जिस अधिकारी की नियुक्ति वहां हुई है, उसकी नीयत पर हमला कर दिया गया और यह विश्वास कर लिया गया कि वह ठीक काम नहीं कर सकेगा। मैं समझता हूं कि ऐसा करके उसके साथ बहुत ज्यादती हुई है और साथ ही साथ कानपुर के निवासियों के साथ भी यह ज्यादती है कि उनके दिल में यह भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि यह अधिकारी न्याय नहीं कर सकेगा।

दूसरी बात यह कि यहां सदन में कहा जाता है कि वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का और सुपरिंटेंडेंट पुलिस का तबादला कर दिया जाय। कानपुर के किसी नागरिकों की सभा ने इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं किया है कि इन अधिकारियों को वहां से हटा दिया जाय। हां, कुछ थोड़े से लोग ऐसे हैं जिनको कुछ न कुछ ऐब दिखाई देता है। उन्होंने छोटी-मोटी कमेटी बना ली है और कुछ न कुछ कहते फिरते हैं।

तीसरी बात यह कही गयी कि जो लोग जेलों में हैं उनको लाना होगा। उनको कैसे लायेंगे। पुलिस का डर हो सकता है, इत्यादि। किन्तु मैं कहता हूं कि वे जेलों में सुरक्षित

हैं । अगर आयेंगे तो आराम से आयेंगे, शान से आ सकेंगे । उनको कोई तकलीफ नहीं होगी । रास्ते में पुलिस का उन्हें कोई डर नहीं है ।

चौथी बात यह कही गयी कि कुछ लोगों के नाम वारन्ट हैं । वारन्ट तो उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने दंगा फसाद कराया था, जिन्होंने दंगा कराने की कोशिश की थी, लोगों को भड़काया । कानपुर में मारे गये उन १९ आदमियों के खून की जिम्मेदारी ऐसे ही लोगों पर हैं। अगर उनके खिलाफ वारन्ट है तो कोई हर्ज नहीं । इसलिये अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस कमीशन की नियुक्ति की गयी है वह ठीक ही की गयी है । कानपुर की जनता को इससे काफी संतोष है और वह समझती है कि उनके साथ न्याय ही होगा ।

श्री मदन पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ डाक्टर जवाहर लाल जी तथा मेहरोत्रा जी के भाषणों को सुन कर । श्रीमन्, जिस क्षेत्र में यह गोली कान्ड हुआ है वहां एक क्षेत्र से दो आदमी चुन कर आते हैं—श्री रमेश गुप्त तथा श्री बद्री विशाल । दूसरे क्षेत्र से श्री लक्ष्मी नारायण तथा किशन केडिया आते हैं। उन चारों आदमियों ने जज की नियुक्ति की मांग की है और वहां की जनता की बात मानी जानी चाहिये। किसी हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमीशन बैठाने की मांग उचित मांग है । यह घटना ३ और ४ को हुई है । उस समय मैं धुधली में था । फिर समाचार मिलने पर कानपुर गया तथा वहां तीन चार दिन रह कर मैं लोगों से मिला और मैंने तथ्यों की जानकारी की । हर आदमी से मैं मिला और यह मालूम किया कि यह घटना कैसे हुई । श्रीमन्, यह घटना बड़ी गम्भीर है । जहां १९ जानें जाती हैं अगर वहां के लिये एक उचित कमीशन की मांग की जाती है तो उसको नियुक्त किया ही जाना चाहिये । सरकार की तरफ से जो यह दावा किया जाता है कि गोली उनको मारने के लिये नहीं चलाई गयी थी, बल्कि उनको वहां से भगाने के लिये उनको वहां से हटाने के लिये चलाई गयी थी, इसकी जांच होनी है । एक बात और मुख्य है वह यह है कि जिस दिन गोली चली थी उस दिन एक सेन्ट्रल मिनिस्टर साहब भी वहीं थे और एक यहां के मिनिस्टर साहब माननीय गौतम जी भी वहीं थे और यह लोग टेक्निकल इन्स्टीट्यूट में चाय पी रहे थे ।

श्रीमन्, चूंकि समय खत्म हो रहा है इसलिये मैं अधिक न कह कर इतना ही कहना चाहता हूं कि किसी हाइकोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक कमीशन की नियुक्ति होनी चाहिये । आपने जो कमीशन नियुक्त किया है उसकी योग्यता के बारे में मैं सन्देह नहीं करता । हूं उनकी योग्यता के विषय में मुझे कुछ कहना भी नहीं है, किन्तु यह कान्ड इतना गम्भीर है कि इसके लिये जिस कमीशन को बैठाने की मांग की गयी है उसको सरकार को मान लेना चाहिये ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, मैं क्या कहूं, मेरी समझ में नहीं आता । शुरू से ही मैं ऐसा समझता था कि इस विषय पर बहस करने में घूम फिर कर व्यक्तित्व पर बात आ जायगी । यद्यपि किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया गया, लेकिन बारबार जिक्र किया गया है कि इस जांच के लिये रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट का आफिसर लायक नहीं है और जुडीशियल डिपार्टमेन्ट का आदमी ही इसके लायक हो सकता है । मैं इस बात को नहीं मान सकता । मैं इस बात को बिलकुल मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि सिवाय जुडीशियल डिपार्टमेन्ट के आफिसर को छोड़कर किसी दूसरे डिपार्टमेन्ट का आफिसर निष्पक्षता से, ईमानदारी से और योग्यता से काम कर नहीं सकता । मैं कदापि इस तरह का लांछन मानने के लिये तैयार नहीं हूं ।

जो घटनायें हुईं, उनकी बाबत मुझे कुछ कहना नहीं है । जिन लोगों को उसमें साक्ष्य देना है उनको कोई खतरा नहीं है, जैसे हमारे एक माननीय सदस्य को ही उसमें साक्ष्य देना है, उनके ऊपर तो कोई खतरा नहीं है, उनको तो कोई डर धमकी का नहीं हो सकता ।

जहां तक असंतोष की बात है, मैं कानपुर में रहता नहीं हूं, लेकिन जो लोग बोले हैं उनमें से भी दो एक सज्जन खुद भी कानपुर में नहीं रहते हैं, बल्कि बाहर रहते हैं । मुझसे बहुत से लोग मिला करते हैं, सभी पार्टियों के लोग, गरीब, अमीर, मजदूर और सभी लोग मुझसे

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

मिलते रहते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि कानपुर में इसकी बाबत कोई असंतोष नहीं है और जो स्पीचेज यहां दी गई हैं उनके बाद भी मुझे विश्वास है कि वहां असंतोष नहीं होगा। मुश्किल केवल इतनी है कि कुछ बातें ऐसी कह दी जाती हैं जिनकी कहने वालों को कोई जानकारी नहीं है। मसलन, एक सज्जन ने कहा और मुझे वह सुनकर आश्चर्य हुआ कि कमीशन के सामने एक मांग पेश की गयी और उन्होंने कहा कि हम इसको सरकार के पास भेज देंगे। उन्होंने ऐसा नहीं कहा बल्कि ५ तारीख के लिये तारीख मुकर्रर कर दी और उस दिन वह फैसला करेंगे। हमारे मित्र विशारद जी ने कहा कि सर्किट हाउस के सामने पलटन खड़ी रहती है और वहां पहुंचना मुश्किल है। एक जो कानपुर के सज्जन हैं, उन्होंने अभी बतलाया है कि कोई ऐसी बात नहीं है। जो जांच पड़ताल का काम होगा वह सर्किट हाउस में नहीं होगा बल्कि फूलबाग का जो हाल है वहां होगा। वहां तोपखाना नहीं होगा, फौज नहीं होगी और न कोई चौकी ही वहां रहती है, इसलिये ऐसी आशंका नहीं हो सकती है।

एक माननीय सदस्य ने यह फरमाया कि सरकार के मुलाजिम पर विश्वास नहीं है जांच करने के सिलसिले में, लेकिन जज जो होता है उस पर विश्वास है, क्यों किसुप्रीम कोर्ट से उनकी नियुक्ति होती है। इसलिये मैं उनको यह बता दूं कि जजेज की नियुक्ति भी सरकार के द्वारा होती है, उस पर भी प्रादेशिक सरकार का ही नियंत्रण होता है, सुप्रीम कोर्ट उनकी नियुक्तियां नहीं करता। तो अगर किसी वजह से गवर्नमेन्ट के नियुक्त करने से ही कोई आदमी निकम्मा हो सकता है तो जज भी उतना ही निकम्मा हो सकता है जैसा कि और कोई सरकारी अधिकारी। जज को भी और दूसरे रेवेन्यू या और किसी विभाग क अधिकारी को भी सरकार ही छुट्टी देती ह। मैं ही जज को भी छुट्टी देता हूं, सुप्रीम कोर्ट या दूसरा कोई उनको छुट्टी नहीं देता है। तो अगर सरकार का दबाव पड़ता है, इन बातों से तो कोई जज भी ईमानदारी से काम नहीं कर सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि जज भी ईमानदारी से काम करते हैं और दूसरे सभी विभागों के अफसर उतनी ही ईमानदारी से काम करते हैं और मुझे विश्वास है कि कानपुर के लोगों का ऐसा विश्वास है कि जो जांच होगी वह उचित होगी और उस जांच पर सरकार भी उचित कार्यवाही करेगी। तो इस वजह से कोई सरकारी आफिसर बदल दिया जाय, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। कुछ लोगों ने इलाहाबाद से भी मांग की थी, मैंने इसको वहां भी नहीं माना और यहां भी नहीं मंजूर करूंगा जब तक कि यह बात साफ न हो जाय कि जो सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस हैं या वहां के कलेक्टर हैं, उन्होंने कोई हिस्सा उसमें लिया है या कोई गड़बड़ी की है, तब तक हम इस मांग को नहीं स्वीकार कर सकते।

श्री अध्यक्ष---अब हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन ६ बजकर १२ मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
३० दिसम्बर, १९५९।

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६१८ पर)

उत्तर प्रदेश सरकार को देय धनराशियों की वसूली (अर्जित आस्थान तथा अवसित पट्टा) विधेयक, १९५९

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है ।)

सरकार को देय धनराशियों की, जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा ली गयीं जिन्हें उनको पाने का हक नहीं था, वसूली तथा प्रासंगिक मामलों की व्यवस्था करने के लिये,

विधेयक

यह इष्टकर है कि सरकार को देय धनराशियों की, जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा ली गयीं जिन्हें उनको पाने का हक नहीं था, शीघ्र वसूली तथा प्रासंगिक मामलों की व्यवस्था की जाय ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के दसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रसार

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सरकार को देय धनराशियों की वसूली (अर्जित आस्थान तथा अवसित पट्टा) अधिनियम, १९५९ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

परिभाषायें

२--विषय या प्रसंग में कोई प्रतिकूल बात न होने पर इस अधिनियम में--

(क) शब्द "असिस्टेन्ट कलेक्टर" तथा "कलेक्टर" के अर्थ वही होंगे जो यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में दिये गये हैं ; यू० पी० ऐक्ट संख्या ३,१९०१

(ख) किसी क्षेत्र के निहित आस्थानों या अवसित पट्टों के संबंध में प्रयुक्त ऐसे शब्दों तथा पदावलियों के, जो इस अधिनियम में पारिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश अधिनियम, १९५३ तथा उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश अधिनियम, १९५८ में अथवा उत्तर प्रदेश में आस्थानों के या उनमें अधिकारों के, जैसी भी दशा हो, अर्जन से संबद्ध किसी अन्य विधि में उन्हें दिये गये हों ; १९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १ उ० प्र० अधिनियम संख्या १०, १९५४ उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५९

(ग) पदावलि "सरकार को देय धनराशि" के अन्तर्गत वे सभी धनराशियां हैं जो किसी आस्थान के अर्जन या पट्टे के अवसान के फलस्वरूप, उस समय प्रचलित तत्संबधी किसी अधिनियमिति के अधीन राज्य सरकार को देय हुई हों या देय हो जायं किन्तु जो भूतपूर्व मध्यवर्ती या पट्टेदार के, जैसी भी दशा हो, बिना आगम (title) के कब्जे में रहने के कारण राज्य सरकार द्वारा वसूल न की जा सकी हों ;

(घ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों द्वारा नियत से है; तथा

(ङ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है ।

किसी आस्थान या पट्टे के संबंध में सरकार को देय सकल धनराशि

३--(१) तत्संबंधी किसी अधिनियमिति के अधीन राज्य सरकार द्वारा अर्जित किसी आस्थान के या उसके द्वारा अवसित किसी पट्टे के अन्तर्गत भूमि के संबंध में, "सरकार को देय सकल धनराशि" उन समस्त धनराशियों का योग होगी जो राज्य सरकार को आस्थान के अर्जन या पट्टे के अवसान के फलस्वरूप देय हुई हों या देय हो जायं।

(२) सरकार को देय सकल धनराशि की गणना करते समय निम्नलिखित का ध्यान रखा जायगा--

(क) जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न कर दिया जाय, निम्नलिखित सब धनराशियां भूतपूर्व मध्यवर्ती या पट्टेदार द्वारा, जैसी दशा हो, प्राप्त की गयी समझी जायंगी :--

१९५१ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १

(१) '१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम' की धारा ३९ में उल्लिखित कच्ची निकासी, और

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १०, १९५४

(२) रामपुर, ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश अधिनियम, १९५३ तथा उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश अधिनियम, १९५८ की धारा ९ में उल्लिखित कच्ची निकासी ; तथा

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५९

(ख) समस्त धनराशियां जो आस्थान या पट्टे में, जैसी भी दशा हो, अधिकारों के सम्बन्ध में भूतपूर्व मध्यवर्ती या पट्टेदार द्वारा प्राप्त की गयी सिद्ध हों।

(३) उपधारा (२) के उपबन्ध उस समय प्रचलित तत्सम्बन्धी किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन अर्जित किसी आस्थान या अवसित किसी पट्टे पर भी आवश्यक परिवर्तनों के साथ प्रवृत्त होंगे।

सरकार को देय शुद्ध धनराशि

४--किसी भूतपूर्व मध्यवर्ती या पट्टेदार से वसूलने योग्य "सरकार को देय शुद्ध धनराशि" का अवधारण करते समय धारा ३ के उपबन्धों के अनुसार गणना की गयी सरकार को देय सकल धनराशि में से, निम्नलिखित की कटौती कर दी जायगी :-

(क) आस्थान या पट्टे, के जैसी भी दशा हो, सम्बन्ध में मालगुजारी या लगान की समस्त धनराशियां या कोई अन्य देय धनराशियां, जिनका भुगतान भूतपूर्व मध्यवर्ती या पट्टेदार राज्य सरकार को पहले ही कर चुका हो;

१९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १

उ० प्र० अधिनियम संख्या १०, १९५४

उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५९

(ख) '१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम' या तत्समय प्रचलित किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन अर्जित किसी आस्थान की दशा में, प्रबन्ध, व्यय तथा लगान के वसूल न किये जा सकने वाले बकाये के लिये, सरकार को देय सकल धनराशि की १० प्रतिशत धनराशि, और रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश अधिनियम, १९५३ या उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश अधिनियम, १९५८ के अधीन अवसित पट्टों की दशा में कच्ची निकासी तथा पट्टेदार द्वारा देय लगान के अन्तर के १६ २/३ प्रतिशत बराबर धनराशि ;

युक्त प्रांतीय ऐक्ट संख्या ३, १९४९ ई० उ० प्र० अधिनियम संख्या ३१, १९५७

(ग) आस्थान या पट्टे के संबंध में, "१९४८ ई० का संयुक्त प्रांतीय कृषि आय-कर ऐक्ट" की धारा २ के खंड (२) में यथा पारिभाषित कृषि आय-कर के रूप में या उत्तर प्रदेश बृहत्-जोत-कर अधिनियम, १९५७ की धारा २ के खंड (१३) में यथा पारिभाषित जोतकर के रूप में भूतपूर्व मध्यवर्ती या पट्टेदार द्वारा, जैसी भी दशा हो, भुगतान की गयी धनराशि।

प्रतिकर के भुगतान का स्थगन

५--यदि सरकार को देय किसी धनराशि का भुगतान न हुआ तो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ विशेष रूप से अधिकृत प्रथम श्रेणी का कोई असिस्टेंट कलेक्टर (जिसे आगे 'निर्धारक अधिकारी' कहा गया है) प्रतिकर निर्धारण करने तथा भूतपूर्व मध्यवर्ती या पट्टेदार को, जैसी भी दशा हो, उसका भुगतान करने के लिये अधिकृत अधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह उसे (भूतपूर्व मध्यवर्ती या पट्टेदार को) उसका भुगतान तब तक के लिये स्थगित कर दे जब तक कि सरकार को देय शुद्ध धनराशि का भुगतान या उसकी वसूली न हो जाय।

सरकार को देय शुद्ध धनराशि का अवधारण

६--(१) निर्धारक अधिकारी, यथाशक्य शीघ्र, एक विवरण-पत्र तैयार करायेगा जिसमें सरकार को देय सकल धनराशि अनुमत कटौतियों की धनराशियां तथा धारा ४ के अधीन भूतपूर्व मध्यवर्ती या पट्टेदार से, जैसी भी दशा हो, वसूलने योग्य पायी गई सरकार को देय शुद्ध धनराशि दिखायी जायगी तथा इस प्रकार तैयार किये गये विवरण-पत्र की एक प्रतिलिपि सहित एक नोटिस उस पर तामील करायगा, जिसमें उसे नोटिस के तामील होने के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर इस बात का कारण प्रकट करने का, अवसर दिया जायगा कि उससे सरकार को देय शुद्ध धनराशि की वसूली क्यों न की जाय। विवरण-पत्र सहित नोटिस सम्बद्ध व्यक्ति पर ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, तामील किया जायगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन नोटिस के अनुसरण में, सरकार को देय शुद्ध धनराशि की शुद्धता के संबंध में प्रस्तुत की गई कोई आपत्ति, आपत्तिकर्त्ता को सुनवाई का तथा यदि कोई साक्ष्य हो तो उसे प्रस्तुत करने का, समुचित अवसर देने के पश्चात्, निर्धारक अधिकारी द्वारा निस्तारित की जायगी तथा उक्त अधिकारी सरकार को देय शुद्ध धनराशि अवधारित तथा घोषित करेगा, मानो कि वह सक्षम न्यायालय हो।

(३) यदि उस व्यक्ति द्वारा, जिस पर उपधारा (१) में निर्दिष्ट नोटिस तथा विवरण-पत्र तामील किया गया हो, कालावधि के भीतर कोई आपत्ति प्रस्तुत न की जाय तो निर्धारक अधिकारी विवरण-पत्र में निर्दिष्ट वसूलन योग्य धनराशि को, सरकार को देय शुद्ध धनराशि घोषित करेगा।

(४) धारा ७ के अधीन अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए उपधारा (२) के अधीन आदेश, उपधारा (३) के अधीन आदेश, और उपधारा (६) के अधीन अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए उपधारा (५) के अधीन आदेश अंतिम तथा निश्चायक होंगे और किसी विधि-न्यायालय में उन पर आपत्ति नहीं की जायगी।

(५) निर्धारक अधिकारी उस व्यक्ति के, जिसके विरुद्ध उपधारा (३) के अधीन आदेश दिया गया हो, प्रार्थना-पत्र देने तथा आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण दिखाये जाने पर, आदेश रद्द कर सकता है और उसे उपधारा (१) के अधीन तैयार किये गये विवरण-पत्र के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है।

(६) उपधारा (५) के अधीन किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, उस आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उस व्यवहार न्यायाधीश (सिविल जज) को अपील प्रस्तुत कर सकता है जिसके अधिक्षेत्र के भीतर विवादग्रस्त भूमि स्थित हो और इस संबंध में व्यवहार न्यायाधीश का आदेश अंतिम तथा निश्चायक होगा और किसी विधि-न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जायगी।

(७) कोई आपत्ति, जिसे उपधारा (५) के अधीन या उपधारा (६) के अधीन अपील के परिणाम-स्वरूप प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई हो उपधारा (२) में निर्धारित रीति से सुनी तथा निर्णीत की जायगी।

(८) इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही में राज्य सरकार को भी उसका एक पक्ष बनाया जायगा और उसका प्रतिनिधित्व ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जायगा, जो नियत किया जाय।

अपील

७--धारा ६ की उपधारा (२) के अधीन अपने विरुद्ध दिये गये किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, आदेश के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर उस जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिसके अधिक्षेत्र के भीतर अर्जित आस्थान या पट्टे के अन्तर्गत भूमि स्थित हो। उक्त जिला न्यायाधीश या व्यवहार-न्यायाधीश जिसे धारा ८ के अधीन अपील संक्रमित की जाय, सम्बद्ध पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् सरकार को देय शुद्ध धनराशि अंतिम रूप से अवधारित तथा घोषित करेगा। इस संबंध में जिला न्यायाधीश या व्यवहार न्यायाधीश का, जैसी भी दशा हो, निर्णय अंतिम और निश्चायक होगा और किसी विधि न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जायगी।

अपीलों का संक्रमण

८--जिला न्यायाधीश, धारा ७ के अधीन अपने समक्ष प्रस्तुत की गई किसी अपील को अपने अधीनस्थ किसी व्यवहार न्यायाधीश (सिविल जज) को संक्रमित कर सकता है।

सरकार को देय धनराशियां देय प्रतिकर पर प्रथम भार होंगी। १९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १ उ० प्र० अधिनियम संख्या १०, १९५४ उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५९

९--भूतपूर्व मध्यवर्ती या पट्टेदार से, जैसी भी दशा हो, वसूलने योग्य सरकार को देय समस्त धनराशियां, "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" या रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश अधिनियम, १९५३ अथवा उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश अधिनियम, १९५८ या आस्थानों के अर्जन या पट्टों के अवसान से, जैसी भी दशा हो, सम्बद्ध किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन उसको देय प्रतिकर की धनराशि पर प्रथम भार होंगी, भले ही किसी अन्य विधि या किसी न्यायालय अथवा प्राधिकारी के आदेश में कोई प्रतिकूल बात दी हुई हो।

सरकार को देय शुद्ध धनराशि का समायोजन १९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १ उ० प्र० अधिनियम संख्या १०, १९५४ उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५९

१०--वसूली की किसी अन्य रीति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार को देय समस्त शुद्ध धनराशि भूतपूर्व मध्यवर्ती या पट्टेदार से, जैसी भी दशा हो, "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" या रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश अधिनियम, १९५३ अथवा उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश अधिनियम, १९५८ या आस्थानों के अर्जन अथवा पट्टों के, अवसान से सम्बद्ध किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन उसे देय प्रतिकर की धनराशि से कटौती करके वसूल की जा सकती है और यदि कोई धनराशि शेष हो तो वह मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

११--धारा ३, ४, ५, ६, ९, १० तथा १२ में शब्द "मध्यवर्ती" तथा "पट्टेदार" के अन्तर्गत उनके विधिक प्रतिनिधि भी होंगे।

मध्यवर्ती तथा पट्टेदार के अन्तर्गत विधिक प्रतिनिधि भी होंगे।

१२--ज्योंही सरकार को देय शुद्ध धनराशि धारा ६ या धारा ७ के अधीन, जैसी भी दशा हो, अंतिम रूप से अवधारित तथा घोषित हो जाय, निर्धारक अधिकारी प्रतिकर का निर्धारण तथा भुगतान करने के लिये अधिकृत अधिकारी को अन्तिम आदेश की एक प्रति भेजेगा। "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" या रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश अधिनियम, १९५३ अथवा उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश अधिनियम, १९५८ या आस्थानों के अर्जन अथवा पट्टों के अवसान से सम्बद्ध किसी अन्य अधिनियमिति में किसी अन्य बात के होते हुये भी, उक्त अधिकृत अधिकारी आस्थान के अर्जन या पट्टे के अवसान के लिये, जैसी भी दशा हो, भूतपूर्व मध्यवर्ती या पट्टेदार को देय प्रतिकर में से आदेश में उल्लिखित धनराशि वसूल करेगा तथा यदि सरकार को देय शुद्ध धनराशि का कोई शेष हो, जो वसूल न किया जा सका हो, तो वह उसकी सूचना निर्धारक अधिकारी को देगा, जो उसकी वसूली मालगुजारी के बकाया के रूप में करने के लिये कलेक्टर को एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

सरकार को देय शुद्ध धनराशि की वसूली

१९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १

उ० प्र० अधिनियम संख्या १०, १९५४

उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५९

१३--इस अधिनियम के अधीन जांच करने वाले या आपत्ति की सुनवाई करने वाले निर्धारक अधिकारी को, जहां तक यह प्रयोज्य हो, व्यवहार न्यायालय (सिविल कोर्ट) के समस्त अधिकार तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे और वह कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में अचल सम्पत्ति के सम्बद्ध वादों का परीक्षण तथा निस्तारण के लिये निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

निर्धारक अधिकारी की आपत्तियों की सुनवाई तथा उनके निस्तारण के अधिकार तथा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ऐक्ट संख्या ५, १९०८

१४-- इस अधिनियम के अधीन किसी अपील की सुनवाई और उसका निर्णय करने में अपीलीय न्यायालय को व्यवहार न्यायालय के समस्त अधिकार तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे और वह कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में, अपीलों की सुनवाई तथा उनका निस्तारण करने के लिये निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

अपीलीय न्यायालय के अधिकार तथा उसके द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ऐक्ट संख्या ५, १९०८

१५--इस अधिनियम के या तद्धीन दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावना से किये गये अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के कारण किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अधिनियम के अधीन किये गये कार्यों का संरक्षण

१६--इस अधिनियम के अधीन सरकार को देय धनराशि के अवधारण तथा उसकी वसूली के लिये कोई भी कार्यवाही उस दिनांक से पहले नहीं की जायगी जब राज्य सरकार को ऐसे अर्जित आस्थान या अवसित पट्टे के अन्तर्गत भूमि का, जिससे उक्त कार्यवाही सम्बद्ध हो, कब्जा मिले।

अधिनियम उन दशाओं में प्रवृत्त न होगा जिनमें कब्जा नहीं लिया गया है

इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ की प्रवृत्ति ऐक्ट संख्या ९, १९०८

१७--इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ की धारा ५ तथा १२ के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन समस्त कार्यवाहियों पर, जिनके अन्तर्गत अपीलों, प्रार्थना-पत्रों तथा आपत्तियों की कार्यवाहियां भीं हैं, प्रवृत्त होंगे।

नियम बनाने का अधिकार

१८--(१) राज्य सरकार सरकारी गजट में पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम सरकारी गजट में प्रकाशित किये जायेंगे और जब तक कोई बाद का दिनांक निश्चित न किया जाय उक्त प्रकाशन के दिनांक से प्रचलित होंगे।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष कम से कम चौदह दिन तक रखे जायेंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो विधान-मंडल अपने उस सत्र में करे जिसमें वे (नियम) उसके समक्ष रखे जायं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उद्देश्य तथा कारण

भूतपूर्व रामपुर राज्य के कुछ जमींदारों और पट्टेदारों ने उक्त राज्य के क्षेत्रों में यथाप्रवृत्त रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश अधिनियम, १९५३, और "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" की वैधता पर आपत्ति की और निहित करने वाली विज्ञप्ति जारी होने या पट्टों के अवसान के पश्चात् भी वे उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय से प्राप्त स्थगन आदेशों के आधार पर लगभग चार वर्ष की अवधि तक अपने आस्थानों पर काबिज बने रहे। उच्चतम न्यायालय ने अन्त में इन व्यक्तियों की याचिकाओं तथा अपीलों का निर्णय राज्य सरकार के पक्ष में किया। यह संक्षिप्त विधेयक सरकार को देय धनराशियों के अवधारण की तथा भूतपूर्व रामपुर राज्य के उन मध्यवर्तियों तथा पट्टेदारों से, जो उनके हकदार नहीं थे, तथा अन्य ऐसे क्षेत्रों के जहां इसी प्रकार की आवश्यकता भविष्य में उत्पन्न हो, पट्टेदारों तथा मध्यवर्तियों से उसकी वसूली की व्यवस्था करने के उद्देश्य से पुरः स्थापित किया जा रहा है।

हुकुम सिंह विसेन,
न्याय मंत्री।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार को देय धनराशियों की वसूली (अर्जित आस्थान तथा अवसित पट्टा) विधेयक, १९५९ के ऐसे उपबन्धों से स्पष्टीकरण का ज्ञापन-पत्र, जिसमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान के लिये प्रस्ताव अन्तर्ग्रस्त

विधेयक के विभिन्न खंडों के उपखंडों का जिनमें विधायन अधिकारों का प्रतिनिधान के प्रस्ताव अन्तर्ग्रस्त हैं तथा उनके क्षेत्रों का उल्लेख नीचे किया जाता है :

क्रम-संख्या	खंड	उपखंड	विधायी अधिकार
१	६	(१)	इसमें राज्य सरकार को वह रीति नियत करने का अधिकार दिया गया है जिसके अनुसार इस अधिनियम की धारा ६ (१) के अधीन मध्यवर्ती पट्टेदार पर नोटिस तामील किया जायगा।
२	६	(८)	इसमें राज्य सरकार को एक ऐसे प्राधिकारी को नियुक्त करने का अधिकार देने की व्यवस्था की गई है जो उस दशा में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा जब उसको इस अधिनियम की धारा ६ के अधीन किसी कार्यवाही में एक पक्ष बनाया गया हो।
२	१८	(१)	इसमें राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। राज्य सरकार ऐसे नियम विशेषतः निम्नलिखित के सम्बन्ध में बना सकती है : (१) किसी आस्थान या पट्टे के सम्बन्ध में सरकार को देय सकल धनराशियों की गणना करने की विस्तृत प्रक्रिया [खंड ३ के उपखंड (२) तथा (३)]। (२) विवरण-पत्रों को (नियत आकार में) तैयार करना जिसमें सरकार को देय सकल धनराशियों से की जाने वाली कटौतियां दिखायी जायेंगी (खंड ४)। (३) वह रीति जिससे निर्धारक अधिकारी, प्रतिकर का निर्धारण तथा भुगतान करने के लिये अधिकृत अधिकारी को प्रतिकर का भुगतान स्थगित किये जाने के लिये निर्धारित करने तथा उसको सम्बोधित करेगा (खंड ५)। (४) निर्धारक आधिकारियों द्वारा तैयार किये जाने वाले विवरण-पत्र का आकार तथा मध्यवर्ती पट्टेदार पर तामील किये जाने वाले नोटिस का आकार [खंड ६ का उपखंड (१)]। (५) मध्यवर्ती पट्टेदार द्वारा उस विवरण-पत्र का निरीक्षण जिसके आधार पर सरकार को देय शुद्ध धनराशियां निकाली गई हों [खंड ६ का उपखंड (१)]। (६) प्रस्तुत की गई आपत्तियों तथा निर्धारक अधिकारी द्वारा दिये गये निर्णयों का (नियत आकार में) रजिस्टर रखना तथा निर्धारक अधिकारी द्वारा आपत्तियों के

क्रम-संख्या	खंड	उपखंड	विधायी अधिकार
			निस्तारण में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया [खंड ६ का उपखंड (२), (३) तथा (५)]।
			(७) 'अन्तिम आदेश', 'सूचना' तथा प्रमाण-पत्र का आकार (खंड १२)।
			(८) कोई अन्य विषय जिसे नियत करना हो या जो नियत किया जा सके।

विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान के उपर्युक्त प्रस्ताव प्रक्रिया सम्बन्धी तथा सामान्य प्रकार क हैं।

हुकुम सिंह विसेन,
न्याय मंत्री।

विधान सभा पदेश

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २५४ एल० ए०--१९६०--८४५।

उत्तर प्रदेश विधान सभा